



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 286]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

हैदराबाद, 20 अगस्त, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/12/102/2015.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 तथा समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 42डी और 42ई के साथ पठित, समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और विनियमों का प्रारंभ:

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएंगे।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ऐसा कोई कारपोरेट एजेंट जिसे इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले लाइसेंस जारी किया गया हो, कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा नये पंजीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा कर सकता है।

2. परिभाषाएँ—

- (क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है।
- (ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है—

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा उसके किसी अधिनियमन अथवा प्रचलित किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अधीन बनाई गई कंपनी; अथवा
 - (ii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन बनाई गई और पंजीकृत की गई सीमित देयता भागीदारी;
 - (iii) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 अथवा सहकारी सोसाइटियों के पंजीकरण के लिए किसी भी विधि के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति; अथवा
 - (iv) अधिनियम की धारा 2 के खंड (4ए) में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनी; अथवा
 - (v) बैंकारी कंपनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (डीए) के अंतर्गत यथापरिभाषित तदनु रूपी नया बैंक; अथवा
 - (vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक; अथवा
 - (vii) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अंतर्गत समाविष्ट गैर-सरकारी संगठन अथवा सूक्ष्म ऋणदात्री वित्त संगठन, अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी; अथवा
 - (viii) कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई भी अन्य व्यक्त।
- (ग) "अनुमोदित संस्था" से ऐसी कोई संस्था अभिप्रेत है जो शिक्षा और/या विशेष रूप से समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित बीमा विक्रय, सेवा और विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण में व्यस्त हो तथा इसमें भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई शामिल है।
- (घ) "प्राधिकृत सत्यापक" से टेलीफोन की पद्धति से अपेक्षा अथवा विक्रय के प्रयोजन के लिए दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) द्वारा नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है तथा वह एक विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए इन विनियमों के विनियम 7(3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षाओं को पूरा करेगा;
- (ङ) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 के उपबंधों के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।
- (च) "कारपोरेट एजेंट" से उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई भी आवेदक अभिप्रेत है जो जीवन, साधारण और स्वास्थ्य की किसी भी विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और सर्विसिंग हेतु इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करता है।
- (छ) "कारपोरेट एजेंट (जीवन)" से वह कारपोरेट एजेंट अभिप्रेत है जो इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट जीवन बीमाकर्ताओं के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और सर्विसिंग हेतु, इस रूप में कार्य करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करता है;
- (ज) "कारपोरेट एजेंट (साधारण)" से वह कारपोरेट एजेंट अभिप्रेत है जो इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट साधारण बीमाकर्ताओं के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और सर्विसिंग हेतु, इस रूप में कार्य करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करता है;
- (झ) "कारपोरेट एजेंट (स्वास्थ्य)" से वह कारपोरेट एजेंट अभिप्रेत है जो इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और सर्विसिंग हेतु, इस रूप में कार्य करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करता है;
- (ञ) "कारपोरेट एजेंट (सम्मिश्र)" से वह कारपोरेट एजेंट अभिप्रेत है जो जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं अथवा उपर्युक्त खंड (च) में यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं दो अथवा सभी तीनों के सम्मिश्रण के लिए बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्रापण हेतु, इस रूप में कार्य करने के लिए इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र धारण करता है;

- (ट) "परीक्षा निकाय" इन विनियमों के प्रयोजन के लिए भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई अथवा कारपोरेट एजेंटों के प्रधान अधिकारी और विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रमाणीकरण परीक्षा के संचालन हेतु प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित कोई अन्य निकाय है।
- (ठ) "योग्य और उपयुक्त" (फिट एण्ड प्रोपर) आवेदक के पंजीकरण हेतु कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उसके प्रधान अधिकारी, निदेशकों अथवा भागीदारों अथवा किन्हीं अन्य कर्मचारियों सहित उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए मानदंड है।
- (ड) कारपोरेट एजेंट के "प्रधान अधिकारी" से उसके द्वारा पदनामित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित निदेशक अथवा भागीदार अथवा कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी अभिप्रेत है, जो केवल कारपोरेट एजेंट के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त हो और जिसके पास अपेक्षित योग्यताएँ और व्यावहारिक प्रशिक्षण हो तथा जिसने इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ढ) "पंजीकरण" से कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए इन विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।
- (ण) "विनियम" से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 अभिप्रेत है।
- (त) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से कारपोरेट एजेंट का वह कर्मचारी अभिप्रेत है जो कारपोरेट एजेंट की ओर से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्रापण के लिए जिम्मेदार है तथा जिसने इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अर्हता, प्रशिक्षण और परीक्षा की उत्तीर्णता की अपेक्षाओं को पूरा किया है;
- (थ) "दूरविपणनकर्ता" (टेलीमार्केटर) से वह संस्था अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक संदेश भेजने का व्यवसाय संचालित करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संदेश ग्राहक अधिमान विनियम, 2010 के अध्याय III के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत हो और प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र धारित करती हो।
- (द) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 अथवा उनके अधीन बनाये गये किसी भी अधिनियम / दिशानिर्देश में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. इन विनियमों का विस्तार और प्रयोज्यता:

- (1) ये विनियम पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीमा व्यवसाय की अपेक्षा, प्रापण और सर्विसिंग के प्रयोजन के लिए कारपोरेट एजेंटों के पंजीकरण को निम्नानुसार समाविष्ट करते हैं।
- (क) एक कारपोरेट एजेंट (जीवन) अधिकतम तीन जीवन बीमाकर्ताओं के साथ उनके बीमा उत्पादों की अपेक्षा, प्रापण और सेवा करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- (ख) एक कारपोरेट एजेंट (साधारण) अधिकतम तीन साधारण बीमाकर्ताओं के साथ उनके बीमा उत्पादों की अपेक्षा, प्रापण और सेवा करने के लिए व्यवस्था कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट एजेंट (साधारण) साधारण बीमा उत्पादों की फुटकर व्यवस्थाओं की अपेक्षा, प्रापण और सेवा करेगा तथा ऐसे बीमाकर्ताओं की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं की कुल बीमित राशि सभी बीमाओं के लिए संयुक्त रूप से प्रति जोखिम पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
- (ग) एक कारपोरेट एजेंट (स्वास्थ्य) अधिकतम तीन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के साथ उनके बीमा उत्पादों की अपेक्षा, प्रापण और सेवा करने के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- (घ) कारपोरेट एजेंट (सम्मिश्र) के मामले में खंड (क) से (ग) तक विनिर्दिष्ट रूप में शर्तें लागू होंगी।
- (ङ) बीमा कंपनियों के साथ की गई व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन केवल प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन से ही और वर्तमान लिसीधारकों की सर्विसिंग के लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं सहित ही किया जाएगा।

4. पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन – (1) कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक निम्नलिखित में से एक होगा –

- (i) एक संस्था जिसका प्रधान व्यवसाय बीमा उत्पादों के वितरण को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय है तथा बीमा वितरण उसका एक समनुषंगी कार्यकलाप है;
- (ii) एक संस्था जिसका प्रधान व्यवसाय केवल बीमा मध्यस्थता करना है।
- (2) आवेदक प्राधिकरण को अनुसूची I में यथाविनिर्दिष्ट फार्म क में आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (3) उप-विनियम 2 के अधीन आवेदन के साथ विनियम 17 में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षित शुल्क प्रेषित किया जाएगा।
- (4) वित्तीय क्षेत्र के किसी भी अन्य विनियामक निकाय द्वारा पंजीकृत अथवा लाइसेंसप्राप्त आवेदक संबंधित निकायों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करेगा और उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ दाखिल करेगा।

बशर्ते कि आईआरडीए के (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2002 के अधीन पहले से लाइसेंसप्राप्त कारपोरेट एजेंटों को इन विनियमों के अधीन पंजीकरण की अपेक्षा करते समय उपर्युक्त आवश्यकता से छूट दी जाती है।

(5) उप-विनियम (2) के अधीन आवेदन निम्नलिखित किसी एक श्रेणी के लिए की जाएगी, अर्थात् :-

- क. कारपोरेट एजेंट (जीवन);
- ख. कारपोरेट एजेंट (साधारण);
- ग. कारपोरेट एजेंट (स्वास्थ्य);
- घ. कारपोरेट एजेंट (सम्मिश्र)

- (6) आवेदक अथवा उसके समूह की संस्थाओं को सामान्यतया एक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा बशर्ते कि उक्त समूह के पास कोई भी अन्य बीमा मध्यस्थता न हो जैसे कारपोरेट एजेंसी अथवा बीमा दलाली अथवा बीमा विपणन फर्म अथवा वेब संग्राहक। तथापि कारपोरेट एजेंसी के पंजीकरण के लिए आवेदन पर जहाँ आवेदक का कोई भी सदस्य कारपोरेट एजेंसी सहित बीमा मध्यस्थता में पहले से ही लगा हो, गुण-दोष के आधार पर और हितों के संघर्ष के बिना विचार किया जाएगा।

टिप्पणी: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, "समूह" की परिभाषा वही होगी जैसी कि समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 अथवा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किसी भी अन्य निदेश में परिभाषित है।

5. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो – ऐसे आवेदन को अस्वीकार किया जाएगा जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो और फार्म ए में विनिर्दिष्ट अनुदेशों और इन विनियमों के अनुरूप न हो।

बशर्ते कि ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने से पहले आवेदक को अपना आवेदन हर प्रकार से पूर्ण करने तथा त्रुटियाँ यदि कोई हों तो उन्हें सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

6. सूचना प्रस्तुत करना, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण – (1) प्राधिकरण आवेदक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह आवेदन के निपटान के प्रयोजन के लिए, तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।

(2) यदि अपेक्षा की जाए, तो आवेदक अथवा उसका प्रधान अधिकारी अपने आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।

7. आवेदन पर विचार – (1) प्राधिकरण पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय कारपोरेट एजेंट के कार्यकलाप करने के लिए संगत सभी विषयों का ध्यान रखेगा।

(2) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना प्राधिकरण विशेष रूप से निम्नलिखित का ध्यान रखेगा, अर्थात् –

- क) क्या आवेदक अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;

(ख) क्या आवेदक के पास आवश्यक बुनियादी संरचना है, जैसे पर्याप्त कार्यालय स्थल, उपस्कर और अपनी स्टाफ-सूची के अनुसार प्रशिक्षित श्रमशक्ति, जिससे वह अपने कार्यकलाप प्रभावी रूप में कर सके;

(ग) क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस/पंजीकरण प्रदान करने से अतीत में इनकार किया गया है।

क. स्पष्टीकरण :- इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" का अभिप्राय किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक की कोई सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह विशेष की कंपनी है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों के अर्थ वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा प्रतिस्पर्धी अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में इनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

(घ) क्या आवेदक का प्रधान अधिकारी स्नातक उपाधि प्राप्त है और क्या उसने प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार एक अनुमोदित संस्था से कम से कम पचास घंटे का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तथा उपर्युक्त प्रशिक्षण की अवधि के अंत में परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है :

बशर्ते कि जहाँ आवेदक का प्रधान अधिकारी भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का असोसिएट / फेलो है; अथवा सीआईआई, लंदन का असोसिएट / फेलो; अथवा भारतीय बीमांकिक संस्थान का असोसिएट / फेलो; अथवा उसके पास बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता है; वहाँ सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पच्चीस घंटे का होगा।

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदक के प्रधान अधिकारी, निदेशकों और अन्य कर्मचारियों ने इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया है;

(च) यदि आवेदक का प्रधान व्यवसाय बीमे को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय है, तो क्या वह कारपोरेट एजेंट के रूप में वित्तीय मामलों में अपने कार्यकलापों और अन्य कार्यों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए स्वतंत्र व्यवहार करता है।

(छ) क्या प्रधान अधिकारी/ निदेशक/ भागीदार/ विनिर्दिष्ट व्यक्ति इन विनियमों के अनुबंध I में दिये गये विवरण के आधार पर योग्य और उपयुक्त है/हैं; तथा

(ज) प्राधिकरण की राय है कि पंजीकरण प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा।

(3) आवेदक के विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करेंगे:-

क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/ संस्था से कम से कम 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे;

ख. (i) विनिर्दिष्ट व्यक्ति जीवन, साधारण, स्वास्थ्य की विनिर्दिष्ट श्रेणी जिसके लिए पंजीकरण की अपेक्षा की गई है, हेतु किसी अनुमोदित संस्था से कम से कम पचास घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होगा और परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होगा;

(ii) कारपोरेट एजेंट (सम्मिश्र) का विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी अनुमोदित संस्था से कम से कम पचहत्तर घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका होगा और परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होगा;

ग. बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और प्रापण करने के लिए कारपोरेट एजेंट द्वारा नियुक्त विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पास इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया विधिमान्य प्रमाणपत्र होगा। उक्त प्रमाणपत्र कारपोरेट एजेंट के वैध पंजीकरण के अधीन निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा;

विनिर्दिष्ट व्यक्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए इन विनियमों के अनुबंध 3 में विनिर्दिष्ट फार्मेट में प्राधिकरण को कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा।

घ. कारपोरेट एजेंट का विनिर्दिष्ट व्यक्ति यदि किसी अन्य कारपोरेट एजेंट के पास परिवर्तन के लिए इच्छुक है, तो वह वर्तमान कारपोरेट एजेंट द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के साथ नये कारपोरेट एजेंट के माध्यम से प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा ऐसा करेगा। यदि वर्तमान कारपोरेट एजेंट 30 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि उपर्युक्त कारपोरेट एजेंट को उसके परिवर्तन के लिए आपत्ति नहीं है। प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट से अनुरोध प्राप्त करने के बाद उक्त परिवर्तन को निर्दिष्ट करते हुए कारपोरेट एजेंट का नाम बदलकर संशोधित प्रमाणपत्र जारी करेगा।

ड. विनिर्दिष्ट व्यक्ति और/या मुख्य बीमा कार्यपालक जो अर्हताप्राप्त हैं तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसिकरण) विनियम, 2002 के अधीन लाइसेंसप्राप्त किसी कारपोरेट एजेंट के पास पहले से कार्यरत हैं, इन विनियमों के अधीन पंजीकृत कारपोरेट एजेंटों के पास कार्य करना जारी रख सकते हैं। तथापि, ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और/ या मुख्य बीमा कार्यपालकों का विवरण विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण को पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय अथवा उनके पंजीकरण की तारीख से छह महीने के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण उक्त विवरण की प्राप्ति के बाद ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और/ या मुख्य बीमा कार्यपालकों को उपर्युक्त उप-विनियम (ग) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

8. **पूँजीगत अपेक्षाएँ** – (1) केवल बीमा वितरण करने वाले आवेदक के पास न्यूनतम पचास लाख की इक्विटी शेयर पूँजी अथवा अंशदान और निवल मालियत (नेटवर्थ) होगी। वे यह निवल मालियत हर समय रखेंगे।

(2) केवल बीमा वितरण करने वाले आवेदक के मामले में संविभाग निवेशकों सहित विदेशी निवेशकों द्वारा इक्विटी शेयरों अथवा अंशदान की कुल धारित राशि समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रूप में होगी।

9. **पंजीकरण की प्रक्रिया** – (1) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि पंजीकरण प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को आवेदक पूरा करता है, फार्म बी में पंजीकरण प्रदान करेगा तथा उस श्रेणी का उल्लेख करते हुए आवेदक को सूचना प्रेषित करेगा जिसके लिए प्राधिकरण ने पंजीकरण प्रदान किया है। पंजीकरण इस बात के अधीन जारी किया जाएगा कि आवेदक समय-समय पर प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शर्तों और आचरण-संहिता का पालन करता है।

(2) एक विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए इन विनियमों के अधीन पंजीकृत कारपोरेट एजेंट इन विनियमों की अपेक्षाएँ पूरी करते हुए किसी अन्य श्रेणी के लिए भी प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रदान किये जाने के लिए आवेदन कर सकता है। तथापि, ऐसा आवेदन पहले पंजीकरण प्रदान करने से एक वर्ष पूरा करने के बाद ही किया जाएगा।

(3) यदि इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन जारी किया गया अथवा इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट कारणों से निरस्त किया जाता है/अभ्यर्पित किया जाता है अथवा नवीकरण अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक पंजीकरण प्रदान करने के लिए नया आवेदन प्राधिकरण के विचारार्थ पंजीकरण के ऐसे निरसन/ अभ्यर्पण अथवा नवीकरण की अस्वीकृति की प्रभावी तारीख से एक वर्ष के समाप्त होने के बाद ही कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर इन विनियमों के विनियम 7 के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

10. **पंजीकरण की विधिमान्यता** – एक बार जारी किया गया पंजीकरण उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि इन विनियमों के अनुसरण में उसे लंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

11. **पंजीकरण का नवीकरण** – (1) कारपोरेट एजेंट पंजीकरण की समाप्ति से तीस दिन के अंदर पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्राधिकरण को आवश्यक शुल्क के साथ फार्म ए में आवेदन कर सकता है।

तथापि, शर्त यह होगी कि यदि उक्त आवेदन प्राधिकरण के पास उस अवधि के बाद, परंतु वर्तमान पंजीकरण की वास्तविक समाप्ति से पहले पहुँचता है, तो प्राधिकरण को एक सौ रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क और लागू कर देय होंगे।

आगे यह भी शर्त होगी कि विलंब के लिए आवेदक द्वारा लिखित में प्रस्तुत किये गये पर्याप्त कारणों के लिए जो पूर्ववर्ती परंतुक द्वारा समाविष्ट न किये गये हों, प्राधिकरण नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन आवेदक द्वारा सात सौ पचास रुपये का एक अतिरिक्त शुल्क और लागू करों का भुगतान करने पर पंजीकरण की समाप्ति की तारीख के बाद स्वीकार कर सकता है।

टिप्पणी: कारपोरेट एजेंट को पंजीकरण के नवीकरण के लिए पंजीकरण की समाप्ति से नब्बे दिन पहले आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति है।

(2) प्रधान अधिकारी और विनिर्दिष्ट व्यक्ति पंजीकरण के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले एक अनुमोदित संस्था द्वारा दिया गया कम से कम पच्चीस घंटे का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करेंगे।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई विनियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट तरीके से ही की जाएगी।

(4) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक पंजीकरण के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए फार्म सी में पंजीकरण का नवीकरण करेगा और आवेदक को सूचना प्रेषित करेगा।

12. प्रक्रिया जहाँ पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया हो - (1) जहाँ विनियम 4 के अधीन पंजीकरण प्रदान करने के लिए अथवा विनियम 11 के अधीन उसके नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 7 के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने अथवा उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक आवेदक को अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाता।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने अथवा उसका नवीकरण करने के लिए अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर वे कारण बताते हुए दी जाएगी जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से संतुष्ट कोई भी आवेदक उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश की प्रति अपने द्वारा प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सेक्यूरिटीज़ अपील ट्रिब्युनल) को अपील, ऐसे अपील के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार कर सकता है।

13. पंजीकरण प्रदान करने से अस्वीकृति का प्रभाव - कोई भी आवेदक, जिसका विनियम 4 के अधीन पंजीकरण प्रदान करने के लिए अथवा विनियम 11 के अधीन उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, विनियम 12(2) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख को और उस तारीख से कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा। तथापि, वह पहले से अपने द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगातार बाध्य रहेगा। इस प्रकार की सेवा उन वर्तमान संविदाओं के समाप्त होने की अवधि तक जारी रहेगी, जो समाप्त की गई हों, अथवा छह महीने की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, जिस समय के अंदर वे संबंधित बीमाकर्ता के साथ उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

14. कारपोरेट एजेंट को पंजीकरण प्रदान करने के लिए शर्तें:

विनियम 9 के अधीन प्रदान किया गया पंजीकरण अथवा विनियम 11 के अधीन प्रदान किया गया नवीकरण *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (i) इन विनियमों के अधीन पंजीकृत कारपोरेट एजेंट को केवल उपर्युक्त विनियम (3) में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और सेवा करने के लिए ही अनुमति होगी।
- (ii) कारपोरेट एजेंट अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और किन्हीं भी अन्य अनुदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा;
- (iii) कारपोरेट एजेंट, यदि उनके द्वारा प्राधिकरण को पूर्व में प्रस्तुत कोई भी सूचना अथवा विवरण किसी महत्वपूर्ण ब्योरे के संबंध में असत्य या भ्रामक पाया जाता है अथवा पहले से ही प्रस्तुत जानकारी में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो प्राधिकरण को तत्काल लिखित में सूचित करेगा;
- (iv) कारपोरेट एजेंट अपने ग्राहकों की शिकायतों का निवारण ऐसी शिकायत की प्राप्ति से 14 दिन के अंदर करने के लिए पर्याप्त कदम उठायेगा तथा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्मेट और पद्धति में ऐसे ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्वरूप और अन्य विवरण के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा;
- (v) कारपोरेट एजेंट अपने संसाधनों और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप उचित संख्या में बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और प्राप्ति करेगा;

- (vi) कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में अभिलेखों का रखरखाव करेगा जिनमें पॉलिसी-वार और विनिर्दिष्ट व्यक्ति-वार ब्योरे निहित होंगे जिनमें कारपोरेट एजेंट द्वारा अपेक्षित प्रत्येक पॉलिसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के साथ संबद्ध किया गया हो, केवल उन उत्पादों को छोड़कर जो सरल हों, जिनका विक्रय काउंटर पर किया गया हो और प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित हों। कारपोरेट एजेंट ऐसी प्रणालियाँ स्थापित करेगा जिनसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे अभिलेखों और विवरण तक नियमित रूप से पहुँच हो सके;
- (vii) कारपोरेट एजेंट किसी भी परिस्थिति में बीमा उत्पादों की अपेक्षा के लिए बहु-स्तरीय विपणन नहीं करेगा;
- (viii) कारपोरेट एजेंट अपने निदेशकों, प्रधान अधिकारी और विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए लागू आचरण-संहिता का पालन सुनिश्चित करेगा;
- (ix) कारपोरेट एजेंट विनियम 31 में विनिर्दिष्ट रूप में अपने कारपोरेट एजेंसी व्यवसाय के लिए अलग लेखा-बहियों का अनुरक्षण करेगा;

15. पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) का निर्गम - (1) पंजीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक हजार रुपये के शुल्क और लागू करों के भुगतान के साथ तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र के निर्गम और उसके खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक घोषणा सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर कि मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है, फार्म बी में पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) उस पर पृष्ठांकन करते हुए कि यह अनुलिपि है, जारी करेगा।

16. वैध पंजीकरण के बिना कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करनेवाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई -

(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध पंजीकरण को धारण किये बिना कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के बावजूद और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अधीन अथवा वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य विधि के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहाँ उप-विनियम (1) के अंतर्गत आनेवाला व्यक्ति एक कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण के द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी और फर्म का प्रत्येक भागीदार जो इस प्रकार के उल्लंघन का जान-बूझकर पक्षकार है, भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

17. शुल्क का भुगतान और शुल्क अदा न करने के परिणाम - (1) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय और उसका नवीकरण करते समय 10,000/- रुपये का वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा। उक्त शुल्क हैदराबाद में देय 'भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' के नाम आहरित आदाता खाता (अकाउंट पेई) ड्राफ्ट अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यताप्राप्त इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण द्वारा देय होगा। उक्त शुल्क हैदराबाद में देय 'बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण' के नाम आहरित आदाता खाता (अकाउंट पेई) ड्राफ्ट द्वारा देय होगा। आवेदन शुल्क के बिना किसी भी आवेदन के संबंध में कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) प्राधिकरण से पंजीकरण प्रदान करने के लिए सूचना प्राप्त होने पर आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर 25,000/- रुपये के शुल्क और लागू करों का भुगतान करेगा। उक्त शुल्क की प्राप्ति पर और पंजीकरण प्रदान करने के लिए शर्तों का अनुपालन करने के बाद प्राधिकरण उस श्रेणी के अंतर्गत, जिसके लिए आवेदन किया गया हो, कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रदान करेगा।

(3) नवीकरण के लिए आवेदन करने का इच्छुक कारपोरेट एजेंट 25,000/- रुपये के शुल्क और लागू करों के भुगतान के साथ निर्धारित फार्मेट में नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

18. पारिश्रमिक - (1) कारपोरेट एजेंट को पारिश्रमिक का भुगतान अथवा कारपोरेट एजेंट द्वारा पारिश्रमिक की प्राप्ति को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(2) जिन कारपोरेट एजेंटों को आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसकरण) विनियम, 2002 के अधीन लाइसेंस प्रदान किया गया है, उन्हें उन विनियमों के अधीन उनके द्वारा किसी स्रोत से जनित और प्राप्त व्यवसाय हेतु पारिश्रमिक प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे इन विनियमों के विनियम 24(2) में विनिर्दिष्ट रूप में अपने ग्राहकों की सेवा करना लगातार जारी रखें। यदि ऐसे कारपोरेट एजेंट इन विनियमों के अधीन पंजीकृत किये जाने के इच्छुक हैं तो वे विनियम 31 में विनिर्दिष्ट रूप में अपनी लेखा-बहियों में पुरानी संविदाओं और नई संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त पारिश्रमिक को अलग-अलग प्रकट करेंगे।

19. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे की अपेक्षा -

(1) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट, जहाँ बीमा मध्यस्थता कार्यकलापों से राजस्व सभी कार्यकलापों से उनके कुल राजस्व के पचास प्रतिशत से अधिक है, वहाँ प्राधिकरण द्वारा उसे प्रदान किये गये पंजीकरण की पूरी वैधता-अवधि के दौरान एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा प्राप्त करेगा और उसे हर समय बनाये रखेगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये पंजीकृत कारपोरेट एजेंट को इस बात की अनुमति देगा कि वह मूल पंजीकरण जारी करने की तारीख से बारह महीने के अंदर ऐसी पॉलिसी प्रस्तुत करे।

(2) क्षतिपूर्ति की सीमा, न्यूनतम पंद्रह लाख रुपये और अधिकतम एक सौ करोड़ रुपये के अधीन, एक वर्ष में उनके बीमा मध्यस्थता कार्यकलापों से प्राप्त कारपोरेट एजेंट के कुल वार्षिक पारिश्रमिक की दुगुनी होगी।

(3) उक्त व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी की बीमा-रक्षा की सीमा तथा अन्य शर्तें इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट हैं।

20. खुली संरचना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति - (1) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण के पास पंजीकरण की अपेक्षा करने के समय बीमा उत्पादों की अपेक्षा और सर्विसिंग के तरीके के संबंध में बोर्ड अथवा उसके समकक्ष स्तर पर अनुमोदित नीति दाखिल करेगा। यह नीति खुली संरचना के दर्शन को अपनाने और उसे कार्यान्वित करने में अग्रसर होने के तरीके को स्पष्ट करेगी। उक्त नीति अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट एजेंट द्वारा एकल अथवा बहुविध सहबद्धताएँ (टाई-अप्स), सहबद्धताओं में भागीदार, व्यवसाय-मिश्रण, बेचे गये उत्पादों के प्रकार, शिकायत निवारण व्यवस्था और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को रखने में अनुसरण किये जानेवाले दृष्टिकोण को शामिल करेगी।

(2) कारपोरेट एजेंट प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल से पहले प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेटों में जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमे के संबंध में अलग-अलग रखे गये व्यवसाय की बीमाकर्ता-वार छमाही विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत की गई उक्त विवरणियों की जाँच-पड़ताल करने के बाद प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट को ऐसे निदेश अथवा परामर्श जारी कर सकता है जो वह आवश्यक समझे तथा उसका पालन कारपोरेट एजेंट करेगा।

21. हितों का संघर्ष - बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्रापण करते समय कारपोरेट एजेंट निम्नलिखित का पालन करेगा:

(i) कारपोरेट एजेंट, जिसकी सहबद्धता (टाई-अप) व्यवसाय की किसी विशेष व्यवस्था में एक से अधिक बीमाकर्ताओं के साथ हो, भावी ग्राहकों को उन बीमाकर्ताओं की सूची प्रकट करेगा जिनके साथ उत्पादों का वितरण करने के लिए उनकी व्यवस्था है तथा उन्हें बीमा-रक्षा का विस्तार, पॉलिसी की अवधि, देय प्रीमियम, प्रीमियम की शर्तें और कोई भी अन्य सूचना जो उनके पास उपलब्ध सभी उत्पादों के संबंध में ग्राहक चाहें, उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, यदि संभावित ग्राहक जानना चाहे, तो प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन का मान प्रकट करेगा।

(ii) जहाँ बीमे का विक्रय एक प्रधान व्यावसायिक उत्पाद के साथ एक अनुषंगी उत्पाद के रूप में किया जाता है, वहाँ कारपोरेट एजेंट अथवा उसका शेयरधारक अथवा उसके सहयोगी प्रधान व्यावसायिक उत्पाद के खरीदार को इस बात के लिए विवश नहीं करेंगे कि वह आवश्यक रूप से बीमा उत्पाद की खरीद उनके माध्यम से करे। कारपोरेट एजेंट का प्रधान अधिकारी अथवा सीएफओ (अथवा उसका समकक्ष) यह प्रमाणित करते हुए छमाही आधार पर अनुसूची VIII में दिये गये फार्मेट में एक प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा कि किसी भी संभावित ग्राहक को किसी बीमा उत्पाद की जबरन बिक्री नहीं की गई है।

(iii) कोई भी बीमाकर्ता कारपोरेट एजेंट से प्रत्येक ग्राहक का बीमा उसके पास करने की अपेक्षा नहीं करेगा।

22. प्राधिकरण को प्रकटीकरण

- (1) कारपोरेट एजेंट बनने का इच्छुक आवेदक आवेदनपत्र दाखिल करने के समय आवेदन के संबंध में विचारार्थ संगत सभी तथ्य प्राधिकरण को स्वयं ही प्रकट करेगा। आवेदन दाखिल करने के बाद अथवा आवेदन पर कार्रवाई के दौरान उनके आवेदन पर विचार किये जाने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में प्राधिकरण के विचारार्थ आवेदक द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तन का प्रकटीकरण किया जाएगा।
- (2) इसी प्रकार, कारपोरेट एजेंट जो प्राधिकरण द्वारा जारी वैध पंजीकरण धारित करता है, पंजीकरण के निर्गम के बाद जिन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर उसे पंजीकरण प्रदान किया गया है, उनमें किसी भी परिवर्तन का स्वैच्छिक रूप से प्रकटीकरण प्राधिकरण को एक उचित समय में, परंतु ऐसे परिवर्तन के घटित होने से 30 दिन के अंदर करेगा। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर प्राधिकरण कोई भी स्पष्टीकरण माँग सकता है अथवा उसके द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले निदेश जारी कर सकता है।
- (3) कारपोरेट एजेंट अन्य विनियामक अथवा सरकारी निकायों द्वारा उनके विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही का प्रकटीकरण प्राधिकरण को एक उचित समय में, परंतु ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ होने से 30 दिन के अंदर करेगा। ऐसे अन्य निकायों द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई अथवा जारी किये गये किसी भी निदेश का भी प्रकटीकरण प्राधिकरण को ऊपर निर्धारित समय-सीमाओं के अंदर किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसी सूचना अथवा विवरणी प्रस्तुत करे जो उपयुक्त समझी जाएगी।
- (5) कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण को ऐसे कार्यालयों का विवरण जिनमें बीमा उत्पादों का वितरण करने का वे प्रस्ताव करते हैं तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का विवरण प्राधिकरण द्वारा जारी की गई उनकी प्रमाणपत्र संख्या सहित प्रकट करेगा। इसके अलावा, कारपोरेट एजेंट द्वारा किसी भी कार्यालय को प्रारंभ करने अथवा समाप्त करने की सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी। प्राधिकरण अपने द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली अतिरिक्त सूचना माँग सकता है।
- (6) ऊपर निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर विनियामक कार्रवाई आवश्यक होगी, जैसे पंजीकरण का निलंबन अथवा निरसन, आर्थिक दंड लागू करना अथवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य कार्रवाई।

23. उत्पादों के वितरण के लिए बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्था

- क) इन विनियमों के अधीन पंजीकृत कारपोरेट एजेंटों को बीमाकर्ताओं के साथ उनके उत्पादों के वितरण के लिए व्यवस्था करनी होगी। इन व्यवस्थाओं का प्रकटीकरण प्राधिकरण को ऐसी व्यवस्थाएँ करने से 30 दिन के अंदर करना होगा। ऐसी व्यवस्था की न्यूनतम अवधि एक वर्ष के लिए होगी;
- ख) ऐसी व्यवस्थाएँ करते समय, न तो कोई कारपोरेट एजेंट यह वचन देगा और न ही कोई बीमाकर्ता कारपोरेट एजेंट को इस बात के लिए विवश करेगा कि वह एक विशेष बीमाकर्ता के उत्पादों का ही वितरण करे;
- ग) व्यवस्थाओं के संबंध में ऐसे प्रावधान होंगे जिनमें पॉलिसीधारकों के प्रति कारपोरेट एजेंटों के कर्तव्य और दायित्व, बीमाकर्ताओं और कारपोरेट एजेंटों के कर्तव्य और दायित्व, व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए शर्तें शामिल होंगी;
- घ) पॉलिसीधारकों के हितों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी;
- ङ) यदि कोई कारपोरेट एजेंट किसी बीमाकर्ता के साथ व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, तो वह व्यवस्था के समापन के लिए कारण बीमाकर्ता और प्राधिकरण को सूचित करने के बाद ऐसा कर सकता है। ऐसे मामलों में वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अपेक्षित और बीमाकर्ता के पास रखी गई पॉलिसियों की सर्विसिंग पॉलिसियों की समाप्ति तक अथवा छह महीने की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, की जाए जिस समय के अंदर वे संबंधित बीमाकर्ता के साथ उपयुक्त व्यवस्था करेंगे;
- च) यदि कोई बीमाकर्ता किसी कारपोरेट एजेंट के साथ व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, तो वे व्यवस्था के समापन के लिए कारण कारपोरेट एजेंट और प्राधिकरण को सूचित करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित बीमाकर्ता कारपोरेट एजेंट द्वारा प्राप्त की गई पॉलिसियों की सर्विसिंग का दायित्व लेगा। ऐसे सभी मामलों में बीमाकर्ता संबंधित पॉलिसिधारक को सर्विसिंग की व्यवस्थाओं में किये गये परिवर्तनों की सूचना देगा;
- छ) उन अदायगियों को छोड़कर जो संबंधित विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमति-प्राप्त हैं, अपना कारपोरेट एजेंट बनने के लिए कोई हस्ताक्षर शुल्क (साइनिंग फी) अथवा अन्य कोई प्रभार, चाहे किसी भी नाम से अभिहित हों, न तो कोई बीमाकर्ता अदा करेगा और न ही कोई कारपोरेट एजेंट प्राप्त करेगा;
- ज) कोई भी बीमाकर्ता कारपोरेट एजेंटों के प्रधान अधिकारी, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और अन्य कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से किन्हीं प्रोत्साहनों (नकदी अथवा गैर-नकदी) का भुगतान नहीं करेगा;

झ) प्राधिकरण, किसी भी समय, वितरण की व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए इसके लिए कारण अभिलिखित करते हुए किसी भी बीमाकर्ता अथवा कारपोरेट एजेंट को निदेश दे सकता है।

24. पॉलिसीधारकों की सर्विसिंग

(1) इन विनियमों के अधीन पंजीकृत कारपोरेट एजेंट का कर्तव्य होगा कि वह संविदा की समूची अवधि के दौरान अपने पॉलिसीधारकों की सेवा करे। सर्विसिंग के अंतर्गत अधिनियम की धारा 64बीबी के तहत अपेक्षित प्रीमियम के भुगतान में सहायता करना, दावा करने की दशा में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, बीमा संविदा की अवधि के दौरान उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के संबंध में सभी अन्य सेवाएँ और मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है।

(2) आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसिंग) विनियम, 2002 के अधीन लाइसेंसप्राप्त कारपोरेट एजेंटों के मामले में वे इन विनियमों के विनियम 1(3) का अनुपालन करेंगे। तथापि, वे इस विनियम के उप-खंड (1) के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार अपने वर्तमान पॉलिसीधारकों की सेवा करना ऐसी पॉलिसियों की अवधि की समाप्ति तक अथवा छह महीने की अवधि के लिए, जो भी पहले हो, जारी रखेंगे जिस समयावधि के अंदर वे उक्त संविदाओं की सर्विसिंग के लिए संबंधित बीमाकर्ता के साथ उपयुक्त व्यवस्थाएँ करेंगे। उक्त व्यवस्थाओं के साथ ऐसी संविदाओं का विवरण प्राधिकरण को ऐसी व्यवस्थाएँ करने के तीस दिन के अंदर प्रकट किया जाएगा।

25. दूरस्थ विपणन (टेली-मार्केटिंग) पद्धति द्वारा बीमे का विक्रय और कारपोरेट एजेंट के दूरस्थ विपणन कार्यकलाप - (1) कारपोरेट एजेंट जो बीमा उत्पादों के विपणन के प्रयोजन के लिए दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) की सेवाएँ लेना अथवा दूरस्थ विपणन कार्यकलाप करना चाहता है, अनुसूची VII में निर्धारित रूप में अनुदेशों का अनुसरण करेगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना कारपोरेट एजेंट को दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) की सेवाएँ लेने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा:

i) कारपोरेट एजेंट द्वारा नियुक्त दूरविपणनकर्ता इस विषय में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और/या दिशानिर्देशों अथवा किसी भी अन्य निदेश का पालन करेगा;

ii) बीमा मध्यस्थता के लिए दूरस्थ विपणन कार्यकलाप करने के लिए इच्छुक कारपोरेट एजेंट इन विनियमों के अनुबंध 4 में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म में प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करेगा;

iii) इसके अलावा, कारपोरेट एजेंट इन विनियमों के अनुबंध 5 में विनिर्दिष्ट फार्म में दूरविपणनकर्ता द्वारा नियुक्त / नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित प्राधिकृत सत्यापकों के नाम प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा। प्राधिकरण इसका सत्यापन करने के बाद प्राधिकृत सत्यापक को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा;

iv) यदि कोई प्राधिकृत सत्यापक किसी अन्य दूरविपणनकर्ता के पास परिवर्तन करना चाहता है जो स्वयं भी बीमा मध्यस्थता में लगा है, तो वे पहले के दूरविपणनकर्ता से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करेंगे और वह नया प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। यदि वर्तमान दूरविपणनकर्ता इसके लिए आवेदन की तारीख से 30 दिन के अंदर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं करता, तो यह माना जाएगा कि उक्त दूरविपणनकर्ता को उनके परिवर्तन के लिए आपत्ति नहीं है;

v) प्राधिकृत सत्यापकों को हटाने अथवा बढ़ाने के लिए आवेदन संबंधित कारपोरेट एजेंट द्वारा प्रधान अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा;

vi) यदि कारपोरेट एजेंट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के पास दूरविपणनकर्ता के रूप में पंजीकरण करवाता है, तो उक्त कारपोरेट एजेंट केवल उन्हीं बीमाकर्ताओं के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य करेगा जिनके साथ उसकी व्यवस्था है;

vii) कोई भी कारपोरेट एजेंट अथवा उसका दूरविपणनकर्ता किसी व्यक्ति को निर्गामी (आउटबाउण्ड) कॉल नहीं करेगा, जब तक कि उसने इस आशय की पूछताछ करने के द्वारा बीमा पॉलिसी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई हो। वे ऐसे व्यक्तियों और की गई पूछताछ का डेटाबेस प्राधिकरण अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा सत्यापन और जाँच के लिए बनाये रखेंगे;

viii) दूरविपणनकर्ता भावी ग्राहक को निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा-

(क) उस कारपोरेट एजेंट का नाम जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ख) कारपोरेट एजेंट की पंजीकरण संख्या;

(ग) दूरविपणनकर्ता और/या कारपोरेट एजेंट की संपर्क संख्या यदि ग्राहक वापस कॉल करना अथवा दूरविक्रय (टेलीसेल्स) संबंधी सूचना का सत्यापन करना चाहता हो;

(घ) दूर से कॉल करनेवाले व्यक्ति (प्राधिकृत सत्यापक) का नाम और पहचान संख्या;

ix) दूरविपणनकर्ता को नियुक्त करनेवाला कारपोरेट एजेंट दूरविपणनकर्ता के साथ एक करार करेगा और उक्त करार में पूरा विवरण उपलब्ध होगा, जैसे डेटाबेस का स्रोत, कर्तव्य और दायित्व, भुगतान का ब्योरा, करार की अवधि, अधिनियम, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निदेशों, प्राधिकृत सत्यापकों के लिए आचरण-संहिता का उल्लंघन होने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाइयाँ। जब भी आवश्यक हो तब ये करार सत्यापन हेतु प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराये जाएँगे;

x) प्रत्येक दूरविपणनकर्ता और प्राधिकृत सत्यापक इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रूप में कारपोरेट एजेंटों के लिए लागू आचरण-संहिता का पालन करेंगे;

xi) प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह दूरविपणनकर्ता के परिसर अथवा किसी अन्य परिसर, जो अभिलेखों/ दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्राधिकरण आवश्यक समझता हो, का निरीक्षण करे तथा किसी भी दस्तावेज/ अभिलेख की माँग करे, दूरविपणनकर्ता के किसी भी कर्मचारी के वक्तव्य को रिकॉर्ड करे अथवा अपने विवेकानुसार किन्हीं भी दस्तावेजों/ अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ बनाये;

xii) दूरविपणनकर्ता को इस विषय में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

(3) एक दूरविपणनकर्ता तीन से अधिक बीमाकर्ताओं अथवा बीमा संबंधी संस्थाओं के साथ कार्य नहीं करेगा।

26. कारपोरेट एजेंटों के लिए आचरण-संहिता- (1) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का पालन करेगा।

(2) कारपोरेट एजेंट इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के उल्लंघन सहित अपने प्रधान अधिकारी, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और अन्य कर्मचारियों के सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए उत्तरदायी होगा तथा अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के अधीन अर्थदंड के लिए जिम्मेदार होगा जो एक करोड़ रुपये तक विस्तृत हो सकता है।

27. कारपोरेट एजेंट का निरीक्षण:

प्राधिकरण को किसी भी समय कारपोरेट एजेंट के अभिलेखों और उसकी गतिविधियों के कार्यनिष्पादन का निरीक्षण करने का अधिकार है तथा यदि कोई कमी पाई जाती है तो प्राधिकरण उचित अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। कारपोरेट एजेंट के निरीक्षण और लेखा-परीक्षा के लिए लागू क्रियाविधि इन विनियमों की अनुसूची IV में उल्लिखित है।

28. कारपोरेट एजेंट के लिए किये गये पंजीकरण का निलंबन, निरसन अथवा अभ्यर्पण:

पंजीकरण के निलंबन, निरसन अथवा अभ्यर्पण के लिए क्रियाविधि इन विनियमों की अनुसूची V में निर्धारित रूप में होगी।

29. कारपोरेट एजेंट के स्वामित्व और/या शेयरधारिता, नाम में परिवर्तन:

(1) ऐसे कारपोरेट एजेंट के मामले में, जिसका संस्थापन केवल बीमा मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए किया गया है, प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना स्वामित्व और/या 25% से अधिक शेयरधारिता में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(2) कारपोरेट एजेंट अपने नाम में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा।

30. अभिलेखों का अनुरक्षण:

कारपोरेट एजेंट इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेखों सहित, निम्नलिखित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा प्राधिकरण द्वारा जब भी अपेक्षा की जाएगी तब इन्हें उपलब्ध कराएगा -

(i) ग्राहक के अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अभिलेख, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और धन-शोधन निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है;

- (ii) कारपोरेट एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एसीआर सहित, ग्राहक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और बीमाकर्ता को प्रस्तुत प्रस्ताव फार्म की प्रतिलिपि;
- (iii) एक रजिस्टर जिसमें ग्राहकों की सूची, पॉलिसी का विवरण जैसे पॉलिसी का प्रकार, प्रीमियम राशि, पॉलिसी जारी करने की तारीख, प्राप्त प्रभार अथवा शुल्क निहित हो;
- (iv) एक रजिस्टर जिसमें शिकायतों का विवरण निहित हो जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत का स्वरूप, निर्गत/अपेक्षित पॉलिसी का ब्योरा और उस पर की गई कार्रवाई शामिल हो;
- (v) एक रजिस्टर जिसमें नाम, पता, टेलीफोन संख्या, फोटोग्राफ, नियोजन के प्रारंभ की तारीख, सेवा छोड़ने की तारीख, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अदा किया गया पारिश्रमिक निहित होगा;
- (vi) प्राधिकरण के साथ विनियम किये गये पत्र-व्यवहार की प्रतियाँ;
- (vii) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जानेवाला कोई अन्य अभिलेख।

31. लेखा-बहियों, अभिलेखों, आदि का अनुरक्षण - (1) कारपोरेट एजेंट जिसका निगमन केवल बीमा मध्यस्थता के प्रयोजनों के लिए ही किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित लेखा-बहियाँ तैयार करेगा -

- (i) प्रत्येक लेखा अवधि की समाप्ति पर विद्यमान स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र और स्थिति-विवरण;
- (ii) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा;
- (iii) नकदी/निधि प्रवाह का विवरण;
- (iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किये जानेवाले अतिरिक्त विवरण।

टिप्पणी 1 : इस विनियम के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष 12 महीने का (अथवा जहाँ व्यवसाय 1 अप्रैल के बाद प्रारंभ किया जाता है वहाँ कम) होगा जो वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रारंभ होगा और अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा, तथा लेखों का अनुरक्षण उपचय के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी 2 : उनके वित्तीय विवरणों की एक अनुसूची होगी जिसमें कारपोरेट एजेंट द्वारा बीमाकर्ताओं और बीमाकर्ता की समूह कंपनियों से प्राप्त समस्त आय का बीमाकर्ता-वार विवरण और साथ ही, किसी भी बीमाकर्ता से कारपोरेट एजेंट की समूह कंपनियों द्वारा प्राप्त भुगतानों का विवरण और/या सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्राप्त भुगतानों का विवरण तथा उसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाएगा।

- (क) उप-विनियम (1) में बताये गये अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षित प्रति उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट सहित प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी तथा उसके साथ व्यवसाय का संचालन, लेखों की स्थिति आदि पर लेखा-परीक्षकों की अभ्युक्तियाँ अथवा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, दी जाएँगी तथा ऐसी टिप्पणियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये ऐसे लेखों के साथ दिया जाएगा।
- (ख) लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के अंदर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएँगे और प्राधिकरण को सूचित किये जाएँगे।
- (ग) सभी लेखा-बहियों, विवरणों, दस्तावेजों आदि का रखरखाव कारपोरेट एजेंट के प्रधान कार्यालय अथवा प्राधिकरण द्वारा नामोद्दिष्ट और अधिसूचित ऐसे अन्य शाखा कार्यालय में किया जाएगा तथा ये सभी कार्यदिवसों में निरीक्षण के लिए इस उद्देश्य हेतु प्राधिकरण के ऐसे प्राधिकृत अधिकारियों के लिए उपलब्ध होंगे।
- (घ) इस विनियम में उल्लिखित और कारपोरेट एजेंट द्वारा अनुरक्षित सभी बहियाँ, दस्तावेज, विवरण, संविदा नोट आदि उनके संबंधित वर्ष की समाप्ति से दस वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए रखे जाएँगे। तथापि, उन मामलों से संबंधित दस्तावेज जहाँ दावे सूचित किये गये हों और उनका निपटान न्यायालयों के निर्णय के लिए लंबित हो, वहाँ यह अपेक्षित है कि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा मामलों का निपटान होने तक रखे जाएँ।

(2) उन कारपोरेट एजेंटों के मामलों में जिनका प्रधान व्यवसाय बीमा मध्यस्थता को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय है, वे बीमा मध्यस्थता के लिए प्राप्त राजस्व और बीमाकर्ताओं से प्राप्त अन्य आय के व्योरे से युक्त खंड-वार सूचना-प्रणाली बनाये रखेंगे।

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता जो कारपोरेट एजेंट की सेवाएँ लेता है, ऐसे सभी कारपोरेट एजेंटों के लिए अनुसूची VIए में दिये गये फार्मेट में अलग-अलग प्रमाणपत्र प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा जिस पर सीईओ और सीएफओ के हस्ताक्षर होने चाहिए। कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी और सीएफओ (अथवा उसके समकक्ष) से एक ऐसा ही प्रमाणपत्र अनुसूची VIबी में दिये गये रूप में बीमाकर्ता से प्राप्त कमीशन / पारिश्रमिक को विनिर्दिष्ट करते हुए प्राधिकरण के पास दाखिल किया जाएगा।

32. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार:

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण, निदेश और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

33. सामान्य:

(1) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से इन विनियमों के विनियम 1(3) में यथाविनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता, जब तक कि इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाता।

(2) कारपोरेट एजेंट और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच कारपोरेट एजेंट के रूप में उसकी नियुक्ति की अवधि के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति के द्वारा प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है; तथा उक्त शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत की जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों की शर्तों के अनुसार जाँच-पड़ताल अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण आयोजित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/161/15(178)]

अनुसूची I

फार्म ए

[विनियम 4 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

फार्म भरने के लिए अनुदेश:

- 1) यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए।
- 2) आवेदक अवश्य विधिवत् भरा हुआ आवेदन फार्म सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
- 3) आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो।
- 4) आवेदक आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करें।
- 5) जहाँ सूचना अधिक विस्तार से देने की आवश्यकता हो वहाँ अलग पत्रकों (शीटों) पर देकर आवेदन फार्म के साथ संलग्न करें।

आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम:

1.2 पता - व्यवसाय का प्रधान स्थान / पंजीकृत कार्यालय।

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन सं.	फैक्स सं.
वेबसाइट पता	

1.3 पत्र-व्यवहार के लिए पता:

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन सं.	फैक्स सं.

1.4 प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम:

1.5 प्रस्तावित / वर्तमान शाखा कार्यालय / कार्यालयों का विवरण जहाँ आवेदक बीमे का वितरण करने का प्रस्ताव करता है

स्थान	पता	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की शैक्षणिक अर्हता	विनिर्दिष्ट व्यक्ति का परीक्षा में उत्तीर्णता का प्रमाणपत्र संख्या

टिप्पणी: यदि आवेदक एक शाखा में एक से अधिक विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को रखना चाहता है, तो ऐसे सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा

2. संगठन - संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति:

(उदा. लिमिटेड कंपनी - निजी/सरकारी, एलएलपी/ सहकारी समिति। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम और नवीनतम शेयर मूल्य दिया जाए)

आवेदक की श्रेणी	पंजीकरण का विवरण	संस्थापन की तारीख दिन-माह-वर्ष	संस्थापन का स्थान	शेयर बाजारों के नाम (सूचीबद्ध कंपनी के मामले में)

2.2 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (प्रत्यक्ष रूप से आवेदक का अथवा सहयोगियों के साथ 5% और उससे अधिक धारण करने वाले) (यह सूचना विनियमों की श्रेणी 4(1)(ii) के अंतर्गत आने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने की अपेक्षा है)

(तारीख) को विद्यमान शेयरधारिता		
शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूंजी का प्रतिशत (%)

2.3 निदेशकों / भागीदारों का विवरण

नाम	पदनाम/ स्थिति	अर्हता	आवेदक कंपनी में शेयर	अन्य कंपनियों में निदेशन

2.4 सहयोगी कंपनियों / संस्थाओं के नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/ निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों/ संस्था के किसी एक या उससे अधिक निदेशकों// शेयरधारकों का आवेदक के व्यवसाय में हित है। यदि हाँ, तो हित का स्वरूप प्रस्तुत करें।

2.5 आवेदक के प्रधान बैंकर का नाम और पता -

(यदि आवेदक कोई बैंक है, तो केवल उसी स्थिति में विवरण दें जहाँ प्रधान बैंकर आवेदक को छोड़कर कोई अन्य है)

2.6 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता

3. व्यवसाय संबंधी सूचना

3.1 प्रत्येक श्रेणी में प्रीमियमों के तौर पर व्यवसाय की पूर्वानुमानित मात्रा के साथ तीन वर्षों का व्यवसायिक योजना दस्तावेज

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	जीवन बीमा	साधारण बीमा	स्वास्थ्य बीमा

3.2 कार्यात्मक दायित्व अलग से दर्शाने वाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाए

3.3 बुनियादी संरचना का विवरण जैसे आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रम शक्ति।

3.4 आवेदक द्वारा की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी जाने वाली कोई अन्य सूचना

4. वित्तीय सूचना :-

(यह सूचना ऐसे आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने की अपेक्षा है जो इन विनियमों के विनियम 4(1)(ii) के अंतर्गत आता है)

4.1 पूँजी विन्यास (लाख रुपये)

पूँजी विन्यास	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के पहले का वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
क) प्राधिकृत पूँजी ख) निर्गम पूँजी ग) चुकता पूँजी घ) निर्वंध आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों को छोड़कर) ङ) कुल (ग) + (घ) टिप्पणी:- 1. एलएलपी के मामले में, आहरणों और/या भागीदारों को ऋणों को घटाकर पूँजी निर्दिष्ट करें। 2. एलएलपी के मामले में, भागीदारों की वित्तीय स्थिति, साधन और निवल मालियत (नेट वर्थ) निर्दिष्ट करें।			

4.2 आवेदक कंपनी की निवल मालियत (नेट वर्थ) (रुपये लाख में)

टिप्पणी: कृपया आवेदक की निवल मालियत (नेट वर्थ) को प्रमाणित करने वाला सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का प्रमाणपत्र संलग्न करें। यह प्रमाणपत्र नवीनतम होना चाहिए और तीस दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

5. अन्य सूचना, यदि कोई हो

5.1 सभी निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित / निपटाये गये

"यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें"

5.2 आवेदक अथवा उसके किसी निदेशक द्वारा किये गये किन्हीं आर्थिक अपराधों के संबंध में दायर किये गये मामलों, यदि कोई हों, और/या पिछले तीन वर्षों में किसी अन्य विनियमनकर्ता अथवा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई / प्रारंभ की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण

5.3 योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) की घोषणा (अनुबंध 1 के अनुसार)

6. संलग्न दस्तावेज (अनुबंध 2 के अनुसार)

7. शुल्क का भुगतान:

भुगतान का विवरण:

बैंक का नाम:

भुगतान की विधि: एनईएफटी / आरटीजीएस

भुगतान की तारीख:

संख्या के साथ लेन-देन का विवरण:

टिप्पणी: आईआरडीएआई (कापोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 17 में विनिर्दिष्ट रूप में एक वापस न करने योग्य शुल्क और सेवा कर

8. वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को अतीत में पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है अथवा नहीं

व्यक्ति का नाम	आवेदक के साथ संबंध	तारीख और अस्वीकृति के लिए कारण

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, 'अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध' का आशय किसी व्यक्ति के मामले में रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक की कोई सहयोगी संस्था, अनुषंगी संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह विशेष की कंपनी से है

8.2 आवेदक के प्रधान अधिकारी की योग्यता और अनुभव का विवरण

प्रधान अधिकारी का विवरण			
पूरा नाम		उल्लेख करें श्री/ श्रीमती	
पता			
जन्म-तिथि		फोन संख्या	
राष्ट्रीयता		सेल सं.	
संगठन में स्थिति		फैक्स सं.	
वर्तमान स्थिति में कब से है		ई-मेल आईडी	
कर्तव्यों / दायित्वों का विवरण			
अर्हताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ			
संस्थान का नाम	देश	अर्हता	अध्ययन का वर्ष
व्यावसायिक योग्यता			
संस्थान का नाम	देश	अर्हता	अध्ययन का वर्ष
कार्य का अनुभव			
नियोजक का नाम	व्यवसाय का स्वरूप	पदनाम	कर्तव्यों का विवरण

8.3 विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा और प्रापण करने के लिए जिम्मेदार होंगे

नाम	पता	पैन/आधार सं.	योग्यता (बीमा संबंधी योग्यताओं सहित)	पिछला नियोजन	दायित्वों का विवरण	विनियमों के अनुसार परीक्षा निकाय द्वारा जारी परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाणपत्र

घोषणा

(इस घोषणा पर दो निदेशकों, दो भागीदारों, जैसी स्थिति हो, द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए)

मैंने/हम ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हैं/हैं कि

क) मैं/हम कारपोरेट एजेंसी के पंजीकरण के लिए पात्र हैं/हैं।

36404/15 - 3B

- ख) मैं/हम यह कहता हूँ/कहती हूँ/कहते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठा से और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त जानकारी प्रस्तुत की है जो मेरे/हमारे पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संगत मानी जा सकती है।
- ग) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस आवेदन फार्म में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।
- घ) मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम पंजीकरण की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूँगा/दूँगी/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- ङ) मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि पंजीकरण के निरस्तीकरण अथवा उसका नवीकरण न होने के समय बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- च) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया बीमा एजेंट का लाइसेंस अथवा बीमा दलाल का पंजीकरण अथवा कोई अन्य लाइसेंस/पंजीकरण नहीं है।

.....
के लिए और उनकी ओर से

.....

नाम
पदनाम

नाम
पदनाम

अनुबंध-1

[विनियम 7(2)(छ) देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

प्रधान अधिकारी/प्रबंध भागीदारों की घोषणा और वचन-पत्र

(प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)

क्रम सं.	योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो पूरा विवरण दें)
क)	क्या आप कभी किसी कानून के अंतर्गत सेबी, रिज़र्व बैंक, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एफएमसी आदि जैसे किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत हैं अथवा आपने उनसे लाइसेंस प्राप्त किया है	
ख)	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से कभी कारोबार संचालित किया है	
ग)	क्या कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय संचालित करने के संबंध में किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आपको कभी अस्वीकार किया गया है अथवा प्रतिबंधित किया गया है जिसके लिए कानूनन विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य प्राधिकार अपेक्षित है	
घ)	क्या कोई व्यावसायिक कार्यकलाप संचालित करने के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी आपके संबंध में निंदा अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की गई है अथवा आपको निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस देने या पंजीकरण करने से इनकार किया गया है	
ङ)	क्या कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा आप किसी जाँच अथवा अनुशासनिक	

	कार्यवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको चेतावनी या फटकार दी गई है	
च)	क्या कभी आपको किसी भी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी लंबित कार्यवाही के अधीन रहे हैं	
छ)	क्या कभी आपको किसी व्यवसाय / पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है	
ज)	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए पूर्व में लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा दोष-सिद्धि में परिणत अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
झ)	आवेदक के विरुद्ध पूर्व में लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा दोष-सिद्धि में परिणत आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
ञ)	क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित कोई भी अनर्हता आपके संबंध में लागू है?	
ट)	क्या सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के कहने पर आप किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
ठ)	क्या कभी आप सीमाशुल्क / उत्पाद-शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों / विनियमों / वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाये गये हैं? यदि हाँ, तो ब्योरा दें	
ड)	क्या कभी आप सेबी, आईआरडीएआई, एमसीए, पीएफआरडीए जैसे विनियमनकर्ता की जानकारी में प्रतिकूल रूप से आये हैं? (यद्यपि यह आवश्यक नहीं होगा कि उम्मीदवार विनियमनकर्ताओं द्वारा किये गये उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में इस स्तंभ में उल्लेख करे जो बाद में पूर्ण रूप से उलट दिये गये हों / रद्द किये गये हों, तथापि उनका उल्लेख करना आवश्यक होगा यदि उक्त विपर्यय/ निरसन, परिसीमन अथवा क्षेत्राधिकार के अभाव आदि जैसे तकनीकी कारणों से हो और गुण-दोष के आधार पर न हो। यदि विनियमनकर्ता का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया हो और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
ढ)	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया लाइसेंस रहा है?	
ण)	मद I और II के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / जानकारी तथा आवेदक की योग्यता और उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए संगत समझी गई कोई अन्य सूचना	

वचन-पत्र

मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं प्राधिकरण को यथाशीघ्र ऐसी सभी घटनाओं के बारे में पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ जो मेरी नियुक्ति के बाद घटित होंगी और जो ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना के साथ संबंधित होंगी।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक:

स्थान:

अनुबंध-2

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

नये कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए संलग्न किया जाने वाला प्रलेखीकरण

[विनियम 4 और फार्म ए का बिंदु 6 देखें]

क. पूर्ण आवेदनपत्र की प्रस्तुति।

- क) फार्म ए में की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना प्रस्तुत करना।
- ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 17 के अंतर्गत निर्धारित रूप में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा आवश्यक शुल्क का प्रेषण।
- ग) आवेदक के चार्टर संबंधी दस्तावेजों की प्रस्तुति (संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम / उप-नियम, जैसी स्थिति हो)
- घ) प्रधान अधिकारी, निदेशकों और प्रबंध भागीदारों से प्राप्त योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड की घोषणा 'अनुबंध 1 के अनुसार योग्यता और उपयुक्तता फार्म' में (प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग) दी जानी चाहिए।
- ङ) मूलभूत संरचना के समर्थक साक्ष्य, जैसे पंजीकृत कार्यालय तथा विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखा कार्यालयों के लिए स्थान/उपस्कर/प्रशिक्षित श्रमशक्ति, आदि के संबंध में स्वामित्व/ पट्टा करार संबंधी कागजात के साथ मूलभूत संरचना का विवरण।
- च) अगले 3 वर्ष के लिए पूर्वानुमानित प्रशासनिक व्यय, वेतन और मजदूरी तथा अन्य व्यय, राजस्व खाते से आहरण, लाभ-हानि खाते के पूर्वानुमान एवं पूर्वानुमानित तुलन-पत्र।
- छ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जोखिम-अंकन, जोखिम-निर्धारण, दावों का निपटान, विपणन, लेखे, बैंक ऑफिस आदि जैसे कंपनी के कार्यकलापों का पूरा चित्र देते हुए संगठन का चार्ट।
- ज) खुली संरचना के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति।
- झ) ऐसी किसी अन्य सूचना को अभिलिखित करें जो बीमा व्यवसाय के विकास और संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्वरूप से संबंधित हो।
- ञ) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ख. हस्ताक्षरकर्ता

- क) उपर्युक्त आवेदन फार्म और विभिन्न फार्मों पर आवेदक के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- ख) दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं। अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना शेयरधारिता के स्वरूप, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार अपेक्षित किसी अन्य विषय तथा प्राधिकरण के अभिमतों के आधार पर दी जाएगी।

ग. वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह आवेदन के संबंध में व्यवसाय की योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो।

अनुसूची II**[विनियम 19 देखें]****भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण****(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015****व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे का अनुरक्षण**

1. उक्त बीमा रक्षा अनिवार्यतः निम्नलिखित के विरुद्ध कारपोरेट एजेंट की क्षतिपूर्ति करेगी :
 - क. उनकी ओर से अथवा उनके कर्मचारियों और निदेशकों की ओर से कोई भी त्रुटि अथवा चूक अथवा उपेक्षा;
 - ख. किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप धनराशि अथवा अन्य संपत्ति की कोई भी हानि जिसके लिए कारपोरेट एजेंट कानूनी तौर पर जिम्मेदार है;
 - ग. दस्तावेजों की कोई भी हानि तथा ऐसे दस्तावेजों को प्रतिस्थापित अथवा पुनःस्थापित करने में लागतें और किये गये व्यय;
 - घ. कारपोरेट एजेंट के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा किये गये बेईमान अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूकें।
 2. उक्त क्षतिपूर्ति की रक्षा :
 - क. पंजीकरण की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;
 - ख. उसमें इस आशय की कोई शर्तें निहित नहीं होंगी कि दावों के भुगतान, देयता को पहले कारपोरेट एजेंट द्वारा पूरा किये जाने पर निर्भर होंगे;
 - ग. बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में इस बात का विचार किये बिना क्षतिपूर्ति करेगी कि दावे को उत्पन्न करने वाली घटना किस समय घटित हुई है।
- बशर्ते कि उपर्युक्त अपेक्षाओं के लिए पूर्णतः अनुरूप न होने वाली क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा की अनुमति प्राधिकरण द्वारा विशेष मामलों में उन कारणों से दी जाएगी जिन्हें उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
3. प्रत्येक दावे के संबंध में अवीमाकृत आधिक्य व्यवसाय में कारपोरेट एजेंट द्वारा लगाई गई पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
 4. बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी जिसने निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो :
 - क. कारपोरेट एजेंट को एक वार्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा जिसमें कारपोरेट एजेंट की पंजीकरण संख्या सहित नाम और पता, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता का नाम इस साक्ष्य के रूप में निहित होंगे कि उक्त रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती है;
 - ख. कारपोरेट एजेंट को प्रमाणपत्र जारी करते समय प्राधिकरण को एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) प्रमाणपत्र प्रेषित करेगा; तथा
 - ग. मध्यावधि में रक्षा के अमान्यकरण, अ-नवीकरण अथवा निरसन की किसी भी स्थिति की सूचना तत्काल कारपोरेट एजेंट को देगा।
 5. प्रत्येक कारपोरेट एजेंट फर्म -
 - क. यदि कोई रक्षा निरस्त अथवा अमान्यकृत की गई हो अथवा यदि किसी पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया हो तो इसकी सूचना प्राधिकरण को तत्काल देगा;
 - ख. उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किये गये किसी भी दावे की सूचना लिखित रूप में बीमाकर्ता को तत्काल देगा;
 - ग. पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न करने वाली सभी परिस्थितियों अथवा घटनाओं की सूचना बीमाकर्ता को तत्काल देगा; तथा
 - घ. यदि किसी बीमाकर्ता ने सूचित कर दिया हो कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति से इनकार करना चाहता है, तो प्राधिकरण को यथाशीघ्र इसकी जानकारी देगा।

अनुसूची-III**[विनियम 26 देखें]****भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण****(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015****आचरण-संहिता****I. सामान्य आचरण-संहिता:**

1. प्रत्येक कारपोरेट एजेंट व्यावसायिक आचरण के मान्यता-प्राप्त मानकों का अनुसरण करेगा तथा पॉलिसीधारकों के हित में अपना कर्तव्य-पालन करेगा। इस प्रकार करते समय-
 - (क) ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार को हर समय परम सद्भाव और सत्यनिष्ठा के साथ संचालित करेगा;
 - (ख) सावधानी और कर्मठता के साथ कार्य करेगा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक कारपोरेट एजेंट के साथ अपने संबंध को समझता है और उसको यह पता है कि कारपोरेट एजेंट किसकी ओर से कार्य कर रहा है;
 - (घ) संभावित ग्राहकों द्वारा दी गई समस्त जानकारी को अपने लिए और उस बीमाकर्ता/उन बीमाकर्ताओं के लिए जिसको/जिन्हें व्यवसाय का प्रस्ताव किया जा रहा है, पूर्णतः गोपनीय समझेगा;
 - (ङ) अपने कब्जे में स्थित गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा;
 - (च) कंपनी का कोई निदेशक अथवा फर्म का कोई भागीदार अथवा मुख्य कार्यपालक अथवा प्रधान अधिकारी अथवा विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य कारपोरेट एजेंट के पास उसी स्थिति को धारण नहीं करेगा;
2. प्रत्येक कारपोरेट एजेंट
 - क) अपने प्रधान अधिकारी और प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति की भूल-चूक से युक्त सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा;
 - ख) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और सभी विनिर्दिष्ट व्यक्ति जिन बीमा उत्पादों का विपणन करते हैं उनमें उचित रूप से प्रशिक्षित, कुशलतापूर्ण और ज्ञानसंपन्न हों;
 - ग) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और विनिर्दिष्ट व्यक्ति संभावित ग्राहक को पॉलिसी के लाभों और पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिफलों के संबंध में कोई गलत विवरण न दें;
 - घ) यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी संभावित ग्राहक को कोई बीमा उत्पाद खरीदने के लिए विवश नहीं किया जाएगा;
 - ङ) बीमा उत्पाद के संबंध में बीमाकृत व्यक्ति को विक्रय से पहले और विक्रय के बाद पर्याप्त रूप से परामर्श देगा;
 - च) दावा उत्पन्न होने की स्थिति में सभी औपचारिकताओं और प्रलेखीकरण को पूरा करने में बीमाकृत व्यक्ति को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;
 - छ) इस तथ्य का उचित प्रचार करेगा कि कारपोरेट एजेंट जोखिम-अंकन नहीं करता अथवा बीमाकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता;
 - ज) बीमाकर्ताओं के साथ ऐसे करार करेगा जिनमें दोनों के कर्तव्य और दायित्व परिभाषित हों;

II. विक्रय-पूर्व आचरण-संहिता

3. प्रत्येक कारपोरेट एजेंट अथवा प्रधान अधिकारी अथवा विनिर्दिष्ट व्यक्ति इसके नीचे विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का भी पालन करेगा:
 - (i) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट/प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति-
 - (क) माँग किये जाने पर संभावित ग्राहक को अपना परिचय देगा और अपना पंजीकरण/प्रमाणपत्र प्रकट करेगा;

- (ब) जिन बीमाकर्ताओं के साथ उनकी व्यवस्था है उनके द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में अपेक्षित सूचना का प्रसार करेगा तथा किसी विशिष्ट बीमा योजना की सिफारिश करते समय संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा;
- (ग) यदि संभावित ग्राहक द्वारा पूछा गया हो तो विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के मान प्रकट करेगा;
- (घ) विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित किये जानेवाले प्रीमियम को निर्दिष्ट करेगा;
- (ङ) संभावित ग्राहक को बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव फार्म में अपेक्षित सूचना के स्वरूप, एवं किसी बीमा संविदा की खरीद में महत्वपूर्ण सूचना के प्रकटीकरण के महत्व को भी स्पष्ट करेगा;
- (च) बीमाकर्ता को प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव के साथ एक गोपनीय रिपोर्ट के रूप में संभावित ग्राहक की किसी भी प्रतिकूल आदत अथवा आय संबंधी असंगति के बारे में सूचित करेगा तथा संभावित ग्राहक के बारे में समस्त उचित पूछताछ करने के द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में बीमाकर्ता के जोखिम-अंकन निर्णय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य से बीमाकर्ता को अवगत कराएगा;
- (छ) बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के बारे में संभावित ग्राहक को तत्परतापूर्वक सूचित करेगा;
- (ज) बीमाकर्ता के पास प्रस्ताव फार्म दाखिल करते समय अपेक्षित दस्तावेज तथा प्रस्ताव को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा बाद में माँगे जानेवाले अन्य दस्तावेज प्राप्त करेगा;

(ii) **कोई भी कारपोरेट एजेंट/ प्रधान अधिकारी/ विनिर्दिष्ट व्यक्ति-**

- क. एक वैध पंजीकरण/ प्रमाणपत्र धारण किये बिना बीमा व्यवसाय की अपेक्षा अथवा प्रापण नहीं करेगा;
- ख. प्रस्ताव फार्म में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ने के लिए संभावित ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा;
- ग. प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए बीमाकर्ता को प्रस्तुत प्रस्ताव फार्म अथवा दस्तावेजों में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए संभावित ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा;
- घ. संभावित ग्राहक के साथ अशुद्ध तरीके से व्यवहार नहीं करेगा;
- ङ. किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा किसी बीमा मध्यवर्ती द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी प्रस्ताव के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगा;
- च. बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, शर्तों को छोड़कर भिन्न दरों, लाभों, शर्तों का प्रस्ताव नहीं करेगा;
- छ. पॉलिसीधारक को वर्तमान पॉलिसी को समाप्त करने और ऐसी समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष के अंदर उससे नया प्रस्ताव उत्पन्न करने के लिए विवश नहीं करेगा;
- ज. कोई भी कारपोरेट एजेंट किसी एक व्यक्ति अथवा एक संगठन अथवा संगठनों के किसी एक समूह से बीमा व्यवसाय का संविभाग नहीं रखेगा, जिसके अंतर्गत प्रीमियम किसी भी वर्ष में प्राप्त कुल प्रीमियम के पचास प्रतिशत से अधिक हो;
- झ. प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी बीमा कंपनी का निदेशक नहीं बनेगा अथवा निदेशक के रूप में नहीं रहेगा;
- ञ. किसी भी तरह से धन-शोधन (मनी-लांडरिंग) की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा;
- ट. स्वयं अथवा भ्रामक कॉलों अथवा छल-कपटपूर्ण कॉलों द्वारा कॉल सेंटर्स के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने में लिप्त नहीं रहेगा;
- ठ. बीमा उत्पादों की अपेक्षा और प्रापण के लिए बहु-स्तरीय विपणन नहीं करेगा;
- ड. व्यवसाय की प्राप्ति के लिए अप्रशिक्षित और अनधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करेगा;
- ढ. पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार बीमा उत्पादों की अपेक्षा और सर्विसिंग को छोड़कर बीमा परामर्श कार्य अथवा दावा परामर्श कार्य अथवा कोई भी अन्य बीमा संबंधी सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराएगा

- ण. बीमा उत्पाद के वितरण को आगे बढ़ाने में संभावित पॉलिसीधारकों के संपर्क का विवरण निर्दिष्ट करने, अपेक्षित करने, अग्रता उत्पन्न करने, सूचित करने, परिचय देने, प्राप्त करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा, प्रोत्साहित नहीं करेगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ संविदा नहीं करेगा अथवा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं करेगा;
- त. किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को विक्रय, परिचय, अग्रता उत्पादन, निर्देशन अथवा प्रापण के प्रयोजन के लिए किसी भी नाम से किसी भी शुल्क, कमीशन, प्रोत्साहन का भुगतान नहीं करेगा अथवा ऐसे किसी भुगतान की अनुमति नहीं देगा।

III. विक्रयोत्तर आचरण-संहिता

4. प्रत्येक कारपोरेट एजेंट -

- क. प्रत्येक वैयक्तिक पॉलिसीधारक को नामांकन अथवा समनुदेशन अथवा पते में परिवर्तन लागू करने अथवा जैसी स्थिति हो, विकल्पों का प्रयोग करने के लिए सूचित करेगा तथा जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;
- ख. अपने माध्यम से पहले से ही प्राप्त बीमा व्यवसाय को सुरक्षित रखने की दृष्टि से मौखिक रूप से और लिखित में पॉलिसीधारक को सूचना देने के द्वारा निर्धारित समय के अंदर पॉलिसीधारकों द्वारा प्रीमियमों का प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा;
- ग. यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक बीमे की समाप्ति की तारीख से अवगत है, भले ही वह ग्राहक को अतिरिक्त बीमा रक्षा प्रस्तावित करने का चयन नहीं करता हो;
- घ. यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण नोटिसों में पॉलिसी को प्रभावित करनेवाले परिवर्तनों को, जो पॉलिसी के प्रारंभ अथवा पिछले नवीकरण की तारीख के बाद घटित हुए हों, सूचित करने की आवश्यकता सहित, प्रकटीकरण के कर्तव्य के बारे में चेतावनी निहित होगी;
- ङ. यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण नोटिसों में संविदाओं के नवीकरण के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को दी जाने वाली समस्त सूचना का अभिलेख (पत्रों की प्रतिलिपियों सहित) रखने की आवश्यकता निहित होगी;
- च. यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक बीमाकर्ता से नवीकरण का आमंत्रण समाप्ति की तारीख से पर्याप्त पहले प्राप्त करता है;
- छ. बीमाकर्ता द्वारा दावों के निपटान के लिए अपेक्षाओं का पालन करने में पॉलिसीधारकों अथवा दावेदारों अथवा लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा;
- ज. अपने ग्राहकों को तत्परतापूर्वक दावों की सूचना देने और सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने तथा परवर्ती घटनाओं की सूचना यथाशीघ्र देने के उनके दायित्व को स्पष्ट करेगा;
- झ. ग्राहक को सही, उचित और पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिए सूचित करेगा जहाँ उसे विश्वास हो कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है। यदि अतिरिक्त प्रकटीकरण नहीं किया जाता तो वह ग्राहक के लिए आगे और कार्य करने से इनकार करने के लिए विचार करेगा;
- ञ. दावे से संबंधित किसी भी आवश्यकता के बारे में ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा;
- ट. दावे के संबंध में अथवा ऐसी किसी घटना के संबंध में जो दावे को उत्पन्न कर सकती हो, ग्राहक से प्राप्त सूचना अविलंब, परंतु किसी भी स्थिति में तीन कार्यदिवसों के अंदर अग्रेषित करेगा;
- ठ. दावे के संबंध में बीमाकर्ता के निर्णय या अन्यथा स्थिति की सूचना ग्राहक को अविलंब देगा; तथा दावे का अनुसरण करने में ग्राहक को हर प्रकार से उचित सहायता प्रदान करेगा;
- ड. किसी बीमा संविदा के अंतर्गत लाभार्थी से आगम राशि का अंश नहीं माँगेगा अथवा प्राप्त नहीं करेगा;
- ढ. यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदेश पत्रों, पॉलिसियों और नवीकरण दस्तावेजों में शिकायतों पर कार्रवाई करने की क्रियाविधियों का विवरण निहित होगा;

- ण. शिकायतों को फोन द्वारा अथवा लिखित में स्वीकार करेगा;
- त. शिकायत की प्राप्ति-सूचना पत्राचार की प्राप्ति से चौदह दिन के अंदर देगा, शिकायत से संबंधित स्टाफ-सदस्य को शिकायत की सूचना देगा और उस पर कार्रवाई करने की समय-सारणी सूचित करेगा;
- थ. यह सुनिश्चित करेगा कि पत्रों आदि के उत्तर भेजे जाएँगे तथा शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि उत्तर से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह क्या कर सकता है;
- द. यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर कार्रवाई उपयुक्त रूप से वरिष्ठ स्तर पर की जाएगी;
- ध. शिकायतों के अभिलेखीकरण और निगरानी के लिए एक प्रणाली कायम करेगा।

अनुसूची IV

[विनियम 27 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

कारपोरेट एजेंट का निरीक्षण

1. निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार : प्राधिकरण स्वप्रेरणा से अपने आप अथवा सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर निम्नलिखित किसी भी कारण से कारपोरेट एजेंट से संबंधित खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में अपने एक अथवा उससे अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है :
 - (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारपोरेट एजेंट द्वारा खाता-बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले तरीके से किया जा रहा है;
 - (ii) कारपोरेट एजेंट के कार्यकलापों से संबंध रखनेवाले किसी भी विषय पर ग्राहकों अथवा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई का निरीक्षण करने के लिए;
 - (iii) यह पता लगाने के लिए कि क्या समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों का पालन कारपोरेट एजेंट द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं;
 - (iv) पॉलिसीधारकों के हित में कारपोरेट एजेंट के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए।
 - (v) प्राप्त शिकायत की सच्चाई की जाँच करने के लिए;
 - (vi) कारपोरेट एजेंट के कार्यकलापों और कार्यसंचालन की जाँच करने के लिए।
2. निरीक्षण से पहले सूचना.
 - (i) विनियम 27 के अंतर्गत निरीक्षण का आदेश देने से पहले प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट को कम से कम दस दिन की सूचना देगा।
 - (ii) खंड (i) में किसी बात के होने के बावजूद जहाँ प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि पॉलिसीधारकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ वह आदेश द्वारा लिखित रूप में निदेश दे सकता है कि कारपोरेट एजेंट के कार्यों का निरीक्षण ऐसी किसी सूचना के बिना किया जाए।
3. निरीक्षण के बाद कारपोरेट एजेंट का दायित्व :
 - (i) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट जिसके संबंध में विनियम के अधीन निरीक्षण का आदेश दिया गया है तथा कारपोरेट एजेंट के प्रतिनिधि, यदि कोई हो, सहित किसी अन्य सहबद्ध व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसे कारपोरेट एजेंट के कार्यसंचालन और कार्यों से संबंधित संगत सूचना मौजूद हो, का कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को अपनी अभिरक्षा

36406/15-48

और नियंत्रण में विद्यमान ऐसी खाता-बहियाँ और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करे तथा ऐसे विवरण और सूचना उपलब्ध कराए जैसी कि निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा कर सकता है।

- (ii) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट तथा किसी अन्य सहवृद्ध व्यक्ति जिसके कब्जे में कारपोरेट एजेंट के कार्यसंचालन और कार्यों से संबंधित संगत सूचना विद्यमान है, का कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराए और ऐसा समस्त सहयोग प्रदान करे जैसा कि निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो तथा वह ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जैसी कि निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा माँगी जाती है।
- (iii) निरीक्षण प्राधिकारी के पास निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रधान अधिकारी, किन्हीं भी कर्मचारियों, निदेशकों, भागीदारों अथवा कारपोरेट एजेंट के कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी अथवा उनसे संबद्ध व्यक्ति अथवा ऐसे कारपोरेट एजेंट से संबंधित संगत सूचना रखनेवाले किसी भी अन्य सहवृद्ध व्यक्ति के वक्तव्य का शपथ के आधार पर परीक्षण और अभिलेखन करने का अधिकार होगा।
- (iv) निरीक्षण प्राधिकारी के पास निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए कारपोरेट एजेंट के कार्यकलापों के संबंध में दस्तावेजों, खाता-बहियों आदि की अधिप्रमाणित प्रतियाँ ऐसे दस्तावेजों का नियंत्रण अथवा अभिरक्षा रखनेवाले किसी भी व्यक्ति से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति.

निरीक्षण प्राधिकारी यथाशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में निरीक्षण की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

वशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए निदेश दिया जाता है तो निरीक्षण प्राधिकारी एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

5. निरीक्षण रिपोर्ट पर कार्रवाई

प्राधिकरण निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तथा कारपोरेट एजेंट को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे निदेश जारी कर सकता है जो वह पॉलिसीधारकों के हित में उचित समझे जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

- (i) कारपोरेट एजेंट से अपेक्षा करना कि वह शुल्क, प्रभारों अथवा कमीशनो के रूप में अथवा अन्यथा वसूल की गई धनराशि संबंधित ग्राहकों को आवश्यक व्याज के साथ लौटा दे।
- (ii) बीमाकर्ता द्वारा अदा की गई धनराशियाँ और/या पारिश्रमिक और/या कमीशन लौटाना, जिसे प्राप्त करने के लिए कारपोरेट एजेंट अन्यथा पात्र नहीं है;
- (iii) कारपोरेट एजेंट को एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बीमा बाजार में परिचालन करने से प्रतिबंधित करना;
- (iv) कोई अन्य कार्रवाई जो प्राधिकरण उपयुक्त समझे।

अनुसूची V

[विनियम 28 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

I. सूचना के साथ कारपोरेट एजेंट के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरसन

प्राधिकरण निम्नलिखित किसी एक अथवा उससे अधिक कारणों से कारपोरेट एजेंट के पंजीकरण को निलंबित अथवा निरस्त कर सकता है :

- (i) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से पंजीकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय ग्रस्त है;

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये किन्हीं अन्य नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, निदेशों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जैसे:

- क. प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षानुसार कारपोरेट एजेंट के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करता;
- ख. गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करता है; अथवा पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है अथवा प्रकट नहीं करता;
- ग. किसी ग्राहक अथवा ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारियों अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को छूटें अथवा नकद या वस्तु रूप में प्रलोभन देने में लिप्त है;
- घ. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का पालन नहीं करता;
- ङ. उन शर्तों में से किसी शर्त का पालन नहीं करता जिनके अधीन पंजीकरण प्रदान किया गया है।

(iii) छल-कपटपूर्ण कॉलों अथवा अप-विक्रय (मिस-सेलिंग) का सहारा लेता है;

(iv) पॉलिसीधारकों के हितों के लिए हानिकारक अथवा लोकहित के विरुद्ध किसी तरीके से कार्य करता है;

II. कारपोरेट एजेंट के पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरसन के लिए अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि:

1. प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट को यह अपेक्षा करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर कारण दर्शाएँ कि उक्त कारण बताओ नोटिस में बताये गये उल्लंघनों के लिए क्यों न कारपोरेट एजेंट को प्रदान किया गया पंजीकरण निलंबित अथवा निरस्त किया जाना चाहिए अथवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
2. कारपोरेट एजेंट उक्त नोटिस में निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राधिकरण द्वारा जारी की गई कारण बताओ नोटिस के लिए अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा।
3. उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद प्राधिकरण कारपोरेट एजेंट को प्रदान किये गये पंजीकरण के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकता है अथवा मामले के तथ्यों के आधार पर उपयुक्त समझा जानेवाला कोई अन्य आदेश पारित करेगा।
4. प्राधिकरण इस प्रकार का निर्णय लेने की तारीख से तीस दिन के अंदर कारपोरेट एजेंट को उक्त निर्णय की सूचना, उसमें वे कारण बताते हुए देगा जिनपर उक्त निर्णय लिया गया है।
5. प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक उपर्युक्त खंड (4) के अंतर्गत पारित किये गये आदेश की प्रति अपने द्वारा प्राप्त किये जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अंदर, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सेक्युरिटीज़ अपेलेट ट्रिब्यूनल) को अपील, ऐसी अपील के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कर सकता है तथा उक्त न्यायाधिकरण उस अपील पर उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, के अनुरूप अथवा उसका आशोधन करते हुए अथवा उस आदेश को रद्द करते हुए अपने द्वारा उपयुक्त समझे जानेवाले आदेश पारित कर सकता है।

III. सूचना दिये बिना कारपोरेट एजेंट के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण

कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण, सूचना दिये बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने उक्त निरस्तीकरण के लिए कारण लिखित में कारपोरेट एजेंट को सूचित कर दिये हों :

(i) यदि वह धोखाधड़ी करने का दोषी पाया गया है अथवा दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है;

(ii) वह ऐसी चूकें करता है जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है;

इस विनियम के अधीन कारपोरेट एजेंट के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उपर्युक्त भाग II के खंड (4) और (5) में विनिर्दिष्ट रूप में है।

IV. कारपोरेट एजेंट को प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का प्रभाव

- (i) कोई भी कारपोरेट एजेंट जिसका पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा निलंबित अथवा निरस्त किया गया हो, इन विनियमों के अधीन सूचना प्राप्त करने की तारीख को और उस तारीख से कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करना बंद करेगा तथा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करना समाप्त करेगा।
- (ii) पंजीकरण के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से कारपोरेट एजेंट:
- (क) ऐसे वारण (डिवारमेंट) अथवा निलंबन की अवधि के दौरान बीमा व्यवसाय से संबंधित कोई भी नया कार्य अथवा संविदा नहीं करेगा अथवा बीमा व्यवसाय की अपेक्षा अथवा प्रापण नहीं करेगा;
 - (ख) पॉलिसीधारकों के किन्हीं भी अभिलेखों अथवा दस्तावेजों और पॉलिसियों अथवा धनराशि से संबंधित कार्रवाई सहित प्राधिकरण के निदेशों और इन विनियमों के संबंधित उपबंधों के अनुसार ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा;
 - (ग) पंजीकरण प्राधिकरण को लौटा देगा तथा जो कार्यकलाप करने के लिए ऐसा पंजीकरण प्रदान किया गया है, वह कार्यकलाप करने के लिए स्वयं को पंजीकरण के धारक के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा;
 - (घ) अपने द्वारा उपगत अथवा अभिगृहीत देयता के संबंध में प्रावधान करेगा;
 - (ङ) पॉलिसीधारकों के किन्हीं भी अभिलेखों अथवा दस्तावेजों और पॉलिसियों की पुनःप्राप्ति अथवा अभिग्रहण से संबंधित कार्रवाई सहित जो ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा और नियंत्रण में हों, ऐसी अन्य कार्रवाई उस समय-सीमा के अंदर और उस तरीके से करेगा जैसा कि संबंधित विनियमों के अधीन अपेक्षित हो अथवा जैसे कि इस अध्याय के अधीन अथवा अन्य प्रकार से आदेश पारित करते समय प्राधिकरण के द्वारा निदेश दिये जाते हों।

अनुसूची VIए**[विनियम 31 देखें]**

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

कारपोरेट एजेंट को अदा किये गये पारिश्रमिक और अन्य भुगतानों के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो

"हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने मेसर्स.....(कारपोरेट एजेंट और सहयोगी का नाम) को रु. की राशि वित्तीय वर्ष..... के दौरान प्राप्त के व्यवसाय के लिए कमीशन/पारिश्रमिक के रूप में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत (संलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए) से तक की अवधि के लिए अदा की है। इस राशि में इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अदा किये गये सभी भुगतान शामिल हैं तथा कंपनी (बीमाकर्ता) आईआरडीएआई एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और इस प्रयोजन के लिए लागू अन्य विनियमों का अनुपालन करती है।

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमने कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और अन्य कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन (नकदी या गैर-नकदी) अदा नहीं किया है।"

हस्ताक्षरित

सीएफओ

सीईओ

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणी: (1) उक्त संलग्नक में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कारपोरेट एजेंट और उनके सहयोगियों (सहयोगी का नाम विनिर्दिष्ट करें) को किये गये सभी भुगतानों का व्योरा निहित होगा तथा वह बीमाकर्ता के दोनों सीईओ और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(2) प्रत्येक कारपोरेट एजेंट के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुसूची VIबी
[विनियम 31 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

बीमाकर्ता से प्राप्त पारिश्रमिक और अन्य भुगतानों के संबंध में कारपोरेट एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र जो कंपनी/ संस्था के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो

"हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमने मेसर्स.....(बीमाकर्ता का नाम) से रु. की राशि वित्तीय वर्ष _____ के दौरान _____ के व्यवसाय के लिए कमीशन/पारिश्रमिक के रूप में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत (संलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए) से तक की अवधि के लिए प्राप्त की है। इस राशि में इस कार्य के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त किये गये सभी भुगतान शामिल हैं तथा कंपनी (कारपोरेट एजेंट) आईआरडीआई एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियमों और इस प्रयोजन के लिए लागू अन्य विनियमों का अनुपालन करती है।

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि बीमाकर्ता ने कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और अन्य कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई प्रोत्साहन (नकदी या गैर-नकदी) अदा नहीं किया है।"

हस्ताक्षरित

सीएफओ

सीईओ

स्थान:

दिनांक:

टिप्पणी: (1) उक्त संलग्नक में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कारपोरेट एजेंट और उनके सहयोगियों (सहयोगी का नाम विनिर्दिष्ट करें) को किये गये सभी भुगतानों का व्योरा निहित होगा तथा वह कारपोरेट एजेंट के दोनों सीईओ और सीएफओ द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुसूची VII

[विनियम 25 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

I. दूर-विपणन प्रणाली और कारपोरेट एजेंट के अन्य दूरस्थ विपणन कार्यकलापों के द्वारा बीमा उत्पादों के विक्रय लिए अनुदेश

1. विस्तार और प्रयोज्यता – इसके अंतर्गत विक्रय के प्रस्ताव, समझौता वार्ता एवं निष्कर्ष सहित सभी स्तरों पर कारपोरेट एजेंटों के दूरस्थ विपणन कार्यकलाप सम्मिलित हैं।

दूरस्थ

(क) विपणन में निम्नलिखित प्रणालियों के माध्यम से बीमा उत्पादों की अपेक्षा और विक्रय का प्रत्येक कार्यकलाप शामिल है।

(i) वॉइस प्रणाली, जिसमें टेलीफोन-कॉलिंग शामिल है;

(ii) संक्षिप्त संदेश सेवा (एसएमएस)

(iii) इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली जिसमें ई-मेल, इंटरनेट और परस्पर सक्रिय (इंटर-एक्टिव) टेलीविज़न (टीटीएच) शामिल हैं;

- (iv) भौतिक प्रणाली जिसमें प्रत्यक्ष डाक मेल तथा समाचार-पत्र और पत्रिका निवेशन शामिल हैं; तथा
- (v) दूरस्थ विपणन के अंतर्गत समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित किसी भी साधन के माध्यम से अपेक्षा;

(ख) ये अनुदेश इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यकलापों के मामले में विशेष रूप से लागू हैं:

- (i) बीमा खरीदने के लिए संभावित ग्राहक के उद्देश्य को जानने के लिए दूरस्थ प्रणाली का उपयोग।
- (ii) दूरस्थ प्रणाली से अपेक्षा एवं विक्रय; और

(iii) बीमा उत्पादों के संबंध में सूचना अथवा विक्रय की माँग करनेवाले संभावित ग्राहकों द्वारा अनुरोध

2. अनुपालन

कारपोरेट एजेंट इन अनुदेशों के अतिरिक्त, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) अधिनियम, 1997, दूरसंचार अनपेक्षित वाणिज्यिक संचार (संशोधन) विनियम, 2008 के सभी लागू उपबंधों तथा उसके लिए यथाप्रयोज्य, समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, परिपत्रों अथवा दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

3. अपेक्षा (सेलिसिटेशन) के लिए नियुक्त व्यक्ति

(क) दूरस्थ विपणन के माध्यम से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा के प्रयोजन के लिए कारपोरेट एजेंट निम्नलिखित को नियुक्त कर सकता है:

- (i) कारपोरेट एजेंटों के विनिर्दिष्ट व्यक्ति, अथवा
- (ii) प्राधिकृत सत्यापकों के दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर्स)

(ख) कारपोरेट एजेंट अपनी ओर से अभिनियोजित व्यक्तियों की प्रत्येक भूल-चूक के लिए उत्तरदायी होगा।

4. कारपोरेट एजेंट और दूरविपणनकर्ताओं के बीच करार

कारपोरेट एजेंट और दूरविपणनकर्ता के बीच करार, चाहे किसी भी नाम से कहलाए, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित खंड शामिल होंगे:

- (i) दूरविपणनकर्ता सभी कॉलों के अभिलेखन (रिकॉर्डिंग) का अनुरक्षण/परिरक्षण ऐसे तरीके से करेगा जो इन अनुदेशों के उपबंधों के अनुपालन के अनुरूप हो तथा ऐसे सभी अभिलेख कारपोरेट एजेंट के पास अग्रेषित करेगा। कारपोरेट एजेंट फिर उक्त अभिलेखों की एक प्रति संतोषजनक स्थिति में बीमाकर्ता को अग्रेषित करेगा।
- (ii) दूरविपणनकर्ता अपने द्वारा नियोजित सभी प्राधिकृत सत्यापकों के अभिलेखों का रखरखाव प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र सहित, उनके प्रशिक्षण और मूल्यांकन के व्योरे के साथ करेगा।
- (iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत उल्लिखित अभिलेख प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए खुले तौर पर उपलब्ध होंगे।

5. प्राधिकृत सत्यापक की भूमिका:

- (i) दूरविपणनकर्ता प्राधिकृत सत्यापकों को नियोजित करेंगे, केवल जिनको बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने और विक्रय के संबंध में निर्णय लेने के लिए अनुमति है;
- (ii) प्राधिकृत सत्यापक दूरविपणनकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा बीमा उत्पादों के विक्रय के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र के अनुसार वे कारपोरेट एजेंट को सौंपे जाएँगे। ऐसी नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा तथा इस आशय का एक नया प्रमाणपत्र प्राधिकरण से प्राप्त किया जाएगा जिसके बिना बीमा उत्पादों के विक्रय के संबंध में अपेक्षा और निर्णय करने के लिए प्राधिकृत सत्यापक को अनुमति नहीं दी जाएगी;

- (iii) प्राधिकृत सत्यापकों के लिए किसी भी प्रणाली में उनकी वैयक्तिक क्षमता में तथा उन्हें नियोजित करनेवाले दूरविपणनकर्ता को छोड़कर किसी अन्य संस्था की ओर से बीमे की अपेक्षा करना वर्जित है;
- (iv) कारपोरेट एजेंट प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा जिनमें पॉलिसी-वार और प्राधिकृत सत्यापक-वार विवरण निहित होगा जिसके अंतर्गत दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से कारपोरेट एजेंट द्वारा अपेक्षा की गई प्रत्येक पॉलिसी को प्राधिकृत सत्यापक के साथ संबद्ध किया जाएगा। कारपोरेट एजेंट ऐसी प्रणालियाँ कायम करेगा जिनके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा ऐसे अभिलेखों और विवरण तक नियमित रूप से पहुँच सुलभ होगी।

6. कारपोरेट एजेंटों द्वारा दूरस्थ विपणन के माध्यम से बीमा उत्पादों के विक्रय के संबंध में आचरण

- (i) कारपोरेट एजेंट इन विनियमों के अनुसार जिस/जिन बीमाकर्ता/बीमाकर्ताओं के साथ उनकी व्यवस्था है, उनके बीमा उत्पादों के बीच उपयुक्त उत्पाद सुझाएगा, जो बाजार में उपलब्ध हो और संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- (ii) उनकी वेबसाइट पर दर्शाये जानेवाले मूल्य-संबंधी तुलनात्मक चार्ट अद्यतन होंगे तथा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सभी उपलब्ध और उपयुक्त उत्पादों के एक सही चित्र को प्रतिबिंबित करेंगे।
- (iii) बीमाकर्ता दूरस्थ प्रणाली से कारपोरेट एजेंटों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की पहचान विशिष्ट रूप से करेंगे तथा ऐसी पॉलिसियों से संबंधित सभी संगत अभिलेख प्राप्त करेंगे। कारपोरेट एजेंट द्वारा आचरण संबंधी आरोपित विश्वास-भंग और उल्लंघन से संबद्ध विवाद की स्थिति में बीमाकर्ता प्राधिकरण के समक्ष ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेंगे।

7. अपेक्षा (सॅलिसिटेशन) की प्रक्रिया

दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से कारपोरेट एजेंटों द्वारा बीमे की अपेक्षा निम्नलिखित मानदंडों का विशिष्ट रूप से पालन करते हुए होगी:

7.1 मानकीकृत लिपि (स्क्रिप्ट)

- (i) बीमाकर्ता कारपोरेट एजेंटों के साथ परामर्श करने के बाद दूरस्थ प्रणालियों से विक्रय किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक उत्पाद के अंतर्गत लाभों, विशिष्टताओं और प्रकटीकरणों के प्रस्तुतीकरण के लिए मानकीकृत लिपियाँ (स्क्रिप्ट) तैयार करेंगे। दूरस्थ प्रणाली के अंतर्गत अपेक्षा उक्त मानकीकृत लिपि के अनुरूप होगी।
- (ii) उक्त लिपियाँ उत्पाद की सभी प्रमुख विशेषताओं को समाविष्ट करेंगी तथा संबंधित बीमाकर्ताओं के अनुपालन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित होंगी। अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद उक्त लिपियाँ 15 दिन के अंदर "यूज़ एण्ड फ़ाइल" प्रक्रिया के अंतर्गत प्राधिकरण के पास दाखिल की जाएँगी।

7.2 परिचय

- (i) सूचना के अंतर्गत कारपोरेट एजेंट का नाम और उन बीमाकर्ताओं के नाम जिनके साथ बीमा उत्पादों का वितरण करने के लिए उनकी व्यवस्थाएँ हैं, स्पष्ट रूप से बताये जाएँगे।
- (ii) संपर्क का प्रयोजन बीमे की अपेक्षा करना है, इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से बल दिया जाना चाहिए।

7.3 संभावित ग्राहक की सहमति

- (i) प्राधिकृत सत्यापक मुस्पष्ट रूप से संभावित ग्राहक की सहमति प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ेगा।
- (ii) इलैक्ट्रॉनिक विधियों के मामले में प्रत्येक स्तर पर विषय के साथ बने रहने अथवा पेज में बाहर निकल जाने के लिए संभावित ग्राहक को विकल्प दिया जाएगा। जिस समय के दौरान कॉल किये जाते हैं, वह समय-समय पर टीआरएआई / डीओटी द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगा।
- (iii) टेलीफोन द्वारा अपेक्षा की जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रमाणपत्र संख्या सहित प्राधिकृत सत्यापक का नाम प्रकट किया जाएगा तथा भाषा के उपलब्ध विकल्प अवश्य निर्दिष्ट किये जाएँगे। उसके बाद संवाद केवल संभावित ग्राहक द्वारा चयन की गई भाषा में ही जारी रहेगा।

- (iv) प्राधिकृत सत्यापक संभावित ग्राहकों को सूचित करेगा कि कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है और यदि संभावित ग्राहक चाहता है तो पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय अथवा दावे का संतोषजनक निपटान होने तक, जो भी बाद में हो, एक वॉइस कॉपी प्राप्त करने का वह हकदार है।
- (v) अपेक्षा करने के दौरान अथवा उसके बाद संभावित ग्राहकों के लिए इसके कारण कोई भी असुविधा, परेशानी या हानि नहीं होगी। दूरस्थ विपणन की सभी विधियों के अंतर्गत संभावित ग्राहकों को पूर्ण प्रकटीकरण किये जाएंगे तथा गोपनीयता, गुप्तता और अ-प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा।

7.4 संभावित ग्राहकों की सूचना

संभावित ग्राहक एवं बीमा किये जानेवाले व्यक्ति/परिसंपत्ति के संबंध में समस्त संगत सूचना प्राप्त की जाएगी, तथा अपेक्षा पूर्णतया संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं के विश्लेषण के आधार पर होगी, जैसा कि समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

7.5 उत्पाद के लाभ और विशेषताएँ

उत्पाद के प्रस्तुतीकरण के दौरान मानकीकृत लिपि (स्क्रिप्ट) में निम्नलिखित मदें शामिल होंगी:

- (i) नीचे प्रत्येक मद के समक्ष, जैसा लागू हो, सहमत हूँ/असहमत हूँ, हौं/नहीं, स्वीकार करता हूँ/अस्वीकार करता हूँ, समझता हूँ/ नहीं समझता के रूप में संभावित ग्राहक की विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ दूरस्थ अपेक्षा की सभी विधियों के अंतर्गत समाविष्ट की जानी चाहिए।
- (ii) सुझाये गये उत्पाद का नाम और उसका स्वरूप तथा मानदंड।
- (iii) वार्षिक प्रीमियम की एक विशिष्ट राशि के लिए उत्पाद के अंतर्गत उपलब्ध बीमा रक्षा, अथवा, विलोमतः बीमा रक्षा की एक विशिष्ट राशि के लिए प्रभार्य प्रीमियम।
- (iv) बीमा रक्षा का विस्तार, रक्षा प्राप्त और अरक्षित जोखिम, अपवर्जन, कटौतीयोग्य राशियाँ अथवा विशेष विक्रय अधिकार (फ्रैंचाइज), सह-भुगतान, प्रीमियमों पर प्रभार-वृद्धि/छूटें, वर्धित रक्षा (एड-ऑन कवर्स), शर्तें, अन्य शर्तें और लाभ, मध्यावधि समावेशन, अल्पावधि मान, बीमित राशि का आधार, वारंटी, खंड और समर्थन, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64बीबी का अनुपालन - जोखिम के प्रारंभ से पहले प्रीमियम का भुगतान, आदि, जैसा लागू हो।
- (v) प्राधिकरण द्वारा जब भी विनिर्दिष्ट किया जाए, तब "प्रमुख विशेषता प्रलेख" (की फ्रीचर्स डॉक्यूमेंट)।
- (vi) सभी जीवन बीमा संविदाओं और क्रेडिट/डेबिट/अन्य कार्डों के साथ संबद्ध बीमा रक्षाओं, तथा दूरस्थ विधि से बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से युक्त सभी वैयक्तिक दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी संविदाओं के अंतर्गत पॉलिसी की शर्तों से असहमति की स्थिति में पॉलिसी की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर पॉलिसी को निरस्त करने का अधिकार।
- (vii) संभावित ग्राहक के अनुरोध पर अपेक्षित उत्पाद पर उपलब्ध कमीशन की दरों का प्रकटीकरण।

7.6 यूलिप के विक्रय के मामले में प्रीमियम की उच्चतम सीमाएँ और टेलीफोन की प्रणाली से सर्वव्यापी जीवन उत्पादों के विक्रय का निषेध

- (i) कारपोरेट एजेंट टेलीफोन की प्रणाली (वॉइस एवं एसएमएस) से 50,000/- रुपये से अधिक वार्षिकीकृत प्रीमियमों के लिए गैर-एकल प्रीमियम प्रकार के यूलिप की अपेक्षा नहीं करेंगे।
- (ii) टेलीफोन की प्रणाली पर 1,00,000/- रुपये से अधिक के प्रीमियम के लिए एकल प्रीमियम यूलिप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iii) दूरस्थ विपणन प्रणाली से किसी भी परिवर्ती बीमा उत्पाद की अपेक्षा अथवा विक्रय नहीं किया जाएगा।

8. अपेक्षा (सॅलिसिटेशन) के बाद की प्रक्रिया

पॉलिसी खरीदने के लिए संभावित ग्राहक जब एक बार सहमत होता है, तब प्रस्ताव फार्म और प्रीमियम की स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा:

- (i) पॉलिसी के लिए प्रीमियम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के अनुपालन के अधीन ऑनलाइन अथवा परस्पर सक्रिय (इंटरएक्टिव) वॉइस प्रतिक्रिया माध्यम से नामे डाला जा सकता है अथवा अयांत्रिक (मैनुअल) रूप से संग्रहण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- (ii) दूरस्थ विपणन प्रणाली से पॉलिसी का विक्रय करने की प्रक्रिया में एएमएल और पीएनएन के संबंध में बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए लागू मानदंडों का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी।
- (iii) दूरस्थ प्रणाली से जिन पॉलिसियों की अपेक्षा/विक्रय किया जाता है, उनके लिए बीमाकर्ता बिलकुल उसी फार्मेट और माध्यम में पॉलिसियाँ जारी करेंगे जैसा कि प्रत्यक्ष इंटरफेस द्वारा विक्रय की स्थिति में किया जाता है तथा आवश्यक अनुबंध विधिवत् संलग्न किये जाएंगे।
- (iv) सर्विसिंग की आवश्यकता अथवा शिकायत की स्थिति में पॉलिसीधारक द्वारा संपर्क किये जाने के लिए कार्यालय का पता और उसकी टोल-फ्री संख्या संभावित ग्राहक को सूचित की जाएगी।
- (v) विक्रय का निर्णय लेने से पहले प्राधिकृत सत्यापक संभावित ग्राहक को अपना नाम और प्रमाणपत्र की संख्या प्रकट करेगा तथा भविष्य में सत्यापन के लिए यह रिकॉर्ड किये गये वार्तालाप का भाग बनेगा।
- (vi) दूरविपणनकर्ता/ कारपोरेट एजेंट द्वारा किया गया प्रत्येक कॉल और भेजा गया एसएमएस जो पॉलिसी के रूप में कार्यान्वित होता है, विक्रय का निर्णय लेने से 30 दिन के अंदर बीमाकर्ता के स्थान पर अंतरित किया जाएगा। टेलीफोन कॉलों के मामले में अंतरित किये गये रिकॉर्ड पूरे वार्तालाप के रिकॉर्डिंग होंगे।

9. बीमा रक्षा का अनुचित अस्वीकरण न हो

जब कोई संभावित ग्राहक बीमा रक्षा के लिए प्रस्ताव करते हुए दूरस्थ प्रणाली द्वारा कारपोरेट एजेंट से संपर्क करता है, तब कारपोरेट एजेंट मामले पर गुण-दोष के आधार पर तथा विनियामक निदेशों और अपने स्वयं के मानदंडों के अनुसार विचार करने के लिए कर्तव्य-बद्ध हैं। किसी भी स्थिति में वे बीमे की अपेक्षा करनेवाले संभावित ग्राहक को बीमा रक्षा प्रदान करने से अनुचित अस्वीकरण नहीं करेंगे।

10. अभिलेखों का परिरक्षण

कारपोरेट एजेंट अग्रता उत्पादन/ अपेक्षा से लेकर बीमे के विक्रय के रूप में निर्णय होने तक समूची प्रक्रिया के, वॉइस/इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक अभिलेख, जैसा लागू हो, का परिरक्षण एक अपरिवर्तनीय और आसानी से पुनःप्रापणीय रूप में पॉलिसी की मीयाद के बाद छह महीने की अवधि के लिए अथवा दावे का संतोषजनक निपटान होने तक, जो भी बाद में हो, करेगा। डेटा की विश्वसनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भंडारण हेतु वॉइस और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को अंकुरूपी (डिजिटाइज) और कोडीकृत (एनक्रिप्ट) किया जाएगा।

11. सत्यापन की प्रक्रिया

- (i) कारपोरेट एजेंट जब कॉल किये जाते हैं तब कम से कम 1% कॉल सुनने के लिए व्यवस्था करने के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कॉलों की निगरानी करेंगे।
- (ii) कारपोरेट एजेंट कॉल रिकॉर्डिंगों को सुनने के लिए समर्पित कर्मचारियों की एक टीम को नियुक्त करने के द्वारा अनुदेशों के अनुपालन हेतु विक्रय तक अग्रसर होनेवाले कॉलों के कम से कम 3% का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान की गई टिप्पणियों का परिरक्षण कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनःप्रापणीय रूप में किया जाएगा।
- (iii) कारपोरेट एजेंट विक्रय की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए, प्रति माह, दूरस्थ विपणन प्रणाली द्वारा जो पॉलिसीधारक बीमे की खरीद करते हैं, उनमें से कम से कम 3% को सत्यापन कॉल करेगा। सत्यापन कॉलों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या संभावित ग्राहक ने खरीदे गये उत्पाद के लाभों, विशिष्टताओं और प्रकटीकरणों को सही तौर पर समझा है अथवा नहीं। सत्यापन कॉल भी एक मानकीकृत लिपि (स्क्रिप्ट) को वहन करेंगे तथा कॉलों के अभिलेखों का परिरक्षण (क) गैर-जीवन संविदाओं के मामले में पॉलिसी की तारीख

से कम से कम 15 माह अथवा दावे का संतोषजनक निपटान होने तक, जो भी बाद में हो, तथा (ख) जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक के लिए किया जाएगा।

- (iv) उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी और विक्रय की प्रणाली के समावेशन को सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त (ii) और (iii) के अंतर्गत पॉलिसियों का चयन एक यादृच्छिक पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

12. अनुपालन का प्रमाणीकरण

प्रत्येक कारपोरेट एजेंट का प्रधान अधिकारी यह पुष्टि करते हुए कि कारपोरेट एजेंट ने वित्तीय वर्ष के दौरान उपर्युक्त अनुदेशों (पैरा 7 से 11 तक) के सभी उपबंधों का अनुपालन किया है, एक प्रमाणपत्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

13. विवाद

इन अनुदेशों के प्रयोजन के लिए बीमे की संविदा के संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें प्रमुख विशेषता प्रलेख (केएफडी) और उत्पाद से संबंधित संभावित ग्राहक को किये गये कॉलों के अभिलेख शामिल हैं। पॉलिसी की विशिष्ट शब्दावली (वर्डिंग) से संबद्ध विवादों के मामले में संभावित ग्राहक को केएफडी की शब्दावली और पॉलिसी की विशिष्ट शब्दावली संबंधी कॉलों को प्रमुखता देने का अधिकार होगा।

अनुसूची V III [विनियम 21 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

जबरन विक्रय के संबंध में कारपोरेट एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाणपत्र

जो कंपनी/संस्था के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो

"हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि बीमे का विक्रय प्रधान व्यवसाय के उत्पाद के साथ एक अनुषंगी उत्पाद के रूप में किया जाता है। कारपोरेट एजेंट अथवा हमारे शेयरधारकों अथवा हमारी सहयोगी संस्थाओं के किसी भी कर्मचारी ने प्रधान व्यवसाय के उत्पाद के खरीदार को अनिवार्यतः हमारे माध्यम से बीमा उत्पाद खरीदने के लिए विवश नहीं किया है। हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमने किसी भी संभावित ग्राहक को केवल हमारे द्वारा ही बीमा खरीदने के लिए विवश नहीं किया है।"

हस्ताक्षरित

सीएफओ

सीईओ

अनुबंध 3

[विनियम 7(3)(ग) देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र / प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन

टिप्पणियाँ और अनुदेश:

1. विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने / प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के लिए आवेदन कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति का ब्योरा देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा।
2. विनिर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में किसी भी भूल-चूक के लिए प्रधान अधिकारी और कारपोरेट एजेंट जिम्मेदार होंगे।
3. एक व्यक्ति केवल एक ही प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है जो उसको किसी श्रेणी के बीमा व्यवसाय की अपेक्षा अथवा प्रापण करने तथा कारपोरेट एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनायेगा।

4. विनिर्दिष्ट व्यक्ति बनने के आकांक्षी व्यक्ति को आवेदन की तारीख को अवश्य कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो आवेदक आयु का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
5. आवेदक आवेदन के साथ शैक्षिक अर्हता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा; भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित भर्ती-पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्था से व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करेगा।
6. आवेदक द्वारा देय शुल्क पाँच सौ रुपये अथवा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट राशि है।
7. नवीकरण के लिए आवेदन कारपोरेट एजेंट के माध्यम से प्राधिकरण के पास विनिर्दिष्ट व्यक्ति के प्रमाणपत्र की समाप्ति से पहले पहुँचना चाहिए, परंतु समाप्ति की तारीख से तीन माह पहले नहीं।
8. यदि आवेदन प्राधिकरण के पास उस तारीख से कम से कम 30 दिन पहले नहीं पहुँचता जब प्रमाणपत्र का प्रचलन समाप्त होता है, तो एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

1. विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित करनेवाले व्यक्ति का नाम: _____
(जैसा कि पासपोर्ट अथवा जन्म प्रमाणपत्र में उल्लिखित है)
2. पिता/ पति का नाम:
3. संपर्क संख्या के साथ पूरा पता:
4. जन्म-तिथि: दिन-माह-वर्ष
5. सिरनामा (टाइटल) : श्री/श्रीमती/कुमारी
6. पीएन (पैन) संख्या/ आधार संख्या:
7. क्या विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में पहले से नामांकित है:
 - (i) यदि हाँ, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करे:
 - (क) कारपोरेट एजेंट का नाम:
 - (ख) कारपोरेट एजेंट की पंजीकरण संख्या/लाइसेंस संख्या:
 - (ग) पंजीकरण की समाप्ति की तारीख:
 - (घ) विनिर्दिष्ट व्यक्ति की प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र सं.:
 - (ङ) विनिर्दिष्ट व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाणपत्र सं.:
 - (च) उस संस्था का नाम जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है:
 - (छ) पूर्ण किये गये प्रशिक्षण घंटों की संख्या:
 - (ज) कारपोरेट एजेंट का नाम जिसके पास इसके पहले नियोजित था:
 - (झ) उपर्युक्त (ज) में निर्दिष्ट कारपोरेट एजेंट की पंजीकरण/लाइसेंस संख्या:
 - (ii) यदि नहीं, तो निम्नलिखित व्योरा प्रस्तुत करे:
 - (क) कारपोरेट एजेंट/ आवेदक कंपनी का नाम:
 - (ख) वर्तमान कारपोरेट एजेंट के मामले में, कारपोरेट एजेंट/ आवेदक कंपनी की पंजीकरण/ लाइसेंस संख्या:
 - (ग) पंजीकरण/ लाइसेंस की समाप्ति की तारीख:
 - (घ) विनिर्दिष्ट व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाणपत्र संख्या:
 - (ङ) उस संस्था का नाम जहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया:
 - (च) पूर्ण किये गये प्रशिक्षण के घंटों की संख्या:
 - (छ) प्रशिक्षण के लिए नामांकन की तारीख
 - (ज) प्रशिक्षण पूरा करने की तारीख:

मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैंने सत्यापन किया है और पाया है कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति -

- (क) सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया है;
- (ख) सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वास-भंग अथवा धोखाधड़ी अथवा जालसाजी अथवा ऐसे किसी अपराध का अवप्रेरण करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया है;
- (ग) बीमे की किसी पॉलिसी अथवा किसी बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा किसी बीमाकर्ता के कार्यों की जाँच-पड़ताल के दौरान किसी बीमाकर्ता अथवा किसी बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध धोखेबाजी, बेईमानी अथवा गलतबयानी का दोषी अथवा उसमें जानबूझकर भाग लिया हुआ अथवा दोषसिद्ध नहीं पाया गया है; तथा
- (घ) विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अधीन विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

8. मैं विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता, भर्ती-पूर्व परीक्षा, और व्यावहारिक प्रशिक्षण के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेख संलग्न करता/करती हूँ।

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

कारपोरेट एजेंट के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं.

कारपोरेट एजेंट का नाम:

पता:

पंजीकरण संख्या:

समाप्ति की तारीख:

पंजीकरण की श्रेणी:

प्रमाणपत्र-धारक का नाम:

पता:

उस शाखा का विवरण जहाँ नियोजित है:.....

निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने और परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपलक्ष्य में उपर्युक्त को इसके द्वारा
श्रेणी में बीमा व्यवसाय का प्रापण अथवा अपेक्षा करने के लिए से तीन वर्ष के लिए उपर्युक्त कारपोरेट
एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान:

दिनांक: कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रमाणपत्र-धारक के हस्ताक्षर:

टिप्पणियाँ :

1. यह प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र-धारक को इसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट बीमा व्यवसाय के लिए कारपोरेट एजेंट के विनिर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।
2. इस प्रमाणपत्र में कोई सुधार विधिमान्य नहीं है तथा इस प्रमाणपत्र में किसी भी सुधार के लिए, उक्त विनिर्दिष्ट व्यक्ति कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी के माध्यम से इसके लिए प्राधिकरण को अनुरोध प्रस्तुत करेगा।
3. प्रमाणपत्र-धारक का ध्यान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा आचरण-संहिता के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण किया जा सकता है।

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

फार्म बी

[विनियम 4 और 9 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या:

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा को उपर्युक्त अधिनियम के अधीन कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए (श्रेणी का विवरण लिखें) पंजीकरण प्रदान करता है।
2. उक्त कारपोरेट एजेंट के लिए पंजीकरण कूट है।
3. यह पंजीकरण से तक वैध होगा।
4. यह पंजीकरण अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन में अथवा उनके अनुरूप है।

स्थान:

आदेशानुसार

दिनांक:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और
उनकी ओर से

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

फार्म सी

[विनियम 11 देखें]

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या:

1. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धारा..... और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन मेसर्स.....
श्रेणी.....
.....कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण इसके द्वारासे
तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।
2. हैदराबाद में.....दिन.....दो हजार.....
.....को जारी किया गया।
3. यह पंजीकरण इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015, उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों, परिपत्रों और निदेशों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।

स्थान:

आदेशानुसार

दिनांक:

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और
उनकी ओर से

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

फार्म बी

[विनियम 15 देखें]

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूब्लिकेट)

पंजीकरण संख्या :

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद् द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन
.....कोकारपोरेट एजेंट के रूप में
(श्रेणी का विवरण लिखें)
कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है।
2. उक्त कारपोरेट एजेंट के लिए पंजीकरण कूटहै।
3. यह पंजीकरणसेतक वैध होगा।

4. यह पंजीकरण बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन है एवं इसे किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन के रूप में अथवा उनके अनुरूप होने के तौर पर नहीं माना जाएगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और
उनकी ओर से

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन

1. मैं आपको सूचित करते हुए स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि मेरा/हमारा पंजीकरण

संख्या.....

1. खो गया है

2. नष्ट किया गया है

3. कटा-फटा है

जोकि निम्नलिखित कारणों से हुआ है.....
.....

2. शुल्क का भुगतान :

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को वापस न करने योग्य 1000/- रुपये का शुल्क अदा करने की आवश्यकता होगी।

भुगतान का विवरण :

बैंक का नाम :

भुगतान की विधि : एनईएफटी / आरटीजीएस

भुगतान की तारीख:

लेन-देन का विवरण, संख्या सहित:

3. घोषणा

मैं इसके द्वारा विनियम 15 के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों के आलोक में पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करें।

मैं..... सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ/करती हूँ और यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

निदेशक 1 के हस्ताक्षर

निदेशक 2 के हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुबंध 4

[विनियम 25 देखें]

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति हेतु आवेदन
आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम:

1.2 पता - व्यवसाय का प्रधान स्थान / पंजीकृत कार्यालय

पिन कोड	ईमेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या
वेबसाइट पता	

1.3 पत्रव्यवहार के लिए पता :

पिन कोड	ई-मेल
टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या

1.4 टीआरएआई (ट्राई) पंजीकरण का ब्योरा

क) पंजीकरण संख्या:

ख) पंजीकरण की तारीख:

ग) पंजीकरण की विधिमान्यता:

1.5 प्राधिकृत व्यक्ति / प्रभारी का नाम और पदनाम:

क) नाम:

ख) पदनाम:

ग) संपर्क संख्या:

घ) ई-मेल पता:

1.6 प्रस्तावित / वर्तमान शाखा कार्यालयों का विवरण जहाँ आवेदक दूरविपणन संचालित करने का प्रस्ताव करता है

स्थान	पता	शाखा प्रभारी का नाम	विनिर्दिष्ट व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता	संपर्क संख्या और ई-मेल पता

1.7 कारपोरेट एजेंट का नाम जिसके साथ आवेदक कार्य करना चाहता है:

- क) नाम:
ख) पंजीकरण संख्या:
ग) करार की प्रति

2. संगठन – संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति :

(उदा. लिमिटेड कंपनी – निजी/सरकारी, एलएलपी/सहकारी समिति/ भागीदारी फर्म/ स्वामित्व फर्म। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

आवेदक की श्रेणी	पंजीकरण का विवरण	निगमन की तारीख दिन-माह-वर्ष	निगमन का स्थान	शेयर बाजारों के नाम (यदि सूचीबद्ध कंपनी हो)

2.2 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगी संस्थाओं के साथ आवेदक के 5% और उससे अधिक शेयर धारित करते हैं)

दिनांक..... को शेयरधारिता		
शेयर धारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूँजी का प्रतिशत (%)

2.3 सभी निदेशकों/साझेदारों का विवरण

नाम	पदनाम/स्थिति	योग्यता	आवेदक कंपनी में शेयरधारिता	अन्य कंपनियों में निदेशन

सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी के हित का स्वरूप

क्या सहयोगी कंपनियों/ संस्थाओं के किसी एक या उससे अधिक निदेशकों/ शेयरधारकों का हित आवेदक के व्यवसाय में है। यदि हाँ, तो हित का स्वरूप प्रस्तुत करें।

2.4 अन्य संस्थाओं के साथ दूरविपणन कार्यकलापों का विवरण

संस्था का नाम	संस्था/प्रतिष्ठान के कार्यकलापों का स्वरूप	करार की तारीख	करार की वैधता	क्या संस्था के कोई संबंधित पक्षकार बीमा से संबंधित हैं। यदि हाँ, तो ब्योरा विनिर्दिष्ट करें

प्राधिकृत सत्यापकों का विवरण

नाम	पता	पैन/ आधार संख्या	योग्यता (बीमा योग्यता सहित)	पिछला रोजगार	दायित्वों का ब्योरा	विनियमों के अनुसार परीक्षा निकाय द्वारा जारी परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाणपत्र

(टिप्पणी: दूरविपणनकर्ता समय-समय पर तथा जब भी परिवर्तन हो तब प्राधिकृत सत्यापकों में वृद्धि/ कमी की स्थिति को अद्यतन करेगा)

3. अन्य जानकारी, यदि कोई हो

3.1 सभी निपटायें गये और लंबित विवादों का विवरण

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित / निपटायें गये

“यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें

पिछले तीन वर्षों के दौरान यदि आवेदक अथवा किसी निदेशक द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका और/ या किसी अन्य विनियमनकर्ता अथवा सरकारी प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई/ प्रारंभ की गई हो तो उसका विवरण दें।

4. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैंने सत्यापन किया है और पाया है कि आवेदक -

(क) सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया है;

(ख) सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वास-भंग अथवा धोखाधड़ी अथवा जालसाजी अथवा ऐसे किसी अपराध का अवप्रेरण करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया है;

(ग) बीमे की किसी पॉलिसी अथवा किसी बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा किसी बीमाकर्ता के कार्यों की जाँच-पड़ताल के दौरान किसी बीमाकर्ता अथवा किसी बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध धोखेबाजी, बेईमानी अथवा गलतबयानी का दोषी अथवा उसमें जानबूझकर भाग लिया हुआ अथवा दोषसिद्ध नहीं पाया गया है; तथा

(घ) आवेदक ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अधीन विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

5. मैं आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/ करती हूँ।

(क) टीआरएआई (ट्राई) पंजीकरण की प्रति

(ख) करार की प्रति

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

कारपोरेट एजेंट के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या:

कारपोरेट एजेंट का नाम:

पता:

पंजीकरण संख्या:

समाप्ति की तारीख:

पंजीकरण की श्रेणी:

प्रमाणपत्र-धारक का नाम:

पता:

टीआरएआई (ट्राई) पंजीकरण संख्या:

प्रस्तुत की गई सूचना के संतोषजनक पाये जाने के उपलक्ष्य में उपर्युक्त को इसके द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार उपर्युक्त कारपोरेट एजेंट के दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान:

दिनांक:

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुबंध 5

[विनियम 25 देखें]

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

प्राधिकृत सत्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

टिप्पणियाँ और अनुदेश:

1. प्राधिकृत सत्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कारपोरेट एजेंट के प्रधान अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सत्यापक की ओर से, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति का ब्योरा देते हुए प्रस्तुत किया जाएगा।
2. प्राधिकृत सत्यापक की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में किसी भी भूल-चूक के लिए प्रधान अधिकारी और कारपोरेट एजेंट जिम्मेदार होंगे।
3. प्राधिकृत सत्यापक बनने के आकांक्षी व्यक्ति को आवेदन की तारीख को अवश्य कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो आवेदक आयु का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

4. आवेदक आवेदन के साथ शैक्षिक अर्हता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा; भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित भर्ती-पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्था से व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करेगा।
5. आवेदक द्वारा देय शुल्क पाँच सौ रुपये अथवा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट राशि है।

1. प्राधिकृत सत्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित करने वाले व्यक्ति का नाम: _____ (जैसा कि पासपोर्ट अथवा जन्म प्रमाणपत्र में उल्लिखित है)
2. पिता/ पति का नाम:
3. संपर्क संख्या के साथ पूरा पता:
4. जन्म-तिथि: दिन-माह-वर्ष
5. सिरनामा (टाइटल) : श्री/श्रीमती/कुमारी
6. पीएन (पैन) संख्या/ आधार संख्या:
7. अर्हताओं का विवरण:
8. पिछले रोजगार का विवरण (पूर्ववर्ती तीन नियोक्ताओं का ब्योरा प्रस्तुत करें)

नियोक्ता का नाम	कार्यकलापों का स्वरूप	क्या बीमे से संबंधित है। यदि हाँ, तो ब्योरा दें	कार्य के दायित्व	कार्यग्रहण करने की तारीख	कार्यमुक्त होने की तारीख

9. क्या प्राधिकृत सत्यापक के रूप में पहले से नामांकित है:

(i) यदि हाँ, तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

(क) दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) का नाम:

(ख) दूरविपणनकर्ता की प्रमाणपत्र संख्या:

(ग) टीआरआई (ट्राई) पंजीकरण संख्या:

(घ) पंजीकरण की तारीख:

(ङ) पंजीकरण की विधिमान्यता:

(च) प्राधिकृत सत्यापक की प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र की संख्या:

(छ) प्राधिकृत सत्यापक के परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाणपत्र की संख्या:

(ज) उस संस्था का नाम जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया:

(झ) पूर्ण किये गये प्रशिक्षण घंटों की संख्या:

(ञ) दूरविपणनकर्ता का नाम जिसके पास इसके पहले नियोजित था:

(ii) यदि नहीं, तो निम्नलिखित ब्योरा प्रस्तुत करें:

- (क) दूरविपणनकर्ता का नाम:
- (ख) टीआरआई (ट्राई)पंजीकरण संख्या:
- (ग) पंजीकरण की तारीख:
- (घ) पंजीकरण की विधिमान्यता:
- (ङ) प्राधिकृत सत्यापक के परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाणपत्र की संख्या:
- (च) उस संस्था का नाम जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया:
- (छ) पूर्ण किये गये प्रशिक्षण घंटों की संख्या:
- (ज) प्रशिक्षण के लिए नामांकन की तारीख:
- (झ) प्रशिक्षण पूरा करने की तारीख:

10. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैंने सत्यापन किया है और पाया है कि प्राधिकृत सत्यापक -

- (क) सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा विक्षिप्त नहीं पाया गया है;
- (ख) सक्षम अधिकार-क्षेत्र के किसी न्यायालय द्वारा आपराधिक दुर्विनियोजन अथवा आपराधिक विश्वास-भंग अथवा धोखाधड़ी अथवा जालसाजी अथवा ऐसे किसी अपराध का अवप्रेरण करने अथवा प्रयास करने का दोषी नहीं पाया गया है;
- (ग) बीमे की किसी पॉलिसी अथवा किसी बीमा कंपनी के समापन से संबंधित किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान अथवा किसी बीमाकर्ता के कार्यों की जाँच-पड़ताल के दौरान किसी बीमाकर्ता अथवा किसी बीमाकृत व्यक्ति के विरुद्ध धोखेबाजी, बेईमानी अथवा गलतबयानी का दोषी अथवा उसमें जानबूझकर भाग लिया हुआ अथवा दोषसिद्ध नहीं पाया गया है; तथा
- (घ) प्राधिकृत सत्यापक ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अधीन विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।

11. मैं प्राधिकृत सत्यापक द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता, भर्ती-पूर्व परीक्षा, और व्यावहारिक प्रशिक्षण के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेख संलग्न करता/ करती हूँ।

- (क)
- (ख)
- (ग)
- (घ)

प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015**

प्राधिकृत सत्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या:.....

कारपोरेट एजेंट का नाम:

पता:

पंजीकरण संख्या:

समाप्ति की तारीख:

पंजीकरण की श्रेणी:

दूरविपणनकर्ता का नाम:

टीएआरआई (ट्राई) पंजीकरण संख्या:

पंजीकरण की तारीख:

समाप्ति की तारीख:

प्रमाणपत्र-धारक का नाम:

पता:

नियोजन (पोस्टिंग) का स्थान:.....

प्रस्तुत की गई सूचना के संतोषजनक पाये जाने तथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने और/ या परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपलक्ष्य में उपर्युक्त को इसके द्वारा से दूर- विपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) के प्राधिकृत सत्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

स्थान:

दिनांक: कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रमाणपत्र-धारक के हस्ताक्षर:

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 20th August, 2015

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF
CORPORATE AGENTS) REGULATIONS, 2015**

F. No. IRDAI/Reg/12/102 / 2015.—In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time, read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) and sections 42D and 42E of Insurance Act, 1938, as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short Title and Commencement of the Regulations:

- (1) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force from 1st April, 2016.
- (3) A corporate agent who has been issued a licence prior to the commencement of these regulations may seek a fresh certificate of registration to work as a corporate agent by applying to the Authority in accordance with the procedure specified by the Authority in this behalf.

2. Definitions:

- (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time.
- (b) "Applicant" means —
 - (i) A company formed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any enactment thereof or under any previous company law which was in force; or
 - (ii) A limited liability partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008; or
 - (iii) A Co-operative Society registered under Co-operative Societies Act, 1912 or under any law for registration of co-operative societies; or
 - (iv) a banking company as defined in clause (4A) of section 2 of the Act; or
 - (v) a corresponding new bank as defined under clause (da) of sub-section (1) of section 5 of the Banking Companies Act, 1949 (10 of 1949); or
 - (vi) a regional rural bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976); or
 - (vii) a Non-Governmental organisation or a micro lending finance organization covered under the Co-operative Societies Act, 1912 or a Non-Banking Financial Company registered with the Reserve Bank of India; or
 - (viii) Any other person as may be recognized by the Authority to act as a corporate agent.
- (c) "Approved Institution" means any institution engaged in education and/or training particularly in the area of insurance sales, service and marketing, approved and notified by the Authority from time to time, and includes Insurance Institute of India, Mumbai.
- (d) "Authorized Verifier" means a person employed by a Telemarketer for the purpose of solicitation or sale over telephonic mode and shall fulfill the requirements as specified under regulation 7(3) of these regulations for a specified person;
- (e) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- (f) "Corporate Agent" means any applicant specified in clause (b) above holds a valid certificate of registration issued by the Authority under these regulations for solicitation and servicing of insurance business for any of the specified category of life, general and health.
- (g) "Corporate Agent (Life)" means a corporate agent who holds a valid certificate of registration to act as such, issued by the Authority under these regulations, for solicitation and servicing of insurance business for life insurers as specified in these regulations;
- (h) "Corporate Agent (General)" means a corporate agent who holds a valid certificate of registration to act as such, issued by the Authority under these regulations, for solicitation and servicing of insurance business for general insurers as specified in these regulations;
- (i) "Corporate Agent (Health)" means a corporate agent who holds a valid certificate of registration to act as such, issued by the Authority under these regulations, for solicitation and servicing of insurance business for health insurers as specified in these regulations;
- (j) "Corporate Agent (Composite)" means a corporate agent who holds a valid certificate of registration to act as such, issued by the Authority under these regulations, for solicitation and procurement of insurance business for life insurers, general insurers and health insurers or combination of any two or all three as specified in clauses (f) above;

- (k) "Examination Body" for the purpose of these Regulations is Insurance Institute of India, Mumbai or any other body approved and notified by the Authority for conducting certification examination for principal officer and specified persons of the corporate agents.
- (l) "Fit and Proper" is the criteria for determining the suitability for registering an Applicant including his principal officer, directors or partners or any other employees to act as Corporate Agent.
- (m) "Principal Officer" of a Corporate Agent means a director or a partner or any officer or employee so designated by it, and approved by the Authority, exclusively appointed to supervise the activities of Corporate Agent and who possesses the requisite qualifications and practical training and has passed examination as required under these Regulations.
- (n) "Registration" means a certificate of registration to act as a corporate agent issued under these regulations.
- (o) "Regulations" means Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agent) Regulations, 2015.
- (p) "Specified Person" means an employee of a Corporate Agent who is responsible for soliciting and procuring insurance business on behalf of a corporate agent and shall have fulfilled the requirements of qualification, training and passing of examination as specified in these regulations;
- (q) "Telemarketer" means an entity registered with Telecom Regulatory Authority of India under Chapter III of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 to conduct the business of sending commercial communications and holding a certificate issued by the Authority;
- (r) Words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Act, as amended from time to time, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 or in any of the Regulations / Guidelines made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts/ Regulations / Guidelines.

3. Scope and applicability of these Regulations:

- (1) These regulations shall cover Registration of Corporate Agents for the purpose of soliciting, procuring and servicing of Insurance business of life insurers, general insurers and health insurers during the validity of certificate of registration as follows.
 - (a) A Corporate Agent (Life), may have arrangements with a maximum of three life insurers to solicit, procure and service their insurance products.
 - (b) A Corporate Agent (General), may have arrangements with a maximum of three general insurers to solicit, procure and service their insurance products. Further, the Corporate Agent (General) shall solicit, procure and service retail lines of general insurance products and commercial lines of such insurers having a total sum insured not exceeding rupees five crores per risk for all insurances combined.
 - (c) A Corporate Agent (Health), may have arrangements with a maximum of three health insurers to solicit, procure and service their insurance products.
 - (d) In the case of Corporate Agent (Composite), the conditions as specified in clauses (a) to (c) shall apply.
 - (e) any change in the arrangement with the insurance companies shall be done only with the prior approval of the Authority and with suitable arrangements for servicing existing policyholders.

4. Application for grant of registration - (1) An applicant desiring to obtain a Certificate of Registration to act as a corporate agent is either –

- (i) An entity whose principal business is other than distribution of insurance products and insurance distribution is a subsidiary activity;
 - (ii) An entity whose principal business is to exclusively carry on insurance intermediation.
- (2) The applicant shall make an application in Form A to the Authority as specified in Schedule I.
 - (3) The application under sub-regulation (2) shall be accompanied by requisite fees as specified in regulation 17.
 - (4) An applicant registered or licensed by any other regulatory body in the financial sector, shall obtain no objection certificate from the respective bodies and file along with the application made under sub-regulation (2) above.

Provided that corporate agents already licensed under the IRDA's (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002 are exempt from the above requirement at the time of seeking registration under these regulations.

(5) An application under sub-regulation (2) shall be made for any one of the following categories, namely: -

- a. Corporate Agent (Life);
- b. Corporate Agent (General);
- c. Corporate Agent (Health)
- d. Corporate Agent (Composite)

(6) An applicant or its group entities ordinarily may be granted one certificate of registration provided that the group does not have any other insurance intermediation such as corporate agency or insurance broking or insurance marketing firm or web aggregator. However an application for a corporate agency registration where any member of the applicant is already engaged in insurance intermediation including corporate agency shall be considered on merits and with no conflict of interest.

Note: *For the purposes of these regulations, the definition of "group" shall have the same meaning as defined under Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000 as amended from time to time, any other direction issued in this regard by the Authority.*

5. Application to conform to the requirements - An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in Form A and these regulations, shall be rejected.

Provided that, before rejecting any such application, the applicant shall be given reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

6. Furnishing of information, clarification and personal representation — (1) The Authority may require an applicant to furnish any further information or clarification for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.

(2) The applicant or its principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with their application.

7. Consideration of application - (1) The Authority while considering an application for grant of registration shall take into account, all matters relevant for carrying out the activities of a corporate agent.

(2) Without prejudice to the above, the Authority in particular, shall take into account the following, namely:-

- (a) whether the applicant is not suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Act;
- (b) whether the applicant has the necessary infrastructure, such as, adequate office space, equipment and trained manpower on their rolls to effectively discharge its activities;
- (c) whether any person, directly or indirectly connected with the applicant, has been refused in the past the grant of licence/registration by the Authority.

a. **Explanation** : — *For the purposes of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group company of the applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 or The Competition Act, 2002, as the case may be.*

- (d) Whether the principal officer of the applicant is a graduate and has received at least fifty hours of theoretical and practical training from an approved institution according to a syllabus approved by the Authority, and has passed an examination, at the end of the period of training mentioned above, conducted by the examination body.

Provided that where the principal officer of the applicant is an Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or Associate/ Fellow of the CII, London; or Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or holds any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad, the theoretical and practical training shall be twenty five hours.

- (e) whether the principal officer, directors and other employees of the applicant have not violated the code of conduct as specified in Schedule III to these regulations during the last three years;
 - (f) Whether the applicant, in case the principal business of the applicant is other than insurance, maintain an arms-length relationship in financial matters between its activities as Corporate Agent and other activities.
 - (g) Whether the Principal Officer/Director(s)/Partner(s)/Specified Persons is/are Fit and Proper based on the statement in Annexure 1 of these regulations; and
 - (h) the Authority is of the opinion that the grant of registration will be in the interest of policyholders.
- (3) The specified persons of the applicant shall fulfill the following requirements –
- a. Having passed minimum of 12th Class or equivalent examination from a recognized Board/Institution;
 - b.
 - (i) The specified person shall have undergone at least fifty hours of training, for the specified category of life, general, health for which registration is sought for, from an approved institution and shall have passed the examination conducted by the examination body;
 - (ii) The specified person of corporate agent (composite) shall have undergone at least seventy five hours of training from an approved institution and shall have pass the examination conducted by the examination body;
 - c. the specified persons engaged by the corporate agent to solicit and procure insurance business shall have valid certificate issued by the Authority, as specified in these Regulations. The certificate shall be valid for a period of three years from the date of issue subject to the valid registration of the corporate agent;

The specified person shall apply through the principal officer of the corporate agent to the Authority in the format specified in Annexure 3 of these regulations for issuance of certificate.

- d. A specified person of a corporate agent wishes to switch over to any other corporate agent, shall do so by applying to the Authority through the new corporate agent along with a no objection certificate issued by the present corporate agent. In case, the present corporate agent does not issue a no objection certificate within 30 days, it shall be deemed that the said corporate agent has no objection to his switching over. The Authority after receipt of request from the corporate agent, issue a revised certificate changing the name of the corporate agent indicating the switching over.
 - e. Specified Persons and/or Chief Insurance Executives who are qualified and already working with a corporate agent licensed under Insurance Regulatory and Development Authority (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002, may continue to work with corporate agents registered under these regulations. However, the details of such Specified Persons and/or Chief Insurance Executives shall be provided to the Authority in the manner specified at the time of making an application for granting registration or within six months from the date of their registration. The Authority after receipt of the details issue to such Specified Persons and/or Chief Insurance Executives a certificate as specified in sub-regulation (c) above.
8. **Requirements of Capital** - (1) An applicant exclusively doing insurance distribution shall have a minimum equity share capital or contribution and net worth of rupees fifty lakh. They shall maintain the net worth at all times.

(2) In case of applicant exclusively doing insurance distribution, the aggregate holdings of equity shares or contribution by a foreign investor, including portfolio investors, shall be as prescribed by the Central Government from time to time.

9. Procedure for Registration –

- (1) The Authority on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for the grant of registration, shall grant a registration in Form B and send an intimation thereof to the applicant mentioning the category for which the Authority has granted the registration. The registration shall be issued subject to the applicant adhering to the conditions and the code of conduct as specified by the Authority from time to time.
- (2) A corporate agent registered under these regulations for a specified category may also apply for the grant of a registration by the Authority for any other category by fulfilling the requirements of these regulations. However, such application shall be made only after completion of one year from the grant of a registration in the first instance.
- (3) In case a registration issued under regulation 4 of these regulations or issued under any other regulations which were in force prior to the notification of these regulations, is cancelled/ surrendered or renewal rejected by the Authority for the reasons specified therein, the applicant may make a fresh application for grant of registration only after lapse of one year from the effective date of such cancellation/surrender or rejection of renewal of registration, for consideration of the Authority. The Authority may consider such application on merit as per regulation 7 of these regulations.

10. Validity of registration—A registration once issued shall be valid for a period of three years from the date of its issue, unless the same is suspended or cancelled pursuant to these regulations.**11. Renewal of registration -** (1) A corporate agent may, within thirty days before the expiry of the registration, make an application in Form A along with requisite fee to the Authority for renewal of registration.

Provided however that if the application reaches the Authority later than that period but before the actual expiry of the current registration, an additional fee of rupees one hundred, plus applicable taxes, shall be payable to the Authority.

Provided further that the Authority may for sufficient reasons offered in writing by the applicant for a delay not covered by the previous proviso, accept an application for renewal after the date of the expiry of the registration on payment of an additional fee of seven hundred and fifty rupees, plus applicable taxes, by the applicant.

Note: A corporate agent is permitted to submit the application for renewal of registration ninety days prior to the expiry of the registration

(2) Principal Officer and specified persons before seeking a renewal of registration, shall have completed, at least twenty five hours of theoretical and practical training, imparted by an approved institution.

(3) An application for renewal, under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as specified under regulation 7.

(4) The Authority, on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for a renewal of the registration, shall renew the registration in Form C for a period of three years and send intimation to the applicant.

12. Procedure where a registration is not granted –

- (1) Where an application for grant of a registration under regulation 4 or renewal thereof under regulation 11, does not satisfy the conditions set out in regulation 7, the Authority may refuse to grant or renew the Certificate of Registration.

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

- (2) The refusal to grant or renew a Certificate of Registration shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- (3) Any applicant aggrieved by the decision of the Authority may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made by the Authority under sub-regulation (2) above is received by it.

13. Effect of refusal to grant registration— An applicant, whose application for grant of registration under regulation 4 or of a renewal thereof under regulation 11 has been refused or rejected by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under regulation 12(2) cease to act as a corporate agent. He, however, shall continue to be liable to provide services in respect of contracts already entered into through him. Such a service shall continue upto the period of expiry of those existing contracts, which have already been closed, or for a period of six months, whichever is earlier within which time they shall make suitable arrangements with the concerned insurer.

14. Conditions of grant of registration to Corporate Agent:

The registration granted under regulation 9 or the renewal granted under regulation 11 shall, *inter alia*, be subject to the following conditions:-

- (i) The corporate agent registered under these regulations shall be permitted to solicit and service insurance business as specified in regulation (3) above only;
- (ii) The corporate agent shall comply with the provisions of the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Regulations, Circulars, Guidelines and any other instructions issued there under from time to time by the Authority;
- (iii) The corporate agent shall forthwith inform the Authority in writing, if any information or particulars previously submitted to the Authority by them are found to be false or misleading in respect of any material particular or if there is any material change in the information already submitted;
- (iv) The corporate agent shall take adequate steps for redressal of grievances of its clients within 14 days of receipt of such complaint and keep the Authority informed about the number, nature and other particulars of the complaints received from such clients in format and manner as may be specified by the Authority;
- (v) The corporate agent shall solicit and procure reasonable number of insurance policies commensurate with their resources and the number of specified persons they employ.
- (vi) The corporate agent shall maintain records in the format specified by the Authority which shall capture policy-wise and specified person-wise details wherein each policy solicited by the corporate agent is tagged to the specified person, except for those products which are simple, sold over the counter and specifically approved by the Authority. The corporate agent shall put in place systems which allow regular access to such records and details by the Authority.
- (vii) The corporate agent under no circumstance shall undertake multi-level marketing for solicitation of insurance products;
- (viii) The Corporate Agent shall ensure compliance of Code of Conduct applicable to its directors, principal officer and specified persons;
- (ix) The corporate agent shall maintain separate books of accounts for their corporate agency business as specified in regulation 31;

15. Issue of duplicate certificate of registration –

(1) In the event of a certificate of registration being lost or destroyed or mutilated, a corporate agent shall submit to the Authority an application with a declaration giving full details of the issue of the registration and its loss or destruction or mutilation along with a fee of rupees one thousand, plus applicable taxes, to the Authority requesting issue of a duplicate certificate of registration.

(2) The Authority, after satisfying itself that the original certificate of registration has been lost, destroyed or mutilated, shall issue a duplicate certificate of registration in Form B with an endorsement thereon that it is a duplicate one.

16. Action against a person acting as a corporate agent without a valid registration—

- (1) Notwithstanding and without prejudice to initiation of any criminal proceedings against any person, who acts as a corporate agent without holding a valid registration made under these regulations, the Authority may invoke against such a person penal action under the Act or any other law for the time being in force
- (2) Where the person falling under sub-regulation (1), is a company or firm or body corporate, without prejudice to any other proceedings which may be taken by the Authority against the company or firm or body corporate, every director, manager, secretary or other officer of the company or body corporate, and every partner of the firm, who is knowingly a party to such a contravention shall also be liable to be proceeded against.

17. Payment of fees and the consequences of failure to pay fees —

(1) Every corporate agent shall at the time of application of registration and renewal thereof pay non-refundable application fee of Rs.10,000/-, plus applicable taxes. The fees shall be payable by an Account Payee draft in favour of "The Insurance Regulatory and Development Authority of India" payable at Hyderabad or by recognised electronic funds transfer to Insurance Regulatory and Development Authority of India. No application shall be processed without the application fee.

(2) Upon receipt of communication for grant of registration from the Authority, the applicant shall pay a fee of Rs.25,000/-, plus applicable taxes, within 15 days of receipt of such communication. On receipt of the fee and on satisfactory compliance of terms and conditions for grant of registration, the Authority shall grant the registration to act as a corporate agent under the category for which an application is made.

(3) A corporate agent desirous of applying for renewal shall make an application for renewal in the prescribed format along with a fee of Rs.25,000/-, plus applicable taxes.

18. Remuneration—

(1) The payment of remuneration to or receipt of remuneration by a corporate agent shall be governed by the regulations notified in this behalf by the Authority from time to time.

(2) Corporate agents who were licensed under IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002 may be allowed to receive remuneration for the business sourced and procured by them under those regulations provided they continue to service their customers as specified in regulation 24(2) of these regulations. In case such corporate agents desire to be registered under these regulations, they shall disclose the remuneration received under old contracts and new contracts separately in their books of accounts as specified in regulation 31.

19. Requirement of Professional Indemnity Insurance Policy—

(1) Every corporate agent, where the revenues from their insurance intermediation activities is more than fifty per cent of their total revenue from all the activities, shall take out and maintain at all times a professional indemnity insurance cover throughout the validity of the period of the registration granted to it by the Authority.

Provided that the Authority shall in suitable cases allow a newly registered corporate agent to produce such a policy within twelve months from the date of issue of original registration.

(2) The limit of indemnity shall be two times the total annual remuneration of the corporate agent derived from their insurance intermediation activities in a year subject to a minimum of Rupees fifteen lakh and a maximum of Rupees one hundred crore.

(3) The scope of cover and other terms and conditions of the Professional Indemnity Policy is specified in Schedule II of these regulations.

20. Board Approved Policy for Open Architecture –

(1) Every corporate agent shall file, at the time of seeking registration, with the Authority, a Board or its equivalent Approved Policy on the manner of soliciting and servicing insurance products. The Policy shall address the manner of adopting the philosophy of open architecture and going forward in implementing the same. The Policy, amongst others, shall include the approach to be followed by the corporate agent in having single or multiple tie-ups, the partners in the tie-ups, the business mix, the type of products sold, grievance redressal mechanism and reporting requirements.

(2) The corporate agents shall furnish half-yearly returns to the Authority insurer-wise business placed separately in respect of life, general and health insurance, in the formats specified by the Authority, before 31st October and 30th April every year. The Authority on examination of the returns furnished may issue such directions or advices as it deem necessary to the corporate agent and shall be complied with the same.

21. Conflict of interest –

While soliciting and procuring the insurance business, the corporate agent shall comply with the following:

- (i) The corporate agent having tie-ups with more than one insurer in a particular line of business, disclose to the prospective customer the list of insurers, with whom they have arrangements to distribute the products and provide them with the details such as scope of coverage, term of policy, premium payable, premium terms and any other information which the customer seeks on all products available with them. Further, disclose the scale of commission in respect of the insurance product offered, if asked by the prospect;
- (ii) Where the insurance is sold as an ancillary product along with a principal business product, the corporate agent or its shareholder or its associates shall not compel the buyer of the principal business product to necessarily buy the insurance product through it. The Principal Officer and CFO (or its equivalent) of the corporate agent shall file with the Authority a certificate in the format given in the Schedule VIII on half-yearly basis, certifying that there is no forced selling of an insurance product to any prospect.
- (iii) No insurer shall require the corporate agent to insure every client with it.

22. Disclosures to the Authority–

- (1) An applicant desires to become a corporate agent shall disclose to the Authority at the time of filing application all material facts relevant for consideration of application, on its own. In case of any change in the information provided for consideration of their application, subsequent to filing of application or during the processing of application, such change shall be disclosed to the Authority, voluntary by the applicant, for consideration of the Authority.
- (2) Similarly, a corporate agent who holds a valid registration issued by the Authority shall, subsequent to the issuance of registration, disclose, to the Authority voluntarily, any change in material facts, based on which a registration was made to them, within a reasonable time but not later than 30 days from the happening of such change. The Authority upon receipt of such information, may seek any clarification or issue such directions as it deem fit.
- (3) A corporate shall disclose to the Authority proceedings initiated against them by other regulatory or Government bodies within a reasonable time but not later than 30 days from the initiation of such proceedings. Any action or direction issued by such other bodies shall also be disclosed to the Authority within the time limits prescribed above.
- (4) The Authority may require, from time to time, the corporate agent to furnish such information or return as deemed appropriate.
- (5) The corporate agent shall disclose to the Authority the details of its offices in which they propose to distribute insurance products and details of Specified Persons along with their certificate number issued by the Authority. Further, any opening or closure of an office by a corporate agent shall be informed to the Authority. The Authority may seek further information as it deem appropriate.
- (6) Failure to adhere to the conditions set out above shall attract regulatory actions such as suspension or cancellation of registration, imposition of monetary penalty or any other action which the Authority deem fit.

23. Arrangements with insurers for distribution of products

- (a) Corporate agents registered under these regulations shall have to enter into arrangements with insurers for distribution of their products. These arrangements shall have to be disclosed to the Authority within 30 days of entering into such arrangements. The minimum period of such arrangement shall be for one year;
- (b) While entering into such arrangements, no corporate agent shall promise nor any insurer shall compel the corporate agent to distribute the products of a particular insurer;
- (c) Arrangements shall have provisions to include duties and responsibilities of corporate agents towards the policyholders, duties and responsibilities of insurers and corporate agents, terms and conditions for termination of arrangements;
- (d) No arrangements shall be made against the interests of policyholders;
- (e) In case a corporate agent wishes to terminate arrangement with any insurer, they may do so after informing the insurer and the Authority, the reasons for termination of arrangement. In such cases, they shall ensure that the policies solicited and placed with the insurer are serviced till the expiry of policies, or for a period of six months, whichever is earlier within which time they shall make suitable arrangements with the concerned insurer;
- (f) In case an insurer wishes to terminate the arrangement with any corporate agent, they may do so after informing the corporate agent and the Authority, the reasons for termination of arrangement. In such cases, the concerned insurer shall take the responsibility of servicing the policies procured by the corporate agent. In all such cases, the insurer shall inform the policyholder concerned of the changes made in servicing arrangements;
- (g) No insurer shall pay and no corporate agent shall receive any signing fee or any other charges by whatever name called, except those permitted by the Authority under relevant regulations, for becoming its corporate agent;
- (h) No insurer shall directly pay incentives (cash or non-cash) to the principal officer, specified persons and other employees of the corporate agents;
- (i) The Authority may, at any point in time, direct any insurer or corporate agent to terminate the distribution arrangements by recording the reasons there for.

24. Servicing of policyholders—

- (1) A corporate agent registered under these regulations shall have the duty to service its policyholders during the entire period of contract. Servicing includes assisting in payment of premium required under section 64VB of the Act, providing necessary assistance and guidance in the event of a claim, providing all other services and guidance on issues which arise during the course of an insurance contract.
- (2) In case of a corporate agent licensed under IRDA (Licensing of Corporate Agents) Regulations, 2002 they shall comply with regulation 1(3) of these regulations. However, they shall continue to service their existing policyholders as required under sub-clause (1) of this regulation till the expiry of the term of such policies or for a period of six months, whichever is earlier, within which time they shall make suitable arrangements with the concerned insurer for servicing the contracts. The details of such contracts along with the arrangements shall be disclosed to the Authority within thirty days of such arrangements.

25. Sale of Insurance by tele-marketing mode and distance marketing activities of a corporate agent –

- (1) A corporate agent who intends to engage the services of a telemarketer or engage in distance marketing activities for the purpose of distribution of insurance products shall follow the instructions as laid down in Schedule VII.
- (2) Without prejudice to sub-regulation (1) above, a corporate agent shall have to comply with the following additional conditions for engaging the services of a telemarketer:
 - (i) The telemarketer engaged by the corporate agent shall comply with various circulars and/or guidelines or any other direction issued by Telecom Regulatory Authority of India in the matter;
 - (ii) A corporate agent intends to undertake telemarketing activities for insurance intermediation shall seek prior approval of the Authority in the form specified by the Authority at Annexure 4 of these regulations. The Authority on verification of the same issue a certificate to the telemarketer;
 - (iii) Further, the corporate agent shall file with the Authority the names of Authorised Verifiers engaged/proposed to be engaged by the telemarketer in the form specified at Annexure 5 of these regulations. The Authority on verification of the same issue a certificate to the Authorised Verifier.

- (iv) In case an Authorised Verifier intends to switch to another telemarketer who is also dealing with insurance intermediation, they shall obtain a No Objection Certificate from the erstwhile telemarketer and submit the same to the Authority for issuing a fresh certificate. In case, the present telemarketer does not issue a no objection certificate within 30 days from the date of application for the same, it shall be deemed that the telemarketer has no objection to his switching over;
 - (v) Application for removal or addition of Authorised Verifiers shall be made by the Corporate Agent concerned through the Principal Officer;
 - (vi) In case the corporate agent registers as telemarketer with TRAI, the corporate agent shall act as telemarketer for only those insurers with whom he has arrangements;
 - (vii) No corporate agent or its telemarketer shall make outbound calls to any person unless he or she has shown interest in buying an insurance policy by making enquiries to that effect. They shall maintain the database of such persons and the enquiry made for verification and checking by the Authority or any person authorized by it.
 - (viii) The telemarketer shall disclose to the prospective customer the following information –
 - (a) The name of the corporate agent they represent;
 - (b) The registration number of the corporate agent;
 - (c) Contact number of the telemarketer and/or corporate agent in case the customer desires to call back or verify the telesales information;
 - (d) Name and identification number of the person (Authorised Verifier) making the tele-call.
 - (ix) A corporate agent engaging a telemarketer shall enter into an agreement with the telemarketer and the agreement shall provide the details such as source of the database, duties and responsibilities, payment details, period of agreement, actions to be taken in case of violation of Act, regulations, guidelines, circulars, directions issued by the Authority, Code of Conduct of Authorised Verifiers. The agreements shall be made available to the Authority or any person authorized by the Authority for verification as and when required;
 - (x) Every telemarketer and the authorized Verifier shall abide by the Code of Conduct applicable to corporate agents as specified in Schedule III of these regulations.
 - (xi) The Authority shall have the power to inspect the premises of the telemarketer or any other premises, which the Authority feels necessary for the verification of records/documents and seek any document/record, record statements of any employee of the telemarketer or make copies of any documents/records at its discretion;
 - (xii) The telemarketer shall have to comply with any other terms and conditions as may be prescribed by the Authority from time to time in the matter.
- (3) A telemarketer shall not be engaged with more than three insurers or insurance related entities.

26. Code of conduct for Corporate Agents—

- (1) Every Corporate Agent shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule III of these regulations.
- (2) The corporate agent shall be responsible for all the acts and omissions of its principal officer, specified persons and other employees including violation of code of conduct specified under these regulations and liable to a penalty which may extend to one crore rupees under the provisions of Sec. 102 of the Act.

27. Inspection of Corporate Agent—

The Authority has the power to inspect the records of a Corporate Agent and performance of its activities any time and in case of any deficiency observed, the Authority may take appropriate disciplinary action. The procedure applicable for the Inspection and the Audit of a Corporate Agent are mentioned in Schedule IV of these Regulations.

28. Suspension, Cancellation or surrender of Registration made to a Corporate Agent:

The procedure for suspension, cancellation or surrender of registration shall be as stipulated in Schedule V of these Regulations.

29. Change in ownership and/or shareholding, name of a Corporate Agent—

- (1) In case of a corporate agent, which is incorporated exclusively for the purposes of insurance intermediation, no change in ownership and/or shareholding exceeding 25%, shall be carried out without the prior approval of the Authority.
- (2) A corporate agent shall take the prior approval of the Authority for change of its name.

30. Maintenance of Records:

A Corporate Agent shall maintain the following records including in electronic form and shall be made available as and when required by the Authority –

- (i) Know Your Client (KYC) records of the client, as required under the relevant Authority's guidelines and provisions of Prevention of Money Laundering Act;
- (ii) Copy of the proposal form duly signed by the client and submitted to the insurer with ACR signed by the specified person of corporate agent;
- (iii) A register containing list of clients, details of policy such as type of policy, premium amount, date of issue of the policy, charges or fees received;
- (iv) A register containing details of complaints received which include name of the complainant, nature of complaint, details of policy issued/solicited and action taken thereon;
- (v) A register which shall contain the name, address, telephone no, photograph, date of commencement of employment, date of leaving the service, if any, monthly remuneration paid to the specified person;
- (vi) Copies of the correspondence exchanged with the Authority;
- (vii) Any other record as may be specified by the Authority from time to time.

31. Maintenance of books of account, records, etc. –

(1) A corporate agent, which is incorporated exclusively for the purposes of insurance intermediation, shall prepare the following books of accounts for every financial year -

- (i) a balance sheet or a statement of affairs as at the end of each accounting period;
- (ii) a profit and loss account for that period;
- (iii) a statement of cash/fund flow;
- (iv) Additional statements as may be required by the Authority from time to time.

Note. 1: For purposes of this regulation, the financial year shall be a period of 12 months (or less where a business is started after 1st April) commencing on the first day of the April of an year and ending on the 31st day of March of the year following, and the accounts shall be maintained on accrual basis.

Note.2: There shall be a schedule to their financial statements providing the details of all the incomes received from insurers and insurer's group companies, insurer-wise, by the corporate agent, and also the details of payments received by the group companies and/or associates of the corporate agent from any insurer and the details thereof.

- (a) A copy of the audited financial statements as stated in sub-regulation (1) along with the auditor's report thereon shall be submitted to the Authority before 30th September every year along with the remarks or observations of the auditors, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc., and a suitable explanation on such observations shall be appended to such accounts filed with the Authority.
- (b) Within ninety days from the date of the Auditor's report necessary steps to rectify any deficiencies, made out in the auditor's report, be made and informed to the Authority.
- (c) All the books of account, statements, document, etc., shall be maintained at the head office of the corporate agent or such other branch office as may be designated and notified to the Authority, and shall be available on all working days to such officers of the Authority, and authorised in this behalf for inspection.
- (d) All the books, documents, statements, contract notes etc., referred to in this regulation and maintained by the corporate agent shall be retained for a minimum period of ten years from the end of the year to which they relate. However, the documents pertaining to the cases where claims are reported and the settlement is

pending for a decision from courts, the documents are required to be maintained till the disposal of the cases by the court.

- (2) In the case of corporate agents whose principal business is other than insurance intermediation, they shall maintain segment wise reporting capturing the revenues received for insurance intermediation and other income from insurers.
- (3) Every insurer who is engaging the services of a corporate agent shall file with the Authority a certificate, separately for all such corporate agents, in the format given in the Schedule VIA to be signed by the CEO and CFO. A similar certificate from the Principal Officer and CFO (or its equivalent) of the corporate agent specifying the commission/ remuneration received from the insurer shall be filed with the Authority as given in Schedule VIB.

32. Power of the Authority to issue clarifications etc:

In order to remove any difficulties in application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson of the Authority may issue clarifications, directions and guidelines in the form of circulars.

33. General:

- (1) From the date of notification of these regulations no person can function as a Corporate Agent, except in cases as specified in regulation 1(3) of these regulations, unless a registration has been granted to him by the Authority under these regulations.
- (2) Any disputes arising between a Corporate Agent and an insurer or any other person either in the course of his engagement as a corporate agent or otherwise, may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III /4/Exty/161/15(178)]

SCHEDULE I

FORM A

[See regulation 4]

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agent) Regulations,
2015**

Application for grant of Certificate of Registration to act as Corporate Agent

Instructions for filling up the form:

- (1) It is important that before this application form is filled in, the regulations made by the Authority are studied carefully.
- (2) Applicants must submit a duly completed application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.
- (3) Application for Registration will be considered only if it is complete in all respects.
- (4) Applicants should sign the applications themselves.
- (5) Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets attached to the application form.

PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Address - Principal Place of business / Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No	Fax No.
Website Address	

1.3 Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No	Fax No.

1.4 Name and Designation of the Principal Officer:

1.5 Details of proposed/existing branch office/s where the applicant proposes to distribute insurance

Place	Address	Name of the Specified Person	Educational Qualification of the Specified Person	Exam Pass Certificate No. of the Specified Person

Note: In case the applicant proposes to have more than one specified person in a branch, the details of all such specified persons shall be provided

2. ORGANISATION - STRUCTURE

2.1 Status of the Applicant:

(e.g. Limited company-Private/Public, LLP/ Cooperative Society. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

Category of Applicant	Details of Registration	Date of Incorporation DD-MM-YYYY	Place of Incorporation	Name of stock exchanges (In case of listed Company)

2.2 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates)

(The information is required to be furnished by the applicant falling under category 4(1)(ii) of the regulations)

	Share holding as on: _____	
Name of shareholder	No. of Shares held	% of total paid up capital of the company

2.3 Particulars of all Directors/Partners

Name	Designation/ Position	Qualification	Share in applicant Company	Directorship in other companies

2.4 Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/ Firm	Address	Type of activity Handled	Nature of Interest of Promoter/ Director	Nature and interest of applicant company

Whether any one or more directors/shareholders of the associate companies/ concern are interested in the applicant's business, if yes please provide the nature of interest

2.5 Name and Address of the Principal bankers of the applicant -

(In case the applicant is a bank, please provide the details only in case Principal Banker is other than the applicant)

2.6 Name and address of the statutory auditors

3. BUSINESS INFORMATION

3.1 Three years business plan document with projected volume of business in terms of premiums in each category
(Amount in Rs. Crores)

Year	Life Insurance	General Insurance	Health Insurance

3.2 Organization Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed.

3.3 Details of infrastructure like office space, equipment and manpower available with the applicant.

3.4 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

4. FINANCIAL INFORMATION :-

(The information is required to be furnished by an applicant which is falling under regulation 4(1)(ii) of these regulations)

4.1 Capital Structure

(Rs. in lakhs)

Capital Structure	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
(a) Authorized Capital			
(b) issue capital			
(c) Paid-up capital			
(d) Free reserves (excluding re- valuation reserves)			
(e) Total (c) + (d)			
Note: - 1. In case of LLPs, please indicate capital minus drawings and/or loans to partners. 2. In case of LLPs, please indicate the financial position, means and net worth of the partners.			

4.2 Net Worth of the applicant company (in rupees lakhs)

Note: Please enclose Chartered Accountant's certificate certifying the net worth of the applicant. The certificate should be a latest one and should not be more than thirty days old.

5. OTHER INFORMATION, IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes**:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled

** Attach sheet if required

5.2 Details, if any of cases filed in respect of any economic offences by the applicant or any of its Directors and/or any disciplinary action taken/initiated by any other regulator or government authorities in the last three years.

5.3 Declaration of Fit & Proper Criteria (As per Annexure 1)

6. Documents attached (as per Annexure 2)

7. Fee Payment:

Details of Payment:

Name of the Bank:

Mode of payment: NEFT/RTGS

Date of Payment:

Transaction Details along with number:

Note: A non-refundable fees Plus service Tax as specified in Regulation 17 of IRDAI (Registration of Corporate Agent) Regulations, 2015

8. Undertaking

8.1 Whether any person directly or indirectly connected to the applicant has been refused for the registration or license in the past or not

Name of the Person	Relationship with the applicant	Date and Reason for refusal

For the purpose of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means a relative in the case of any individual, and in the case of a firm or a Company or a body Corporate-an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group Company of the applicant

8.2 Qualification & Experience Details Of The Principal Officer Of the Applicant

Details of the Principal Officer					
Full Name				Mention Mr/Mrs	
Address					
Date of Birth				Phone No	
Nationality				Cell No	
Position in the organization				Fax No	
Current Position Held from				Email ID	
Description of Duties/Responsibilities					
Qualifications Experience & Achievements					
Name of the Institute	Country	Qualification	Year of Study		
Professional Qualification					
Name of the Institute	Country	Qualification	Year of Study		
Working Experience					
Name of the Employer	Nature of Business		Designation	Description of Duties	Period

8.3 List of Specified Persons who will be responsible for Soliciting and Procuring Insurance Business

Name	Address	PAN/ ADHAR No.	Qualification (Including Insurance qualifications)	Previous Employment	Details of Responsibilities	Exam pass Certificate issued by Examination Body as per Regulations

DECLARATION

(This declaration is to be signed by two of the directors, two of the partners as the case may be)

I/We hereby apply for registration.

I/We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and am/are satisfied that

- I/We am/are eligible to apply for the corporate agency registration.
- I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our registration.

- c) I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.
- d) I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the registration period.
- e) I/We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non-renewal of registration.
- f) I/We declare that I/we do not possess an insurance agent license or insurance broker registration or any other license/registration issued by the Authority.

For and on behalf of

Name

Designation

Annexure – 1

[See regulation 7(2)(g)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF CORPORATE AGENT) REGULATIONS, 2015

Declaration and Undertaking of Principal officer/ Directors/ Managing Partners (A separate form needs to be submitted by each individual)

S. No	Fit & Proper Criteria	Yes/No (If Yes, furnish full details)
a)	Have you ever registered or obtained license from any of the regulatory authorities under any law such as SEBI, RBI, IRDA, PFRDA, FMC etc.	
b)	Have you carried on business under any name other than the name stated in this application	
c)	Have you ever been refused or restricted by any regulatory authority to carry on any business, trade or profession for which a specific license registration or other authorization is required by law.	
d)	Have you been ever censured or disciplined or suspended or refused permission or license or registration by any regulatory authority to carry on any business activity	
e)	Have you been subject to any investigations or disciplinary proceeding or have been issued warning or reprimand by any regulatory authority	
f)	Have you been convicted of any offence or subject to any pending proceedings under any law	
g)	Have you been banned from entry from any profession / occupation at any time	
h)	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past for violation of economic laws and regulations	
i)	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the applicant	
j)	Do you attract any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies' Act 2013?	
k)	Have you been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
l)	Have you at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
m)	Have you at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, MCA, PFRDA. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the	

	reversal/setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate /court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
n)	Has any of your group company/associate company/related party been carrying any license issued by the IRDA	
o)	Any other explanation/information in regard to items I and II and other information considered relevant for judging fit and proper criteria of the applicant	

Undertaking

I confirm that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Authority fully informed, as soon as possible, of all events, which take place subsequent to my appointment, which are relevant to the information provided above.

Signature

Name

Designation

Date:

Place:

Annexure 2

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (REGISTRATION OF CORPORATE AGENT)
REGULATIONS, 2015**

**Documentation to be attached
for obtaining Fresh Corporate Agent Registration**

[See regulation 4 and Point 6 of the Form A]

A. Submission of Completed Application.

- Submission of relevant information as required in the FORM A.
- Remittance of requisite fee by electronic mode as prescribed under Regulation 17 of IRDAI (Registration of Corporate Agent) Regulations, 2015.
- Submission of charter documents of the applicant (Memorandum and Articles of Association/Byelaws as the case may be)
- Declaration of Fit & Proper criteria from Principal Officer, Directors and Managing Partners (separately for each person) to be provided in the 'Fit and Proper Form as per annexure 1'
- Details of infrastructure along with supporting evidence thereof like ownership/lease agreement papers with regard to office space/ equipment/ trained manpower, etc. for the registered office and the branch offices at various locations.
- Projections of administrative expenses, salaries and wages and other expenses, draw the revenue account, the profit and loss account and the balance sheet for the projected 3 years.
- Organization chart giving a complete picture of the company's activities like IT, underwriting, risk assessment, claims settlement, marketing, accounts, back office etc.
- Board approved policy on open architecture
- Bring on record any other information, which is relevant to the nature of services rendered by the applicant for the growth and promotion of insurance business.
- Any other requirements as deemed necessary by the authority.

B. Signatories

- Two Directors of the applicant should sign the Application Form and the various formats mentioned above.
- The above list of documents/requirements is indicative only and not exhaustive. The additional documents will be advised based on, pattern of shareholding, any other matter required as per IRDAI (Registration of Corporate Agent) Regulations, 2015 and views of the Authority.

C. Personal Presentation

The applicant on fulfilling the given requirements to the satisfaction of the Authority may be required, if necessary, to appear before the Authority for a presentation of business plans in connection with the application.

SCHEDULE II
[See regulation 19]

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents)
Regulations, 2015**

Maintenance of Professional Indemnity Insurance

1. The insurance cover must indemnify a corporate agent against:
 - a. any error or omission or negligence on their part or on the part of their employees and directors;
 - b. any loss of money or other property for which the corporate agent is legally liable in consequence of any financial or fraudulent act or omission;
 - c. any loss of documents and costs and expenses incurred in replacing or restoring such documents;
 - d. dishonest or fraudulent acts or omissions by corporate agent's employees or former employees.
2. The indemnity cover:
 - a. shall be on a yearly basis for the entire period of registration;
 - b. shall not contain any terms to the effect that payments of claims depend upon the corporate agent having first met the liability;
 - c. shall indemnify in respect of all claims made during the period of the insurance regardless of the time at which the event giving rise to the claim may have occurred.

Provided that indemnity insurance cover not fully conforming to the above requirements shall be permitted by the Authority in special cases for reasons to be recorded by it in writing.
3. The un-insured excess in respect of each claim shall not exceed five percent of the capital employed by the corporate agent in the business.
4. The insurance policy shall be obtained from any registered insurer in India who has agreed to:
 - a. provide the corporate agent with an annual certificate containing the name and address, including the registration number of the corporate agent, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority;
 - b. send a duplicate certificate to the Authority at the time the certificate is issued to the corporate agent; and
 - c. inform the corporate agent immediately of any case of voidance, non-renewal or cancellation of cover mid-term.
5. Every corporate agent firm shall—
 - a. inform immediately the Authority should any cover be cancelled or voided or if any policy is not renewed;
 - b. inform immediately the insurer in writing of any claim made by or against it;
 - c. advise immediately the insurer of all circumstances or occurrences that may give rise to a claim under the policy ; and
 - d. advise the Authority as soon as an insurer has notified that it intends to decline indemnity in respect of a claim under the policy.

SCHEDULE III
[See regulation 26]

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents)
Regulations, 2015**

Code of Conduct

I. General Code of Conduct:

1. Every corporate agent shall follow recognised standards of professional conduct and discharge their duties in the interest of the policyholders. While doing so -

- (a) conduct its dealings with clients with utmost good faith and integrity at all times;
- (b) act with care and diligence;
- (c) ensure that the client understands his relationship with the corporate agent and on whose behalf the corporate agent is acting;
- (d) treat all information supplied by the prospective clients as completely confidential to themselves and to the insurer(s) to which the business is being offered;
- (e) take appropriate steps to maintain the security of confidential documents in their possession;
- (f) No director of a company or a partner of a firm or the chief executive or a principal officer or a specified person shall hold similar position with another corporate agent;

2. Every Corporate Agent shall

- a) be responsible for all acts of omission and commission of its principal officer and every specified person;
- b) ensure that the principal officer and all specified persons are properly trained, skilled and knowledgeable in the insurance products they market;
- c) ensure that the principal officer and the specified person do not make to the prospect any misrepresentation on policy benefits and returns available under the policy;
- d) ensure that no prospect is forced to buy an insurance product;
- e) give adequate pre-sales and post-sales advice to the insured in respect of the insurance product;
- f) extend all possible help and cooperation to an insured in completion of all formalities and documentation in the event of a claim;
- g) give due publicity to the fact that the corporate agent does not underwrite the risk or act as an insurer;
- h) enter into agreements with the insurers in which the duties and responsibilities of both are defined.

II. Pre-sale Code of Conduct

3. Every corporate agent or principal officer or a specified person shall also follow the code of conduct specified below:

(i) Every corporate agent/ principal officer/specified person shall,--

- (a) identify himself and disclose his registration/certificate to the prospect on demand;
- (b) disseminate the requisite information in respect of insurance products offered for sale by the insurers with whom they have arrangement and take into account the needs of the prospect while recommending a specific insurance plan;
- (c) disclose the scales of commission in respect of the insurance product offered for sale, if asked by the prospect;
- (d) indicate the premium to be charged by the insurer for the insurance product offered for sale;
- (e) explain to the prospect the nature of information required in the proposal form by the insurer, and also the importance of disclosure of material information in the purchase of an insurance contract;
- (f) bring to the notice of the insurer any adverse habits or income inconsistency of the prospect, in the form of a Confidential Report along with every proposal submitted to the insurer, and any material fact that may adversely affect the underwriting decision of the insurer as regards acceptance of the proposal, by making all reasonable enquiries about the prospect;
- (g) inform promptly the prospect about the acceptance or rejection of the proposal by the insurer;
- (h) obtain the requisite documents at the time of filing the proposal form with the insurer; and other documents subsequently asked for by the insurer for completion of the proposal;

(ii) No corporate agent/ principal officer / specified person shall,---

- a. solicit or procure insurance business without holding a valid registration/ certificate;
- b. induce the prospect to omit any material information in the proposal form;
- c. induce the prospect to submit wrong information in the proposal form or documents submitted to the insurer for acceptance of the proposal;
- d. behave in a discourteous manner with the prospect;
- e. interfere with any proposal introduced by any other specified person or any insurance intermediary;
- f. offer different rates, advantages, terms and conditions other than those offered by the insurer;
- g. force a policyholder to terminate the existing policy and to effect a new proposal from him within three years from the date of such termination;
- h. No corporate agent shall have a portfolio of insurance business from one person or one organization or one group of organizations under which the premium is in excess of fifty percent of total premium procured in any year;

- i. become or remain a director of any insurance company, except with the prior approval of the Authority;
- j. indulge in any sort of money laundering activities;
- k. indulge in sourcing of business by themselves or through call centers by way of misleading calls or spurious calls;
- l. undertake multi-level marketing for soliciting and procuring of insurance products;
- m. engage untrained and unauthorised persons to bring in business;
- n. provide insurance consultancy or claims consultancy or any other insurance related services except soliciting and servicing of insurance products as per the certificate of registration.
- o. Engage, encourage, enter into a contract with or have any sort of arrangement with any person other than a specified person, to refer, solicit, generate lead, advise, introduce, find or provide contact details of prospective policyholders in furtherance of the distribution of the insurance product;
- p. Pay or allow the payment of any fee, commission, incentive by any other name whatsoever for the purpose of sale, introduction, lead generation, referring or finding to any person or entity

III. Post-Sale Code of Conduct

4. Every Corporate Agent shall –

- a. advise every individual policyholder to effect nomination or assignment or change of address or exercise of options, as the case may be, and offer necessary assistance in this behalf, wherever necessary;
- b. with a view to conserve the insurance business already procured through him, make every attempt to ensure remittance of the premiums by the policyholders within the stipulated time, by giving notice to the policyholder orally and in writing.
- c. ensure that its client is aware of the expiry date of the insurance even if it chooses not to offer further cover to the client;
- d. ensure that renewal notices contain a warning about the duty of disclosure including the necessity to advise changes affecting the policy, which have occurred since the policy inception or the last renewal date;
- e. ensure that renewal notices contain a requirement for keeping a record (including copies of letters) of all information supplied to the insurer for the purpose of renewal of the contract;
- f. ensure that the client receives the insurer's renewal invitation well in time before the expiry date.
- g. render necessary assistance to the policyholders or claimants or beneficiaries in complying with the requirements for settlement of claims by the insurer;
- h. explain to its clients their obligation to notify claims promptly and to disclose all material facts and advise subsequent developments as soon as possible;
- i. advise the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so. If further disclosure is not forthcoming it shall consider declining to act further for the client;
- j. give prompt advice to the client of any requirements concerning the claim;
- k. forward any information received from the client regarding a claim or an incident that may give rise to a claim without delay, and in any event within three working days;
- l. advise the client without delay of the insurer's decision or otherwise of a claim; and give all reasonable assistance to the client in pursuing his claim.
- m. shall not demand or receive a share of proceeds from the beneficiary under an insurance contract;
- n. ensure that letters of instruction, policies and renewal documents contain details of complaints handling procedures;
- o. accept complaints either by phone or in writing;
- p. acknowledge a complaint within fourteen days from the receipt of correspondence, advise the member of staff who will be dealing with the complaint and the timetable for dealing with it;
- q. ensure that response letters are sent and inform the complainant of what he may do if he is unhappy with the response;
- r. ensure that complaints are dealt with at a suitably senior level;
- s. have in place a system for recording and monitoring complaints.

SCHEDULE IV [See regulation 27]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Inspection of Corporate Agent

1. **Power of Authority to inspect:** The Authority may *suomotu* or upon receipt of information or complaint, appoint one or more of its officers as inspecting authority to undertake inspection of the books of accounts, records and documents relating to Corporate Agent for any of the following reasons:

- (i) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained by the corporate agent in the manner as may be specified by the Authority ;
- (ii) to inspect the handling of complaints received from clients or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the corporate agent;
- (iii) to ascertain whether the provisions of the Act, as amended from time to time, and these Regulations are being complied with by the corporate agent;
- (iv) to inspect into the affairs of corporate agent, in the interest of the policyholders;
- (v) to examine the veracity of the complaint received;
- (vi) to investigate into the activities and conduct of the corporate agent.

2. Notice before inspection.

- (i) Before ordering an inspection under regulation 27, the Authority shall give not less than ten days' notice to the corporate agent.
- (ii) Notwithstanding anything contained in clause (i), where the Authority is satisfied that in the interest of the policyholders no such notice should be given, it may by an order in writing direct that the inspection of the affairs of the corporate agent be taken up without such notice.

3. Obligation of corporate agent on inspection.

- (i) It shall be the duty of every corporate agent in respect of whom an inspection has been ordered under the Regulation and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of such corporate agent, including representative of corporate agent, if any, to produce to the inspecting authority such books of accounts and other documents in its custody or control and furnish him with such statements and information as the inspecting authority may require for the purposes of inspection.
- (ii) It shall be the duty of every corporate agent and any other associate person who is in possession of relevant information pertaining to conduct and affairs of the corporate agent to give to the inspecting authority all such assistance and shall extend all such co-operation as may be required in connection with the inspection and shall furnish such information as sought by the inspecting authority in connection with the inspection.
- (iii) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, shall have power to examine on oath and record the statement of Principal Officer, any employees, directors, partners or person responsible for or connected with the activities of corporate agent or any other associate person having relevant information pertaining to such corporate agent.
- (iv) The inspecting authority shall, for the purposes of inspection, have power to obtain authenticated copies of documents, books of accounts etc in respect activities of corporate agent, from any person having control or custody of such documents.

4. Submission of Inspection Report to the Authority.

The inspecting authority shall, as soon as possible, but in any case not later than 30 days from the completion of the inspection, submit an inspection report to the Authority:

Provided that if directed to do so by the Authority, the inspecting authority may submit an interim report.

5. Action on the Inspection Report

The Authority may after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of hearing to the corporate agent, issue such directions as it deems fit in the interest of policyholders including –

- (i) requiring the corporate agent to refund any monies collected as fees, charges or commissions or otherwise to the concerned clients along with the requisite interest;
- (ii) to refund monies and/or remuneration and/or commission paid by the insurer, to which, otherwise the corporate agent is not eligible to receive;
- (iii) prohibiting the corporate agent from operating in the insurance market for a specified period;
- (iv) Any other action as the Authority may deem fit.

SCHEDULE V
[See regulation 28]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

I. Cancellation of Certificate of Registration of a Corporate Agent with Notice

The Authority may suspend or cancel the registration of a Corporate Agent for any one or more of the following reasons:

- (i) suffers at any time during the period of the registration from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42D of the Act, as amended from time to time,;
- (ii) violates the provisions of the Act, as amended from time to time, IRDA Act 1999 and any other rules, regulations, guidelines, directions issued in this regard by the Authority, such as:
 - a. Fails to furnish any information relating to its activities as a corporate agent as required by the Authority;
 - b. Furnishes wrong or false information; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a registration ;
 - c. Indulges in rebates or inducements in cash or kind to a client or any of the client's Directors or other employees or any person acting as an introducer;
 - d. Fails to comply with the Code of Conduct as specified in these regulations;
 - e. Fails to comply with any of the conditions subject to which the registration has been granted.
- (iii) Resort to spurious calls or mis-selling;
- (iv) Acts in a manner detrimental to the interest of the policyholders or against public interest;

II. Procedure to be followed for suspension or cancellation of Certificate of Registration of a corporate agent:

- 1. The Authority shall issue a Show Cause Notice to the corporate agent, requiring them to show cause within 21 days from the date of receipt of the notice, why the registration granted to the corporate agent shall not be suspended or cancelled or any other action as considered appropriate by the Authority for the violations noted in the show cause notice shall not be taken.
- 2. The corporate agent shall submit its reply to show cause notice issued by the Authority within the time limit stipulated in the notice.
- 3. Upon considering the reply, if any, the Authority may pass an order directing the suspension or cancellation of the registration granted to the corporate agent or shall pass any other order as deemed appropriate based on the facts of the case.
- 4. The Authority shall communicate the decision to the corporate agent within thirty days from the date of taking such decision stating therein the grounds on which the decision is taken.
- 5. Any applicant aggrieved by the decision of the Authority may make an appeal to Securities Appellate Tribunal, as per the procedure prescribed for such an appeal, within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made under clause (4) above is received by him, for passing such orders thereon as it thinks fit, conforming, modifying or setting aside the order appealed against.

III. Cancellation of Certificate of Registration of a corporate agent without notice

The Registration of a corporate agent may be cancelled or suspended without notice, provided the Authority has communicated to the corporate agent the reasons for the cancellation in writing:

- (i) if it is found guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence;
- (ii) commits such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority;

The procedure to be followed while initiation of Action against the corporate agent under this regulation is as specified in clauses (4) and (5) of Part II above.

IV. Effect of Suspension or cancellation of Certificate of Registration to corporate agent

- (i) Any corporate agent whose registration has been suspended or cancelled by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under these Regulations, shall cease to act as a corporate agent and shall cease to solicit Insurance business.
- (ii) On and from the date of suspension or cancellation of the registration, the corporate agent shall:

- a) not undertake any new assignment or contract related to insurance business or solicit or procure insurance business during the period of such debarment or suspension;
- b) take such other action including the action relating to any records or documents and policies or money of the policyholders as per the directions of the Authority and relevant provisions of these regulations.
- c) return the registration to the Authority and shall not represent itself to be a holder of registration for carrying out the activity for which such registration had been granted;
- d) make provisions as regards liability incurred or assumed by it;
- e) take such other action including the action relating to recovery or seizure of any records or documents and policies of the policyholders that may be in custody or control of such person, within the time period and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority while passing order under this Chapter or otherwise.

SCHEDULE VIA

[See regulation 31]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Certificate to be submitted by the insurer duly signed by CEO and CFO of the company on the remuneration and other payments made to a Corporate Agent

"We hereby and confirm that we have paid an amount of Rs..... to M/s.....(name of the Corporate Agent and associates) for the period from to under following heads (to be annexed as an attachment) as commission/remuneration towards the business of ____ procured during the FY__. The amount includes all payments paid directly or indirectly to this effect and the company (insurer) is in compliance with the regulations prescribed by IRDAI, RBI and other applicable regulations to this effect.

We also confirm that we have not paid incentives (cash or non-cash) to the principal officer, specified persons and other employees of the corporate agent either directly or indirectly."

Signed by

CFO CEO

Place:

Date:

- Note: (1) The attachment shall contain the details of payments made to the corporate agent and its associates (specify the name of the associate) under various heads and shall be signed by both the CEO and CFO of the insurer.
- (2) Separate certificates to be submitted for each corporate agent

SCHEDULE VIB

[See regulation 31]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Certificate to be submitted by the corporate agent duly signed by CEO and CFO of the company/entity on the remuneration and other payments received from the insurer

"We hereby confirm that we have received an amount of Rs..... from M/s.(name of the insurer) for the period from to under following heads (to be annexed as an attachment) as

commission/remuneration towards the business of ____ procured during the FY____. The amount includes all payments received directly or indirectly to this effect and the company (corporate agent) is in compliance with the regulations prescribed by IRDAI, RBI and other applicable regulations to this effect.

We also confirm that the insurer has not paid incentives (cash or non-cash) to the principal officer, specified persons and other employees of the corporate agent either directly or indirectly."

Signed by

CFO CEO

Place:

Date:

Note: 1) The attachment shall contain the details of payments made to the corporate agent and its associates (specify the name of the associate) under various heads and shall be signed by both the CEO and CFO of the corporate agent.

2) Separate certificates to be submitted for each insurer.

SCHEDULE VII [See regulation 25]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

I. Instructions for Sale of Insurance products by tele-marketing mode and other distance marketing activities of corporate agent

1. Scope and applicability – This covers distance marketing activities of corporate agents at all the stages including offer, negotiation as well as conclusion of sale.

a) Distance marketing includes every activity of solicitation and sale of insurance products through the following modes:

- (i) Voice mode, which includes telephone-calling;
- (ii) Short Messaging service (SMS);
- (iii) Electronic mode which includes e-mail, internet and interactive television (DTH);
- (iv) Physical mode which includes direct postal mail and newspaper & magazine inserts; and,
- (v) Solicitation through any means as approved by the Authority from time to time under Distance Marketing.

b) These instructions are specifically applicable in case of the following activities in addition to other similar activities:

- (i) Use of distance mode for ascertaining the Prospect's intent to purchase insurance.
- (ii) Solicitation as well as sale over the distance mode; and
- (iii) Requests by Prospects seeking information or sale of insurance products.

2. Compliance

The corporate agent shall, in addition to these instructions, comply with all the applicable provisions of the Insurance Act, 1938, the IRDA Act, 1999, IT Act, 2000, TRAI Act, 1997, The Telecom Unsolicited Commercial Communications (Amendment) Regulations, 2008 and the rules, regulations, circulars or guidelines, as applicable to it, issued from time to time.

3. Persons engaged for solicitation

(a) For the purpose of solicitation of insurance business through distance marketing, the corporate agent may engage:

(i) Specified persons of corporate agents, or

(ii) Authorised Verifiers of Telemarketers

(b) The corporate agent shall be responsible for all acts of commission and omission of the persons deployed on their behalf.

4. Agreements between the corporate agent and Telemarketers

The agreement between the corporate agent and Telemarketer, by whatever name called, shall inter alia include the following clauses:

(i) The Telemarketer shall maintain/preserve recordings of all the calls in a manner that is compliant with the provisions of these instructions and forward all such records to the corporate agent. The corporate agent in turn shall forward a copy of the records to the insurer in satisfactory condition.

(ii) The Telemarketer shall maintain records of all the authorized Verifiers employed by them along with their training and assessment particulars, including the certificate issued by the Authority.

(iii) The records under (i) & (ii) above shall be open to inspection by the Authority.

5. Role of Authorized Verifier:

(i) Telemarketers shall employ authorized Verifiers, who alone are permitted for soliciting and concluding the sale of insurance products;

(ii) The authorized Verifiers shall be employees of the Telemarketer and they shall be assigned to the corporate agent as per the certificate issued by the Authority for the purpose of sale of insurance products. Any change in such assignment shall be disclosed to the Authority and a fresh certificate to that effect shall be obtained from the Authority without which the Authorised Verifier shall not be permitted to solicit and conclude the sale of insurance products;

(iii) Authorized Verifiers are barred from soliciting insurance in their individual capacity in any mode, or on behalf of any organization other than the Telemarketer employing them.

(iv) the corporate agent shall maintain records in the format specified by the Authority which shall capture policy-wise and Authorised Verifier-wise details wherein each policy solicited by the corporate agent through the distant mode is tagged to the authorized Verifier. The corporate agent shall put in place systems which allow regular access to such records and details by the Authority.

6. Conduct in relation to sale of insurance products through distance marketing by corporate agents

(i) Corporate Agent shall suggest a suitable product, from among the insurance products of insurer/s with which they have arrangements as per these regulations, available in the market that fits the needs of the Prospect.

(ii) The price comparison charts that are displayed on their website shall be up to date and reflect a true picture of all the available and suitable products under each category.

- (iii) Insurers shall specifically identify the proposals procured by corporate agents over distance mode and obtain all relevant records pertaining to such policies. Insurers shall produce such records before the Authority in case of dispute involving alleged violation of breach of conduct by the corporate agent.

7. Process of Solicitation

Solicitation of insurance by corporate agents through distance mode shall be in specific compliance with the following norms:

7.1 Standardized Script

- (i) Insurers, in consultation with the Corporate Agents, shall prepare standardized scripts for presentation of benefits, features and disclosures under each of the products proposed to be sold over the distance modes. Solicitation under distant mode shall be in line with the standardized script.
- (ii) The scripts shall be incorporating all the Key Features of the product and shall be approved by the compliance officers of the respective insurers. The scripts shall be filed with the Authority under "Use & File" procedure within 15 days of their approval by the compliance officer.

7.2 Introduction

- (i) The communication shall clearly highlight the name of the corporate agent and names of insurers with which they have arrangements to distribute insurance products.
- (ii) The fact that the purpose of approach is solicitation of insurance shall be clearly highlighted.

7.3 Consent of the Prospect

- (i) The authorized Verifier shall proceed further only on receiving the consent of the prospect in explicit terms.
- (ii) The prospect shall be given an option to continue with the subject or exit the page at every stage in case of electronic modes. The hours during which calls are made shall be in accordance with orders issued by TRAI/DoT from time to time.
- (iii) In case of telephonic solicitation the name of the authorized Verifier along with the certificate number issued by the authority shall be disclosed and the language options available must be indicated. The subsequent communication shall continue only in the language chosen by the Prospect.
- (iv) The authorized Verifier shall inform Prospects that the call is being recorded and that the Prospect is entitled to a voice copy, if he so desires, at any time during the term of the policy or until a satisfactory settlement of claim, whichever is later.
- (v) No inconvenience, nuisance or harm shall be caused to the Prospects in the course of solicitation or thereafter. Full disclosures shall be made to the Prospects under all modes of distance marketing and the requirements of confidentiality, privacy and non-disclosure shall be complied with.

7.4 Prospects Information

All relevant information pertaining to the Prospect as well as the person/asset to be insured shall be obtained, and solicitation shall be strictly on the basis of analysis of the Prospects' needs, as specified by the Authority from time to time.

7.5 Product benefits & Features

The standardized script shall cover the following items in the course of product presentation:

- (i) The specific responses of the Prospect in the form of agree/disagree, yes/no, accept/reject, understand/don't understand, as applicable, against each of the items below, should cover under all modes of distance solicitation.
- (ii) Name of the product suggested and its nature and parameters.
- (iii) Insurance cover available under the product for a specified amount of annual premium, or, conversely, premium chargeable towards a specified amount of insurance cover.

- (iv) The scope of cover, perils covered and not covered, exclusions, deductibles or franchise, co-payments, loading/discounts on premiums, add-on covers, conditions, other terms and benefits, mid-term inclusions, short period scales, basis of sum insured, warranties, clauses and endorsements, compliance with Section 64VB of the Insurance Act, 1938 – payment of premium before commencement of risk, etc, as applicable.
- (v) The contents of the “key features document” as and when specified by the Authority.
- (vi) The right to cancel the policy within 30 days of receipt of the policy in case of disagreement with the terms of the policy under all life insurance contracts and covers tied to credit/debit/other cards, and for all personal accident and health insurance policy contracts with a term of 3 years or more offered by insurers over distance mode, provided no claim has already been made on the policy.
- (vii) Disclosure of rates of commission available on the product solicited upon the request of the Prospect.

7.6 Premium Ceilings in case of sale of ULIPs and prohibition of sale of Universal Life Products over telephonic mode

- (i) Corporate agents shall not solicit ULIPs of non-single premium type for annualized premiums exceeding Rs 50,000/- over telephonic mode (voice as well as SMS).
- (ii) Single premium ULIPs shall not be solicited for a premium of more than Rs 1,00,000/- over telephonic mode.
- (iii) No variable insurance product shall be solicited or sold over distance marketing mode.

8. Post-Solicitation Process

Once the Prospect agrees to purchase a policy, the proposal form and premium acceptance shall comply with the following requirements:

- (i) The premium towards the policy may be debited online or interactive voice response medium or through a manual collection subject to compliance with the procedures and controls prescribed by the RBI.
- (ii) The norms applicable to insurers and intermediaries as regards AML and PAN need to be complied with in the process of selling a policy over distance marketing mode.
- (iii) For policies solicited/sold over distance mode, insurers shall issue policies in exactly the same format and medium as in case of sale through physical interface, duly enclosed by the requisite annexures.
- (iv) The address and toll-free number of the office to be contacted by the policyholder in case of a servicing need or grievance shall be informed to the Prospect.
- (v) Before conclusion of sale the authorized Verifier shall divulge his name and certificate number to the prospect and this shall form part of the recorded conversation for the sake of future verification.
- (vi) The records pertaining to every call made and SMS sent by a Telemarketer/Corporate Agent that materializes into a policy shall be transferred to the insurer's location within 30 days of conclusion of sale. In case of telephone calls the records transferred shall be the recordings of the entire conversation.

9. No Unfair Denial of Insurance Cover

When a Prospect approaches a corporate agent over distance mode proposing for insurance cover, the latter are duty-bound to consider the case on merits and in accordance with regulatory directions and their own norms. In no case shall they resort to an unfair denial of cover to a Prospect who seeks insurance.

10. Preservation of Records

The corporate agent shall preserve, in an inalterable and easily retrievable form, a voice/electronic/physical record, as applicable, of the entire process beginning with lead generation/solicitation and concluding in sale of insurance, for a period of six months beyond the term of the policy or until satisfactory settlement of

claim, whichever is later. Voice and electronic records shall be digitized and encrypted for storage to ensure reliability and security of the data.

11. Verification Process

- (i) Corporate agents shall monitor the calls live by arranging for listening to at least 1% of the calls as they happen.
- (ii) Corporate agents shall verify at least 3% of calls leading to sales for compliance with the instructions, by engaging a team of dedicated employees to listen to the call recordings. The observations made in the course of verification shall be preserved in a retrievable form for a period of not less than three years.
- (iii) Corporate agent shall make verification calls, to monitor the quality of sales, to a minimum of 3% of the policyholders who purchase insurance over distance marketing mode, every month. The purpose of verification calls is to ascertain whether the Prospect has understood the benefits, features and disclosures of the product purchased correctly. Verification calls shall also bear a standardized script and the records of calls shall be preserved for a period (a) not less than 15 months from the date of policy or until satisfactory claim settlement, whichever is later, in case of non-life contracts (b) not less than 3 years in case of life insurance policies.
- (iv) The policies under (ii) and (iii) above shall be selected according to a random pattern, making sure to cover each product category and mode of sale.

12. Certification of Compliance

The Principal Officer of each corporate agent shall submit to the Authority, at the end of each financial year, a certificate confirming that the corporate agent has complied with all the provisions of the above instructions (para- 7 to 11) during the financial year.

13. Disputes

or the purpose of these instructions the contract of insurance shall be deemed to include the contents of Key Features Document (KFD) and the records of calls to the Prospect pertaining to the product. In case of disputes involving specific wordings of the policy, the Prospect shall have the right to give primacy to the wordings of the KFD and the calls over the specific wordings of the policy.

SCHEDULE VIII

[See regulation 21]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Certificate to be submitted by the corporate agent duly signed by CEO and CFO of the company/entity on forced selling

"We hereby confirm that the insurance is sold as an ancillary product along with a principal business product. None of the employees of the corporate agent or our shareholders or our associates have compelled the buyer of the principal business product to necessarily buy the insurance product through us. We also certify that we have not forced any prospect to buy insurance through us only.

Signed by

CFO

CEO

Annexure 3

[See regulation 7(3)(c)]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015**Application for a Certificate/Renewal of Certificate to act as a Specified Person****Notes and Instructions:**

1. An application for issue of certificate/renewal of certificate to act as a Specified Person shall be applied by the Principal Officer of the Corporate Agent, on behalf of the Specified Person, giving the details of such person as per the details below.
2. The Principal Officer and the corporate agent shall be responsible for any omission and commission of information provided on behalf of the Specified Person.
3. An individual can apply for only a certificate which will entitle him to solicit or procure insurance business of any class and to act as the specified person of a corporate agent.
4. A person aspiring to be a Specified Person must be at least 18 years of age on the date of the application. If required the applicant shall furnish proof of age.
5. An applicant shall furnish the proof of educational qualification; pass in the pre-recruitment test conducted by the examination body nominated by Insurance Regulatory and Development Authority of India, and completion of practical training from a training institution approved by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, along with the application.
6. The fees payable by an applicant is rupees five hundred or an amount specified by the Authority from time to time.
7. An application for renewal should reach the Authority through the corporate agent before the expiry of certificate of the specified person but not before three months from the date of expiry.
8. If the application does not reach the Authority at least 30 days before the date on which the certificate ceases to be in force, an additional fee of one hundred rupees should be payable.

1. Name of Person seeking Certificate to act as Specified Person: _____ (As mentioned in the Passport or Birth Certificate)
2. Father's/Husband's Name: _____
3. Full Address along with Contact Number: _____
4. Date of Birth: Day-Month-Year: _____
5. Title: Mr/Mrs/Miss
6. PAN Number/Adhaar Number: _____
7. Whether already enrolled as a Specified Person:
 - (i) If yes, please submit the following.
 - (a) Name of the Corporate Agent: _____
 - (b) Registration/License Number of the Corporate Agent: _____
 - (c) Date of Expiry of Registration: _____
 - (d) Certificate No of the Specified Person issued by the Authority: _____
 - (e) Specified Person Examination Pass Certificate No. _____
 - (f) Name of the Institution where training undergone _____
 - (g) Number of training hours completed _____
 - (h) Name of the corporate agent with whom last employed _____
 - (i) Registration/licence number of the corporate agent as indicated in (h) above _____
 - (ii) If no, please submit the following.
 - (a) Name of the Corporate Agent/Applicant Company: _____
 - (b) In case of existing Corporate Agent, Registration/License Number of the Corporate Agent/Applicant Company: _____
 - (c) Date of Expiry of Registration/license: _____
 - (d) Specified Person Examination Pass Certificate No. _____
 - (e) Name of the Institution where training undergone _____
 - (f) Number of training hours completed _____
 - (g) Date of enrollment for training _____
 - (h) Date of completion of training _____

I further declare that I have verified and found that the Specified Person –

- (a) has not found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
- (b) has not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or an abetment of or attempt to commit any such offence by a court of competent jurisdiction;
- (c) has not been found guilty of or to have knowingly participated in or convicted at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurer; and
- (d) has not violated the code of conduct specified under Regulation 26 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

8. I enclose the following documents in support of the educational qualification, pre-recruitment test, and the practical training undergone by the specified person.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Signature of the Principal Officer

Place:

Date:

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Certificate to act as a Specified Person for a Corporate Agent

Certificate No.....

Name of Corporate Agent:.....

Address:.....
.....

Registration No.....

Date of Expiry:.....

Category of Registration:.....

Name of the Certificate Holder:.....

Address:.....
.....

Details of branch where posted:.....

Having undergone the prescribed training and passing of the examination is hereby authorized to act as the specified person of the above named corporate agent for three years from..... for procuring or soliciting insurance business in the category of

Place:

Date:

for Insurance Regulatory and Development Authority of India

Signature of the Certificate holder:

Notes:

1. This certificate authorizes the certificate holder to act as the specified person of the corporate agent for the insurance business specified there under.
2. No correction in this certificate is valid and for any correction in the certificate, the specified person through the principal officer of the corporate agent shall make a request to the Authority for the same.
3. The attention of the certificate holder is drawn to the code of conduct specified under regulation 26 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, and any violation of code of conduct may result in cancellation of certificate.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA(Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

FORM B

[See regulations 4 & 9]

Certificate of Registration

Registration No:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to

_____ to act as
_____ corporate agent

(Mention details of category)

under that Act.

2. Registration Code for the corporate agent is

3. This registration shall be valid from _____ to _____

4. This registration is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place :

By Order

Date : _____

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA(Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

FORM C

[see regulation 11]

CERTIFICATE OF RENEWAL REGISTRATION

Registration No:

1. The Registration of M/S ----- Category-----
-----corporate agent is hereby renewed under Regulation 11 of the IRDAI(Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) for the period ----- to-----

2. Issued at Hyderabad on----- day of -----Two thousand-----
3. This registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 the, Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars,& Directions issued by the Authority from time to time.

Place:

By Order

Date : _____

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

FORM B
[See regulation 15]

DUPLICATE CERTIFICATE REGISTRATION

Registration No:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a certificate of registration to

_____ to act as
_____ corporate agent
(Mention details of category)

under that Act.

2. Registration Code for the corporate agent is

3. This registration shall be valid from _____ to _____

4. This registration is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date : _____

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India

Insurance Regulatory and Development Authority of India**Application for Duplicate Certificate of Registration**

1. I agree to inform you that my/our Registration No----- has been
1. Lost
 2. Destroyed
 3. Mutilated

Due to the following reasons-----

2. Fee payment:
A non-refundable fee of Rs. 1000/- will need to be paid to IRDA

Payment details:

Name of the Bank:

Mode of payment: NEFT/RTGS

Date of Payment:

Transaction Details along with number:

3. Declaration

I hereby apply for the duplicate certificate of registration under regulation 15

I/we therefore request the authority to kindly issue a duplicate certificate of registration in light of the circumstances explained above.

I ----- solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Director 1

Signature of Director 2

Date:

Annexure 4

[See regulation 25]

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015

Application for Permission to act as Telemarketer

PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant: _____

1.2 Address - Principal Place of business / Registered Office.

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.
Website Address	

1.3 Address for Correspondence:

Pin Code	Email
Tel No.	Fax No.

1.4 TRAI Registration Details

- a) Registration No:
- b) Date of Registration:
- c) Validity of Registration:

7.2 Name and Designation of the Authorised Person/In charge:

- a) Name:
- b) Designation:
- c) Contact No:
- d) E-mail Address

1.6 Details of proposed/existing branch office/s where the applicant proposes to conduct telemarketing

Place	Address	Name of the branch incharge	Educational Qualification of the Specified Person	Contact No. and e-mail address

1.7 Name of the corporate agent with whom the applicant intend to work with:

- a) Name :
- b) Registration No.:
- c) Copy of the Agreement

2. ORGANISATION - STRUCTURE

2.1 Status of the Applicant:

(e.g. Limited company-Private/Public, LLP/ Cooperative Society/Partnership Firm/Proprietary Firm. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

Category of Applicant	Details of Registration	Date of Incorporation DD-MM-YYYY	Place of Incorporation	Name of stock exchanges (In case of listed Company)

2.2 List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates)

Name of shareholder	Share holding as on: _____	
	No of Shares held	% of total paid up capital of the company

2.3 Particulars of all Directors/Partners

Name	Designation/ Position	Qualification	Share in applicant Company	Directorship in other companies

Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company /Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/ Director	Nature and interest of applicant company

Whether any one or more directors/shareholders of the associate companies/ concern are interested in the applicant's business, if yes please provide the nature of interest

2.4 Details of Telemarketing Activities with other entities

Name of the entity	Nature of Activities of the entity concern	Date of Agreement	Validity of Agreement	Whether any of the related parties of the entity deal with insurance. If yes, please specify the details

Details of Authorised Verifiers

Name	Address	PAN/ Adhar No.	Qualification (Including Insurance qualifications)	Previous Employ- ment	Details of Respon- sibilities	Exam pass Certificate issued by Examination Body as per Regulations

(Note: The Telemarketer shall update the addition/deletion of Authorised Verifiers from to time to time and as and when there is change)

3. OTHER INFORMATION, IF ANY

3.1 Details of all settled and pending disputes**:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled

** Attach sheet if required

Details, if any of any economic offences by the applicant or any of the Directors and/or any disciplinary action taken/initiated by any other regulator or government authorities in the last three years.

4. I further declare that I have verified and found that the applicant –

- has not found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
- has not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or an abetment of or attempt to commit any such offence by a court of competent jurisdiction;
- has not been found guilty of or to have knowingly participated in or convicted at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to any policy

of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurer; and

- (d) has not violated the code of conduct specified under Regulation 26 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

5. I enclose the following documents in support of the application.

(a) Copy of TRAI Registration

(b) Copy of the Agreement

Signature of the Authorised Person

Place:

Date:

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations,
2015**

Certificate to act as a Telemarketer for a Corporate Agent

Certificate No.....

Name of Corporate Agent:.....

Address:.....
.....

Registration No.....

Date of Expiry:.....

Category of Registration:.....

Name of the Certificate Holder:.....

Address:.....
.....

TRAI Registration No.:.....

Having satisfied with the information furnished is hereby authorized to act as the telemarketer of the above named corporate agent as per IRDAI(Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

Place:

Date:

For Insurance Regulatory and Development Authority of India

[See regulation 25]

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations,
2015**

Application for a Certificate to act as an Authorised Verifier

Notes and Instructions:

1. An application for issue of certificate to act as an Authorised Verifier shall be applied by the Principal Officer of the Corporate Agent, on behalf of the Authorised Verifier, giving the details of such person as per the details below.
2. The Principal Officer and the corporate agent shall be responsible for any omission and commission of information provided on behalf of the Authorised Verifier.
3. A person aspiring to be an Authorised Verifier must be at least 18 years of age on the date of the application. If required the applicant shall furnish proof of age.
4. An applicant shall furnish the proof of educational qualification; pass in the pre-recruitment test conducted by the examination body nominated by Insurance Regulatory and Development Authority of India, and completion of practical training from a training institution approved by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, along with the application.
5. The fees payable by an applicant is rupees five hundred or an amount specified by the Authority from time to time.

1. Name of Person seeking Certificate to act as Authorised Verifier: _____
(As mentioned in the Passport or Birth Certificate)
2. Father's/Husband's Name: _____
3. Full Address along with Contact Number _____
4. Date of Birth: Day-Month-Year: _____
5. Title: Mr/Mrs/Miss _____
6. PAN Number/Adhaar Number: _____
7. Details of Qualifications: _____
8. Details of Past employment (provide details of last three employers)

Name of the Employer	Nature of Activities	Whether related to insurance. If yes, please provide the details	Job Responsibilities	Date of Joining	Date of Relieving

9. Whether already enrolled as an Authorised Verifier:
 - (i) If yes, please submit the following.
 - (a) Name of the telemarketer: _____
 - (b) Certificate No of the telemarketer: _____
 - (c) TRAI Registration No.: _____
 - (d) Date of Registration: _____
 - (e) Validity of Registration: _____
 - (f) Certificate No of the Authorised Verifier issued by the Authority: _____
 - (g) Authorised Verifier Examination Pass Certificate No. _____
 - (h) Name of the Institution where training undergone _____
 - (i) Number of training hours completed _____
 - (j) Name of the telemarketer with whom last employed _____

- (ii) If no, please submit the following.
- (a) Name of the telemarketer: _____
- (b) TRAI Registration No.: _____
- (c) Date of Registration: _____
- (d) Validity of Registration: _____
- (e) Authorised Verifier Examination Pass Certificate No. _____
- (f) Name of the Institution where training undergone _____
- (g) Number of training hours completed _____
- (h) Date of enrollment for training _____
- (i) Date of completion of training _____

10. I further declare that I have verified and found that the Authorised Verifier –
- (a) has not found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
- (b) has not been found guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust or cheating or forgery or an abetment of or attempt to commit any such offence by a court of competent jurisdiction;
- (c) has not been found guilty of or to have knowingly participated in or convicted at any fraud, dishonesty or misrepresentation against an insurer or an insured in the course of any judicial proceeding relating to any policy of insurance or the winding up of an insurance company or in the course of an investigation of the affairs of an insurer; and
- (d) has not violated the code of conduct specified under Regulation 26 of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

11. I enclose the following documents in support of the educational qualification, pre-recruitment test, and the practical training undergone pertaining to the Authorised Verifier.

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)

Signature of the Principal Officer

Place:
Date:

**Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations,
2015**

Certificate to act as an Authorised Verifier

Certificate No.....

Name of Corporate Agent:.....

Address:.....
.....

Registration No.....

Date of Expiry:.....

Category of Registration:.....

Name of the Telemarketer:

TRAI Registration:

Date of Registration:

Date of Expiry:

Name of the Certificate Holder:.....

Address:.....

Place of posting:

Having satisfied with the information provided and undergone the prescribed training and/or passing of the examination is hereby authorized to act as an authorized Verifier of the telemarketer from.....

Place:

Date:

For Insurance Regulatory and Development Authority of India

Signature of the Certificate Holder: